खण्ड-206, अंक-2
मंगलवार, 20 श्रावण, शक संवत् 1881
(11 अगस्त, 1959 ई0)

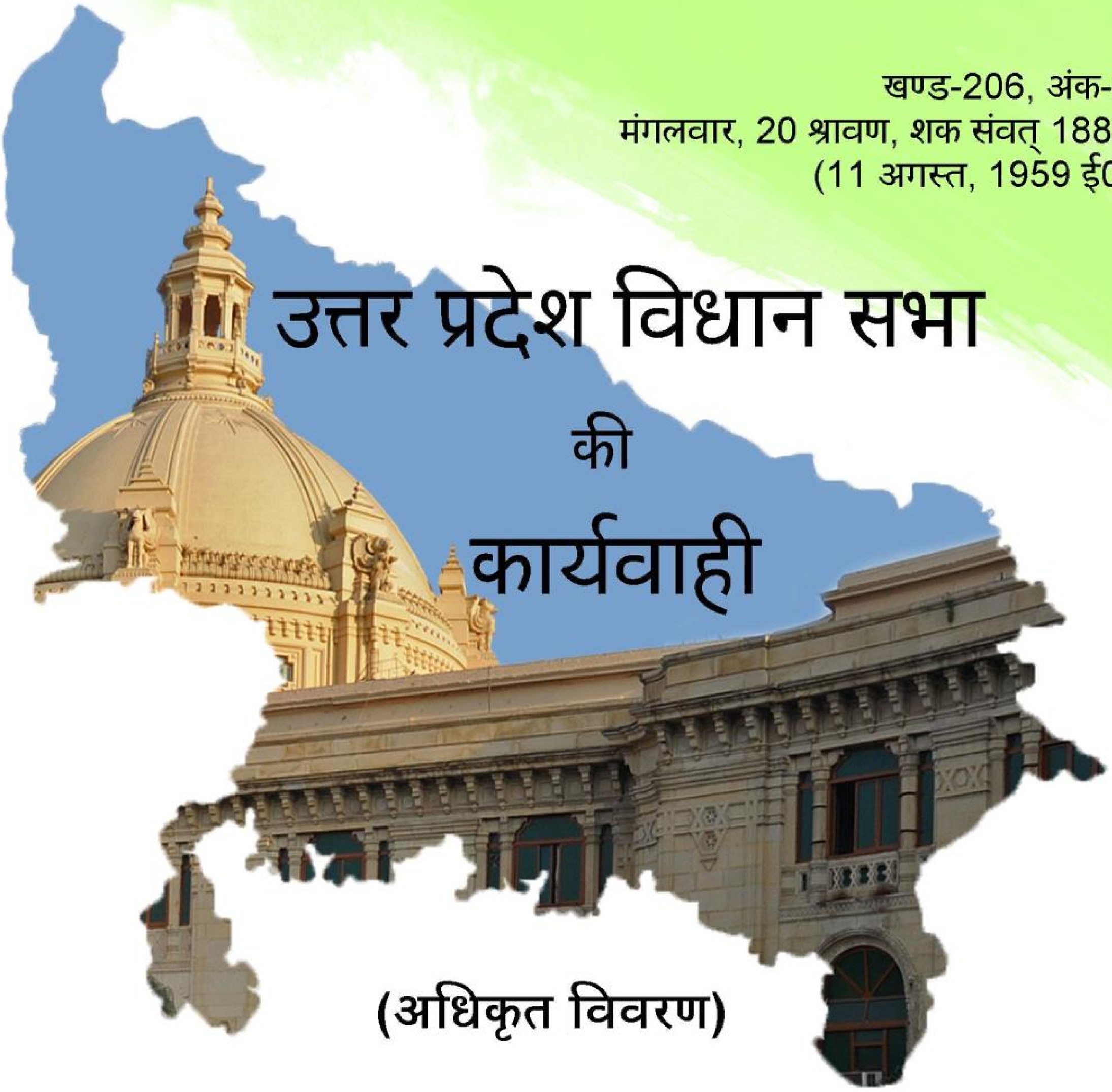

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 206 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ११ अगस्त, १९५९

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३७१

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
ग़यूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री

गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेव सिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपशंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त सिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ट, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पन्नेरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री

प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भोखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसेन खां (सम्भल), श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मूलचन्द, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे , राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री

रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशनसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्री कृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्री नाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री

सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ११ अगस्त, १९५९

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

इटावा में जमुना पुल राजघाट का ठेका

**१—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करगी कि वर्ष सन् १९५९ में इटावा में जमुना पुल राजघाट का ठेका कितने रुपये में हुआ ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—यह विषय सरकार के विचाराधीन है।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (अनुपस्थित)—क्या निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो ठेका सन् ५९ में अभी हुआ है तो इस ठेके को लेने के लिये इटावा के स्थानीय पत्रों में कोई सूचना नहीं दी गई थी इसकी शिकायत मंत्री जी के पास आयी है ? यदि हां, तो उस पर क्या विचार सरकार कर रही है ?

श्री गिरधारीलाल—सरकार के पास शिकायत आई थी। सरकार इस विषय में जांच कर रही है।

तारांकित प्रश्न

पंचायत राज मंत्रियों को उनके निवास स्थान से दूर रखने पर आपत्ति

*१—श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस वर्ष प्रदेश के जिले में होने वाले पंच सम्मेलनों एवं लखनऊ में होने वाले प्रदेशीय पंच सम्मेलन ने प्रस्ताव पास करके सरकार से सिफारिश की है कि संचालक पंचायतराज, उत्तर प्रदेश के इस आदेश को कि पंचायत मंत्रियों को उनके निवास स्थान से साधारणतया २५ मील री के बाहर रखा जाय, रद्द किया जाय ?

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)---जी नहीं।

*२---श्री मुक्तिनाथराय---यदि हां, तो इस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री जयराम वर्मा---प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मुक्तिनाथराय---क्या स्वायत्त शासन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार इसको सूचना मान कर कि उसे गलत सूचना दी गयी है इसका फिर से पता लगाने की कृपा करेगी ?

श्री जयराम वर्मा---सूचना तो मेरे पास सही है अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो बता सकता हूं।

श्री मुक्तिनाथराय---पंचायत के कर्मचारी अल्प वेतन भोगी कर्मचारी हैं और सरकार की नीति है कि अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को उनके घर के करीब रखा जाय, तो क्या सरकार संचालक, पंचायतराज को इस आदेश को रद्द करने के लिये कहेगी ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)---जी नहीं।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)---क्या यह सही है कि प्रदेशीय पंचायत सम्मेलन में इसी आशय से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव पास हुआ था ?

श्री जयराम वर्मा---इसकी सूचना शासन के पास नहीं है।

श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला रायबरेली)---क्या यह सही है कि डायरेक्टर, पंचायत-राज ने जो आदेश निकाला था वह इसलिये निकाला था कि इस प्रकार की शिकायत आयी थी कि जब पंचायत सेक्रेटरी नजदीक रहते हैं तो कार्य नहीं करते हैं ?

श्री जयराम वर्मा---जी हां।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---यदि पंच सम्मेलनों से ऐसी सिफारिश सरकार के पास नहीं आयी थी तो क्या पंचायत मंत्रियों का कोई प्रतिनिधि मंडल या उनकी तरफ से कोई प्रार्थना-पत्र सरकार के पास आया था कि इस आर्डर को रद्द कर दिया जाय ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---ऐसी कोई सिफारिश नहीं थी। सिर्फ दो सम्मेलनों से, एक सुल्तानपुर से और एक कहीं दूसरी जगह से आया था जिसमें एक ही सिफारिश थी कि इनका भत्ता कम है अगर भत्ता बढ़ जाय तब दूसरी जगह ट्रान्सफर किया जाय और इसको सरकार उचित नहीं समझती कि उनको घर के पास रखे।

श्री रघुरनतेज बहादुर सिंह (जिला गोंडा)---क्या सरकार की नीति यह है कि जिन पंचायत सेक्रेटरियों का कार्य ठीक न हो केवल उन्हीं को ट्रांसफर किया जाय ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---जी नहीं। उनके लिये यह है कि आम तौर से उनको ट्रांसफर किया जाय।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---क्या सरकार यह को मालूम है कि अपने घर से २५ मील की दूरी से बाहर हर सेक्रेटरी को रखना व्यावहारिक रूप से सम्भव नहीं है और यह देखते हुए अपने आदेश पर वह पुनर्विचार करेगी ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---जी नहीं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी इस बात की सूचना देंगे कि पंचायत सम्मेलन जो लखनऊ में हुआ था उसक सभी प्रस्ताव विभाग के पास आय थ या नहीं ?

श्री जयराम वर्मा—इसकी सूचना शासन के पास कोई नहीं आयी ।

*३–४—**श्री मदन पांडेय** (जिला गोरखपुर)—[दसवें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ७–८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*५–६—**श्री गोविन्दसिंह विष्ट** (जिला अल्मोड़ा)—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर पांचवे मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या २०–२१ के अन्तर्गत स्थगित किये गये ।]

जिला अन्तरिम परिषद्, अल्मोड़ा में गबन के मामले

*७—**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**—क्या सरकार को वित्तीय वर्ष १९५८–५९ में जिला अन्तरिम परिषद्, अल्मोड़ा में हुए कुछ रुपये के गबनों के मामलों का पता चला है । अगर हां, तो वे क्या-क्या हैं और किस-किस के ऊपर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री जयराम वर्मा—डीडीहाट प्रारम्भिक पाठशाला भवन निर्माण के सम्बन्ध में ठेकेदार के जमानत के १५० रुपये तथा खिरमंडे प्रारम्भिक पाठशाला के एक अध्यापक के वेतन के २०८ रुपये के गबनों का पता चला है । १५० रुपये के गबन के मामले में सर्वश्री गौरीदत्त पांडेय, धर्मानन्द लोहानी तथा ईश्वरीदत्त जोशी के विरुद्ध अभियोग की तफ्तीश जारी है । उक्त तीनों व्यक्ति जमानत पर छोड़ दिये गये हैं । २०८ रुपये के गबन के मामले में सर्वश्री गुलाबराय तथा धरमसिंह अध्यापकों के विरुद्ध जुडीशियल मैजिस्ट्रेट अल्मोड़ा के न्यायालय में अभियोग चल रहा है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या यह सही है कि इन मामलों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर पहले भी गबन के मुकद्दमे चले थे और सजा हुई हैं ?

श्री जयराम वर्मा—इसकी सूचना हमारे पास नहीं है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या यह सही है कि १३,००० रुपये का और गबन हुआ है उसका कोई अकाउन्ट नहीं रखा गया है और यह वह रुपया है जो एक-एक हजार रुपये का राजकीय अनुदान प्राइमरी स्कूलों को मिलता था लेकिन न कोई व्हाउचर है न कुछ ?

श्री जयराम वर्मा—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो १५० रुपये का गबन तीन व्यक्तियों का है और २५० रुपये के गबन के जो मुकद्दमें चल रहे हैं तो क्या सरकार ने उनको सस्पेंड कर रखा है या वह अपना काम कर रहे हैं ?

श्री जयराम वर्मा—इसकी ठीक सूचना नहीं है लेकिन पता ऐसा चला है कि ये अध्यापक सस्पेंड हो गये हैं ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह शिकायतें किस के द्वारा प्राप्त हुईं ?

श्री जयराम वर्मा—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि दो वर्ष पूर्व मैंने लिखित शिकायत की थी और लेटर भी लिखा था लेकिन मुझे ऐसा उत्तर मिला कि यह गोपनीय मामला है और इसको बताना पब्लिक इंटरेस्ट में ठीक नहीं होगा, क्या यह सही है ?

श्री जयराम वर्मा—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वे अध्यापक कब से सस्पेंड हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, इसकी डेफिनिट सूचना नहीं है। उन्होंने अन्दाज से कहा था। यदि ठीक चाहते हैं तो सूचना देनी होगी।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किस सरकारी कर्मचारी द्वारा जांच करायी गयी ?

श्री जयराम वर्मा—जिलाधीश के द्वारा।

श्री प्रतापसिंह—जिलाधीश ने जो रिपोर्ट दी है उसका संक्षिप्त विवरण मंत्री जी पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—वह दे चुके हैं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस जिला बोर्ड के खिलाफ बहुत से आरोप आये हैं और वह सही पाये गये तो वह मेरी मांग को स्वीकार करेंगे कि इसके ५–६ साल के एकाउन्ट्स का आडिट कराया जाय ?

श्री जयराम वर्मा—यह शिकायत जिला बोर्ड के खिलाफ नहीं है बल्कि कुछ व्यक्तियों के खिलाफ है।

झांसी जिले में पक्की सड़कों की कमी

*८—**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी** (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा कार्यों का संक्षिप्त विवरण १९५८–५९ पुस्तिका पन्ना ५ पर स्वतंत्रता के उपरान्त प्रति जिले में पक्की सड़कों की प्रगति बताते हुए झांसी जिले में १९४७ से ५८ तक ३ मील सड़क बनाई बताई गई है ? उक्त तीन मील कौन-सी सड़क है, जो बनायी गई है ?

राजस्व मंत्री के सभा-सचिव (श्री धर्मसिंह)—यह तीन मील लम्बी सड़क सैदपुर फार्म को जाने वाली सड़क है।

*९—**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त समय में केवल ३ मील ही सड़क बनने का क्या कारण है ?

श्री धर्मसिंह—जिला बोर्ड की सड़कों की हालत अच्छी नहीं थी और उनका पुनः निर्माण करना अत्यन्त आवश्यक था। इसलिये धनाभाव के कारण नई सड़कों का निर्माण नहीं किया जा सका।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में झांसी जिले में कितने मील लम्बी सड़क बनाने का टारगेट रखा गया था ?

श्री धर्मसिंह—जहां तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सम्बन्ध है झांसी में ३६ मील नई पक्की सड़क बनाने का आयोजन है और पिछड़े क्षेत्रों में सड़क सुधार क्षेत्र योजना के अन्तर्गत २७ मील लम्बी सड़क का आयोजन किया गया है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब ३६ मील लम्बी सड़क बनाने का आयोजन रखा गया था तो धनाभाव के कारण झांसी में ही केवल ३ मील लम्बी सड़क बन सकी है या अन्य जिलों में भी ?

श्री धर्मसिंह—झांसी में पहले से ही बहुत सड़कें थीं जैसा कि उत्तर में निवेदन किया गया है। कुछ पुरानी सड़कें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की चली आती थीं उनको ठीक किया गया है। इसलिये कम औसत पड़ा लेकिन धन उतना ही लगा है जितना और जिलों में लगा है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला बोर्ड की किन-किन सड़कों को ठीक कराया गया और उन पर सरकार ने कितना रुपया खर्च किया है ?

श्री धर्मसिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस तीन मील सड़क का जिक्र किया गया है वह पूरी सड़क कितनी लम्बी है ?

श्री धर्मसिंह—फिलहाल जो मेरे पास रिपोर्ट है उसके अनुसार केवल तीन ही मील का टुकड़ा पक्का किया गया है और वही लम्बाई है । उससे अधिक नहीं है ।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो जिला बोर्ड की सड़क बनायी गयी वह कितने मील लम्बी बनायी गयी है ?

श्री धर्मसिंह—जिले में १८८ मील ५ फर्लांग सड़कें जिला बोर्ड की थीं, उनका जिक्र किया गया है ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह तीन मील सड़क जनता के हित के लिये नहीं बल्कि सैदपुर फार्म के लिये बनायी गयी है ?

श्री धर्मसिंह—जहांतक फार्म का सम्बन्ध है वह स्टेट मेकैनाइज्ड फार्म है । जनता भी उसको इस्तेमाल करती है ।

तालबेहट टाउन एरिया के सदस्यों के विरुद्ध शिकायत

*१०—**श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तालबेहट, जिला झांसी की टाउन एरिया कमेटी के सदस्यों के विरुद्ध पक्षपात करने तथा कर्तव्यों का पालन न करने और पद का दुरुपयोग करने की शिकायतें दिसम्बर, ५८ तथा जनवरी, ५९ में क्षेत्रीय एम० एल० ए०, चेयरमैन टाउन एरिया, तथा अन्य लोगों की तरफ से आई थीं । यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जयराम वर्मा—जी हां । शिकायतों की जांच कराई गई और जिलाधीश द्वारा उचित आदेश जारी किये गये ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त शिकायतों के सम्बन्ध में किन-किन सदस्यों के विरुद्ध क्या-क्या शिकायतें सही पायी गयीं, जिन पर जिलाधीश ने आदेश दिया और कब ?

श्री जयराम वर्मा—कब आदेश दिया, इसके बारे में तो कहना कठिन है लेकिन जो शिकायतें थीं कुछ शिकायतें टैक्स के बारे में थीं कि टैक्स ज्यादा बकाया हो गया है । बात सही है । उसका कारण यह है कि १९५२–५५ तक के टैक्स के कागजात किसी अदालत में दाखिल थे । इस वजह से वसूली बन्द हो गयी थी । कुछ जो सम्बन्धित कर्मचारी था वह भी नहीं रहा । इसलिये देर हो गयी । यह भी सिपारिश की गयी थी कि बोर्ड को सुपरसीड कर दिया जाय लेकिन इसके लिये ऐसी बातें नहीं मिलीं कि उसको सुपरसीड कर दिया जाय । सब से बड़ा कारण तो इसमें यह रहा कि चेयरमैन का बहुमत बोर्ड में नहीं था इस वास्ते कुछ दलबन्दी के कारण झगड़ा होता रहा और चेयरमैन ने त्याग-पत्र अब दे दिया है । अब मेरा खयाल है कि शायद झगड़े कम हो जांय ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मंत्री जी बताने कि कृपा करेंगे कि उक्त चेयरमैन के त्याग-पत्र के बाद पुनः वही चेयरमैन निर्वाचित हुए हैं ?

श्री जयराम वर्मा---यह बात सही है कि वही फिर निर्वाचित हुए। इससे और बात साबित होती है कि शिकायतें शायद सही नहीं थीं।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जांच अधिकारी कौन थे और उनकी फाइंडिंग्ज क्या थीं ?

श्री जयराम वर्मा---जांच तो जिलाधीश से करायी गयी। शिकायतें यह थीं कि टैक्स के बारेमें बकाया है। टैक्स वसूल नहीं कर पाये। कुछ शिकायत....

श्री अध्यक्ष---यह तो आप बता ही चुके हैं।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तालबेहट टाउन एरिया कमेटी के जिन सदस्यों के विरुद्ध शिकायतें सत्य प्रमाणित हुई उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? वे अपने पद से निलम्बित किये गये या नहीं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---ऐसी कोई शिकायत साबित नहीं हुई जिसके बल पर निलम्बित किया जा सके।

श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वह कैसी शिकायत है ?

श्री अध्यक्ष---उसका तो वे जवाब दे चुके हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शिकायत में जहां पर अपने पद के दुरुपयोग का जिक्र आया है तो अपने पदों का क्या क्या दुरुपयोग किया है, यह बताने की कृपा करेंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---सबसे अधिक दुरुपयोग यह किया है कि आपस में झगड़ते रहे हैं और जो काम बोर्ड का है उसकी तरफ तवज्जह नहीं दी।

औद्योगिक श्रमिकों के क्वार्टर निर्माणार्थ ऋण के लिये आवेदन-पत्र

*११---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**---क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९५८-५९ में गृह निर्माण सम्बन्धी मंत्रियों के हुए सम्मेलन के पूर्व किन निजी उद्योगपतियों के औद्योगिक श्रमिकों के लिये क्वार्टर निर्माण कराने के हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों पर सिफारिश लिखकर भारत सरकार को भेजी गयी थी और उनमें से कितनों को ऋण प्राप्त हो चुका है तथा कितने क्वार्टरों का निर्माण हो गया है ?

श्री जयराम वर्मा---वित्तीय वर्ष १९५८-५९ में गृह निर्माण सम्बन्धी मंत्रियों के सम्मेलन होने के पूर्व राज्य सरकार ने किसी भी आवेदन-पत्र पर सिफारिश लिख कर भारत सरकार को नहीं भेजा था अस्तु, ऋण प्राप्त होने तथा क्वार्टरों के निर्माण का प्रश्न नहीं उठता।

*१२---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में सरकार के सम्मुख ऐसे कितने आवेदन-पत्र हैं जिन पर उपर्युक्त ऋण दिया जाता है ?

श्री जयराम वर्मा---वर्तमान वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार के सम्मुख अभी तक ऐसे १२ आवेदन पत्र हैं।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि ५८-५९ के अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर स्मृतिपत्रों के पृष्ठ संख्या ७२ पर.....

श्री अध्यक्ष—आप तो कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप प्रश्न पूछें।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—मैं यह कहना चाहता हूं कि अनुपूरक अनुदानों के बजट साहित्य के ७२वें पृष्ठ पर यह लिखा हुआ है कि राज्य सरकार भारत सरकार को अपनी सिफारिश के साथ भेज दिया करती थी, उसी को साफ करना चाहता था कि वह सही है या यह उत्तर सही है ?

श्री जयराम वर्मा—सम्मेलन के पूर्व किसी दरख्वास्त पर सिफारिश करके भारत सरकार को नहीं भेजा गया, यही पूछा गया था।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—श्रीमन्, मैंने अपने सवाल में सम्मेलन होने के पूर्व लिखा है और मैं उसको पढ़ के साफ कर दूं ताकि समझ में आ सके। उसमें लिखा हुआ है कि अभी हाल में भारत सरकार सीधे ही उद्योगपतियों को धनराशि दे देती थी और राज्य सरकार उद्योगपतियों से प्राप्त आवेदन-पत्रों को अपनी सिफारिश के साथ भारत सरकार को प्रेषित मात्र कर देती थी। इस कार्य-विधि में कुछ विलम्ब लगता था, अतः गृह निर्माण सम्बन्धी मन्त्रियों के सम्मेलन में यह निश्चय किया गया कि भविष्य में राज्य सरकारें स्वयं ही आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाहियां करेंगी जिन्हें इन परियोजनाओं को स्वीकार करने का अधिकार भी दे दिया गया है। इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित धनराशि की व्यवस्था इस योजना के लिये निर्धारित अधिकतम धनराशि से की जायगी और जो कमी पड़ेगी वह भारत सरकार पूरा कर देगी। राज्य सरकार ने इस योजना को स्वीकार कर लिया है। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि भेज दिया करती थीं, निर्माण मंत्रियों के सम्मेलन के बाद ही तो यह निश्चय हुआ, इससे यह साफ हुआ कि वह भेज दिया करती थीं।

श्री जयराम वर्मा—श्रीमान् जी, जैसा प्रश्न है उसका तो अर्थ यही निकलता है कि सम्मेलन से पूर्व। तो उससे पूर्व कोई दरख्वास्त सिफारिश करके हमने नहीं भेजी है। वह तरीका था कि भेज दिया करते थे, लेकिन सम्मेलन से पूर्व से मतलब कोई दस बीस साल पूर्व तो नहीं, है, उस सम्मेलन के थोड़ा पहले कोई प्रार्थना-पत्र सिफारिश करके नहीं भेजा।

स्टेट एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के सदस्य

*१३—**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश स्टैट एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कितने सदस्य नियुक्त किये गये हैं तथा उनमें से कितने सदस्य सरकारी अधिकारियों में से व कितने गैर सरकारी हैं ?

श्री धर्मसिंह—सात सदस्य नियुक्त किये गये हैं और वह सब सरकारी अधिकारी हैं।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह बोर्ड अस्थायी है या स्थायी ?

श्री धर्मसिंह—जी, फिलहाल यह तो गवर्नमेंट आफ इंडिया की हिदायत के मुताबिक बनाया गया है और जैसी हिदायत है उसी के अनुसरा बना हुआ है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस बोर्ड में कुछ और भी सदस्य नियुक्त होने वाले हैं ?

श्री धर्मसिंह—जहां तक सदस्यों का सम्बन्ध है केवल इतने ही सदस्य हैं। कोई और नहीं होने वाले हैं।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बोर्ड में सात सरकारी सदस्य रखे गये हैं और कोई भी गैरसरकारी सदस्य क्यों नहीं रखा गया ?

श्री धर्मसिंह—जिस ऐक्ट के आधार पर यह बोर्ड बना हुआ है उसमें सदस्यों की कुछ क्वालीफिकेशन्स दी हुई हैं। जो लोग उन क्वालीफिकेशंस को पूरा करते हैं वही रखे गये और जो रखे गये हैं वह उन क्वालीफिकेशन्स को पूरा करते हैं।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सही है कि बोर्ड के जो प्रधान और सेक्रेटरी हैं उनके पास कोई टेक्निकल क्वालीफिकेशन नहीं है और वह रखे गये हैं ?

श्री धर्मसिंह—जहां तक बोर्ड के चेयरमैन और सेक्रेटरी का सम्बन्ध है उनके पास टैक्नीकल क्वालिफिकेशन नहीं हैं लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियन्स है और एक स्टैंडिंगके लोग हैं। इसके अलावा और भी बहुत से आदमी इसमें हैं जो टैक्निकल आदमी हैं।

गाजीपुर जिले में पंचायत मंत्रियों के यात्रिक भत्ते का भुगतान न होना

*१४—**श्री मुक्तिनाथ राय**—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जिले में पंचायत मंत्रियों को सन् ५२ व सन् ५७ के विधान सभा के निर्वाचन के समय का यात्रिक भत्ता भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयराम वर्मा—(क) सन् १९५२ के सामान्य निर्वाचन में पंचायत मन्त्रियों की नियुक्तियां उनके केन्द्र स्थान पर ही की गयी थीं। अतः किसी मंत्री के यत्रिक भत्ता बिल के भुगतान का प्रश्न नहीं उठा।

(ख) सन् १९५७ के सामान्य निर्वाचन के सम्बन्ध में १३१ पंचायत मंत्रियों में से २५ पंचायत मंत्रियों को यात्रिक भत्ता जुलाई, अगस्त, १९५७ में दे दिया गया था। शेष पंचायत मंत्रियों के यात्रिक भत्ता बिल नियमित रुप में नहीं प्राप्त हुये थे। अतः ऐसे समस्त बिल आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करने के लिये सम्बन्धित क्षेत्रों को वापस कर दिये गये थे और अभी तक वापस नहीं प्राप्त हुए हैं।

श्री मुक्तिनाथराय—क्या स्वशासन मंत्री जी बतायेंगे कि जो मंत्री केन्द्रीय स्थानों पर नियुक्त किये गये हैं उन्हें यात्रिक भत्ता नहीं तो क्या डेली अलाउन्स देने की व्यवस्था है और डेली अलाउन्स उनको दिया गया ?

श्री जयराम वर्मा—जहां तक यात्रिक भत्ते की बात थी उसकी हम निश्चयरूप से जानकारी दे सकते हैं, लेकिन दैनिक भत्ते के बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है।

श्री मुक्तिनाथराय—क्या स्वशासन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन १०६ मंत्रियों का यात्रिक भत्ता बिल, नियमित रूप से न बनने के कारण, वापस कर दिया गया था तो मंत्रियों के कार्य का निरीक्षण करने वाले व्यक्तियों ने इस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री जयराम वर्मा—यह पंचायत मंत्रियों को ही दुरुस्त करना था उन्होंने ही दुरुस्त करके वापस नहीं किया।

श्री मुक्तिनाथराय—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि उनके पास ऐसी शिकायत नहीं आई कि मंत्रियों ने ठीक बनाकर दिया फिर भी वापस कर दिया गया और जो अधिकारी हैं वह इसमें दिलचस्पी नहीं लेते हैं, इसलिये कठिनाई होती है ?

श्री जयराम वर्मा—इसकी सूचना तो मेरे पास नहीं है।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि १०६ मंत्रियों के बिल का कितना रुपया सरकार के ऊपर बाकी है ?

श्री जयराम वर्मा—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

केदारनाथ घाट के समीप गंगा का कथित कटाव

*१५—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि गत सप्ताह से गंगा नदी ने केदार घाट के समीप (जिला टेहरी-गढ़वाल के उत्तर काशी टाउन एरिया के अन्तर्गत) अपना तट बहुत तेजी से काटना शुरू कर दिया है जिस से तटवर्ती बस्ती के लिये—भीषण खतरा पैदा हो गया है ?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं ।

*१६—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—यदि हां, तो एहतियात और तटवर्ती बस्ती के निवासियों के हटाने और पुनर्वास के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री धर्म सिंह—प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी नगरपालिका के लिपिकों की इन्सपेक्टर के पद पर पदोन्नति

*१७—श्री ऊदल (जिला वाराणासी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार ने सन् ४९ में कोई ऐसा जी० ओ० वाराणसी म्युनिसिपैलटी में भेजा था कि जो लिपिक के पदों पर कार्य कर रहे हैं उन्हें रेन्ट व टैक्स विभाग को छोड़कर बकिया विभागों में इंस्पेक्टर के पदों पर रक्खा जा सकता है ? यदि हां, तो क्या वाराणसी की म्युनिसिपैलटी उस जी० ओ० पर अमल कर रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं। दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

*१८—श्री ऊदल (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि वाराणसी म्युनिसिपल बोर्ड में इस वक्त कितने ऐसे इंस्पेक्टर कार्य कर रहे हैं जो लिपिक से इंस्पेक्टर बनाये गये हैं ? क्या लिपिक से इंस्पेक्टर के पद पर रखने के लिये योग्यता तथा सीनियरिटी का ध्यान रक्खा जाता है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—दस इंस्पेक्टर ऐसे हैं जो लिपिक से इंस्पेक्टर बनाये गये हैं। पदोउन्नति करने के पूर्व योग्यता, निपुणता तथा वरिष्टता (सीनियरिटी) आदि सभी विषयों पर पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाता है।

धमना गुरुसहाय तथा गरौठा तहसील में नहर बनाने पर अनुमानित व्यय से अधिक धन लगना

*१९—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि धमना गुरुसराय तथा गरौठा तहसील (झांसी) मे नहर बनाने का original एस्टीमेंट कितने रुपयों का था और वास्तव में व्यय कितना हुआ है ? यदि व्यय अधिक हुआ तो क्या उसके कारणों की जांच की रिपोर्ट वह सदन की मेंज पर रखेगी ?

श्री धर्मसिंह—५२,८७,००० रुपया का, अभी तक ९९,०४,६६० रुपया खर्च हुआ कारणों की जांच की जा रही हैं ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेगी कि ओरिजिनल एस्टीमेट से जो ४६,१७,६६० रुपया ज्यादा खर्च हुआ है उसके लिये सरकार से कोई स्वीकृति मांगी गई थी ?

श्री धर्मसिंह—सरकार से इजाजत मिलती रही और इनकी इत्तिला पर पैसा देती रही तभी तो वह खर्च कर सके।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या यह जो धनराशि एप्रोप्रियेशन अकाउन्ट से ली गई थी या विधान सभा से नई ग्रान्ट मांगी गई थी ?

श्री धर्मसिंह—जी हां। विधान सभा से ग्रान्ट मांगी गई थी ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---४६ लाख के लगभग रुपया ओरिजिनल एस्टीमेट से ज्यादा दिया गया तो जब यह ओरिजिनल एस्टीमेट से ज्यादा रकम दी गई तो इस बीच में सरकार ने कभी यह जानने की कोशिश की कि इसकी क्या वजह है ?

श्री धर्म सिंह---फिलहाल एक कमेटी बैठा रखी है उन्हीं कारणों की जांच करने के लिये कि क्यों अधिक पैसा लग गया ।

श्री गेंदासिंह---मेरा मतलब यह था कि जिस समय ४६ लाख के लगभग की रकम दी गई उस वक्त सरकार ने यह जानने की कोशिश की कि यह ज्यादा रकम क्यों मांगी जा रही है ?

श्री धर्मसिंह---विभाग की जैसे जैसे सूचना आती रही, मांग आती रही, उसी के आधार पर हम पैसा देते रहे ।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि ४६ लाख के लगभग रुपया ज्यादा खर्च हो जाने पर भी वह काम पूरा हो चुका है अथवा और अधिक उसमें खर्च होगा ?

श्री धर्मसिंह---करीब-करीब पूरा हो चुका है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि विभाग ने जो मांग की थी, जब मांग की थी, तो उस मांग की जांच फाइनेंस डिपार्टमेंट ने की थी या नहीं ?

श्री धर्मसिंह---जी हां । फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जांच की थी और वह लेजिस्लेचर में आयी थी और उसी के आधार पर उनको इजाजत दी गयी ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा---इस अधिक रुपये को जब विभाग ने मांगा तो क्या कारण बतलाया था ?

श्री धर्मसिंह---जो काम किया जा रहा था उसमें कमी पड़ी थी और यही सब से बड़ा कारण था । काम पूरा करना था, बीच में छोड़ा नहीं जा सकता था । उसके लिये रुपया मांगा गया और वह दिया गया ।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब विभाग ने रुपया मांगा और फाइनेंस ने उसको सेंक्शन किया तो कमेटी किस बात की जांच कर रही है ?

श्री धर्मसिंह---जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है और जो उत्तर दिया गया है उस का सम्बन्ध माताटीला बांध से है और जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है, यह ठीक है कि माताटीला में जो शुरुआत में एस्टीमेट था उस से ज्यादा पैसा खर्च हुआ । तो कमेटी समस्त माताटीला के लिये बैठायी गयी है और उसके अन्तर्गत यह भी आता है ।

चीफ कन्सरवेटर जंगल विभाग का सम्पूर्ण कार्यालय नैनीताल में कायम करने की प्रार्थना

*२०---श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जंगल विभाग के चीफ कन्सरवेटर के दफ्तर के लखनऊ के बजाय नैनीताल में रखने का क्या कारण है ?

श्री धर्म सिंह---चीफ कन्सरवेटर का दफ्तर उस मद के कायम होने के समय से ही नैनीताल में रहा है और कार्य के हित में यह अब भी वहीं है । कार्य के हित में ही चीफ कन्सरवेटर का एक कैम्प आफिस लखनऊ में है ।

श्री प्रतापसिंह--क्या सरकार यह देखते हुए कि सारा सर्किल आफिस नैनीताल में है इस कैम्प आफिस को पुनः नैनीताल ले जाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--वह तो वहां है ही ।

श्री प्रतापसिंह--इसी आदरणीय सदन में जो आश्वासन दिया गया था कि रिआर्गनाइजेशन की वजह से कैंप आफिस लखनऊ लाया गया था और इसलिये जब वह समाप्त हो गया तो उसको पुनः नैनीताल ले जाने पर सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री सैयद अली जहीर--यह तो कोई आश्वासन नहीं था । यह बतलाया गया था कि एक वजह कैंप आफिस लखनऊ में होने की यह भी है कि उस जमाने में रिआर्गनाइजेशन हुआ था । लेकिन इसके अलावा भी चूंकि गवर्नमेन्ट लखनऊ में रहती है इसलिये यह मुनासिब मालूम होता है कि कैम्प आफिस कम से कम लखनऊ में जरूर रहे ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या यह सही है कि दो जगह आफिस रखने से एक्सचेकर पर ज्यादा खर्च पड़ेगा ?

श्री सैयद अली जहीर--कुछ थोड़ा बहुत खर्च जरूर बढ़ गया है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है ।

इलाहाबाद में अर्धकुम्भी मेले के प्रबंध के लिये एहतियातें

*२१--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इलाहाबाद अर्धकुम्भी का मेला लगाने के सम्बन्ध में वहां के जिलाधीश को कोई आदेश भेजे हैं ? यदि हां, तो क्या ?

श्री जयराम वर्मा--कुम्भ तथा अर्द्ध कुम्भ मेले इलाहाबाद में हर छः वर्ष पश्चात् लगते हैं और इनके लिये किसी आदेश की आवश्यकता सामान्यतः नहीं पड़ती ।

*२२--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार के पास अर्धकुम्भी के मेले लगाने के लिये वहां के जिलाधीश ने कोई आय-व्ययक का बजट बनाकर भेजा है ? यदि हां, तो उस बजट के अनुसार कुल कितना धन व्यय होगा ?

श्री जयराम वर्मा--जी हां, जिलाधीश के बजट के अनुसार ९,८६,४०० रुपये के व्यय का अनुमान है ।

*२३--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि अर्धकुम्भी मेला लगाने के लिये अब तक क्या प्रबंध हो चुका है ?

श्री जयराम वर्मा--१९५४ कुम्भ दुर्घटना समिति की सिफारिशों के अनुसार मेलाधिकारी तथा एस०पी०मेला की देखरेख में प्रारम्भिक कार्यवाही की जा रही है । मुख्य कार्य वर्षा समाप्त होने पर किया जा सकता है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि कुम्भ दुर्घटना जांच समिति जो १९५४ में बैठी थी उसके अनुसार मेला लगाया जायगा या उसके लिये कोई विशेष आदेश भेजे गये हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--श्रीमन्, उसकी रिपोर्ट की हर बात नहीं मानी जा सकी । उसमें कुछ अन्तर करके, अधिक से अधिक उसकी बात मान कर चल रहे हैं ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उसकी कौन कौन सी विशेष बातें मानी गयी हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--उसमें यह था कि जैसे अखाड़े अपने हाथी वगैरह नहीं ले जा सकेंगे, वह हम नहीं रख सके हैं। इसी तरह से कुछ बातें ऐसी हैं कि जिसमें हम अन्तर नहीं कर सके बाकी प्रबंध करने के लिये, रास्ते ज्यादा बनाये जायं और कई जगह से लोगों के जाने के रास्ते रहें, यह सब हिदायतें दी गयी हैं।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि पिछले कुम्भ के अवसर पर जो हम लोगों को अनुभव हुआ उसके आधार पर नागाओं के जो जलूस निकलते हैं उनके ऊपर कोई रोकथाम करने का सरकार ने विचार किया है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--श्रीमन्, उस पर ज्यादा रोकथाम नहीं की गयी है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह ९ लाख का बजट है। यह मेला कमेटी द्वारा स्वीकृत हुआ है या जिलाधीश बना कर इसको भेजते हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--मेला कमेटी की भी स्वीकृति इसमें रहती है सिर्फ जिलाधीश की नहीं, लेकिन जिलाधीश भी अगर कोई चीज लिख कर भेजे और उसे हम जायज समझें तो हम वह कर सकते हैं और उसकी स्वीकृति दे सकते हैं।

कुमारी कमलकुमारी गोईंदी (जिला इलाहाबाद)--अर्धकुम्भ मेले के प्रबंध के लिये कौन-कौन सी सड़कें सुधारी जा रही हैं ?

श्री अध्यक्ष--यह तो बहुत ब्योरे का सवाल है, यदि आपको मालूम हो तो बतला दें।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--इसकी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है।

कुमारी कमलकुमारी गोईंदी--मैं इतना ध्यान सरकार का दिलाना चाहती हूं कि नैनी से अरैल गांव तक डेढ़ मील की सड़क को क्या मेटिल्ड करने का प्रबंध किया जा रहा है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--यह कैन्टूनमेन्ट की रोड है और केन्द्रीय सरकार को लिखा जा रहा है कि उसको चौड़ी और ठीक करा दे।

श्री प्रताप सिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि रिपोर्ट में अन्तर करने का क्या कारण है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--रिपोर्ट बदलने का कोई कारण नहीं है। उसकी जो सिफारिशें हैं उन सब को हम नहीं मान सके हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस बात की आशंका को ध्यान में रखते हुए कि पिछले मेले में जो झगड़ा हुआ था और उससे जो दुर्घटना हुई थी, वैसी परिस्थिति फिर न आने पाये और वैसी दुर्घटना न होने पाये, क्या इसका प्रबंध कर लिया गया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--हत्तुलइमकान इसका विधान किया जा रहा है।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उस मेले में जो वी० आई० पी० के कैम्प बने थे क्या वह इस अर्ध कुम्भ में भी रहेंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जितनी जरूरत समझी जायगी, जरूर रहेंगे।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार यह आदेश भेजेगी कि बांध के नीचे किसी प्रकार के वी०आई० पी० या किन्हीं अधिकारियों के कैम्प न लगाये जायें ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--ठीक परिस्थिति मैं समझ नहीं सका। मेरे सामने पूरी पिक्चर नहीं है इसलिये इस विषय में कोई उत्तर नहीं दे सकता।

श्री झारखंडे राय---पिछले कुम्भ में दुर्घटना का एक कारण यह भी था कि सवारियों के जलूस निकाले गये थे तो सवारियों के जलूस पर कोई रोक-थाम करने का सरकार विचार कर रही है कि जलूस पैदल निकलें ?

श्री विचित्र नारायणशर्मा---मैंने तो निवेदन किया कि उसके ऊपर कोई हम बंदिश नहीं लगा रहे हैं ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या सरकार गत कुम्भ कांड जो हुआ था उसके संबंध में जो वहां की गैर-सरकारी एक कमेटी बनी थी उस कमेटी ने दुर्घटना क्यों हुई और आगे क्या-क्या कार्यवाही होनी चाहिये , इस पर जो एक रपट प्रकाशित की है उस रपट को पढ़ करके उसके मुताबिक काम करेगी ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---श्रीमन्, मैं तो यह निवेदन कर रहा हूं कि उसमें जितनी बातें सरकार को उचित मालूम हुईं वह सब मान रही है ।

सिधौली तहसील के लिये जल-निकास योजना

*२४---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला सीतापुर के अन्तर्गत तहसील सिधौली में जनवरी, सन् १९५९ ई० से ३१ मई, सन् १९५९ ई० तक वाटर-लागिंग से होने वाली क्षति से बचाने हेतु जल-निकासी की योजनाओं के अन्तर्गत किन-किन स्थानों पर खारिजों का निर्माण किया गया है ?

श्री धर्म सिंह---प्रश्न में उल्लिखित अवधि में किसी खारजे का निर्माण नहीं किया गया है ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---श्रीमन्, इस प्रश्न का उत्तर मुझे १० बजकर ४५ मिनट पर सदन ही में मिला है , तो ऐसी व्यवस्था करा दें जिससे उत्तर समय पर मिल जाया करें।

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त अवधि के पहले या बाद में कहीं खारजों का निर्माण किया गया है ?

श्री धर्मसिंह---जहां तक सीतापुर जिले की सिधौली तहसील का संबंध है कुछ योजनायें हैं जिनके लिये रुपया इत्यादि भी स्वीकार हो गया है और वह कार्यान्वित की जायेंगी ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील सिधौली के कितने क्षेत्रफल में वाटर-लागिंग से पानी भरा रहता है जिसके कारण खारजों का निर्माण आवश्यक है ?

श्री धर्म सिंह---जहां तक क्षेत्रों का संबंध है उसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

दिपवल के किसानों से नहरी सिंचाई की गलत वसूली

*२५---**श्री सजीवनलाल**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नहर शारदा ब्रांच लखनऊ से निकलने वाला रजबहा सरेहरी पर स्थित ग्राम दिपवल, जो उन्नाव जिले में है, के किसानों को खेतों में गन्ना न होने पर भी गन्ना और रबी दोनों फसलों की सिंचाई १३६६ फसली की पड़ गई है ?

श्री धर्म सिंह---जी हां, यह कुछ हद तक सही है ।

श्री सजीवनलाल---क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह किस हद तक सही है और जिस हद तक सही है उस हद तक इस अन्याय को दूर करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किया ?

श्री धर्म सिंह--जो इसका कम्पेन्सेशन इत्यादि था और जो बात सही या गलत थी उसको उसी प्रकार ठीक कर दिया गया है जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं।

श्री सजीवनलाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो दोहरी सिंचाई किसानों को पड़ गयी है उसकी वापसी के विषय में कोई विचार है ?

श्री धर्म सिंह--अगर वह नियमों के अन्तर्गत आते हैं तो अवश्य है।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने इस बात की जांच करायी है कि वह कौन आदमी इसके लिये जिम्मेदार है कि जिन किसानों के खेत में गन्ना नहीं था उनसे भी सिंचाई ली गयी? यदि सरकार ने जांच करायी तो उसके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही अब तक की ?

श्री धर्म सिंह--इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता है, बहुत डिटेल का सवाल है।

श्री भुवनेश भूषण शर्मा--अभी मंत्री जी ने कहा कि "हां, कुछ ऐसी शिकायतें थीं और उनमें दुरुस्ती कर दी गयी" और फिर चूंकि मंत्री जी ने यह कहा कि "अगर वापस होने के नियम के अन्तर्गत आते होंगे तो होगा" तो क्या इसको स्पष्ट करेंगे कि जिन व्यक्तियों ने गलती की है उनको निलंबित किया गया, या उनके ऊपर कोई केस चलाया जा रहा है ?

श्री धर्म सिंह--केसेज चलाने का कोई प्रश्न नहीं होता है। जहां तक इर्रीगेशन का संबंध है अगर ऐसे चार्जेज लगाये जाते हैं और मालूम होता है कि वह ठीक है तो उचित कार्यवाही की जाती है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसमें कोई ऐसा नियम बना है या नहीं कि अगर किसी से अनधिकृत वसूली कर ली जाय तो वह वापस कर देनी चाहिए ?

श्री धर्म सिंह--जी हां, अगर अधिक कर ली जाती है तो इस तरह का नियम है कि वापस कर दी जाती है।

सिकन्दराराऊ और हाथरस तहसीलों में नालों का निर्माण

*२६--श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ट (जिला अलीगढ़)--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिकन्दराराऊ तहसील के सुहावली नाले के सर्वेक्षण हो जाने पर उसके प्रोजेक्ट एस्टीमेट तथा भूमि लेने का कार्य कब पूरा हुआ और इस नाले के निर्माण-कार्य के लिये कितना रुपया मंजूर हो चुका है ?

श्री धर्म सिंह--सुहावली नाले का एस्टीमेट १६ मई, १९५९ को २,६२९ रु० का मंजूर हो चुका है और भूमि प्राप्त करने के कागजात जिला नियोजन अधिकारी अलीगढ़ को भेजे गये हैं।

*२७--श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस नाले का निर्माण-कार्य कब समाप्त हो जायगा?

श्री धर्म सिंह--अगस्त, १९५९ के अन्त तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

*२८--श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिकन्दराराऊ और हाथरस तहसील में कौन-कौन नये नाले बन रहे हैं और उनमें से वर्षा के पूर्व तक कौन-कौन नाले बन जायेंगे ?

श्री धर्म सिंह—सिकन्दराराऊ और हाथरस तहसीलों में जिन नालों के निर्माण का प्रस्ताव है या जो नाले निर्माण हो रहे हैं उनकी सूची संलग्न है। इनमें से केवल जलालपुर, ड्रेन लहरा अबरनपुर ड्रेन और धनौली-चनौली ड्रेन का निर्माण कार्य समाप्त हो चुका है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १७७ पर)

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि तहसील हाथरस की १५ ड्रेन्स जो गतवर्ष बनने को थीं वह इस वर्षा के पूर्व भी नहीं बन सकी हैं, इसका क्या कारण है और इस पर कुल कितना व्यय होने की संभावना है ?

श्री धर्म सिंह—जहां तक सिकन्दराराऊ और हाथरस का सवाल है, जैसा मैंने निवेदन किया वहां पर कुछ नाले पूरे हो चुके हैं, कुछ पर कार्य चल रहा है और कुछ पर मिट्टी डाली जा रही है और बाकी का सर्वेक्षण किया जा रहा है। जहां तक धन का संबंध है वह पृथक्-पृथक् है जिसका टोटल फिलहाल मेरे पास नहीं है।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जलालाबाद रेंज, जिसका जिक्र किया गया है उसके लिये जून तक जमीन नहीं प्राप्त हो सकी थी तो वह जमीन कब प्राप्त हुई ?

श्री धर्म सिंह—जहां तक जमीन प्राप्त होने का संबंध है, मेरे पास डिटेल्स नहीं है जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार यह बन चुका है और पूरा हो चुका है।

*२९-३०—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—[हटा दिये गये।]

अध्यक्ष नोटीफाइड एरिया, दुगड्डा के विरुद्ध गबन की शिकायत

*३१—**श्री त्रिलोकी सिंह** (जिला लखनऊ)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अध्यक्ष, नोटीफाइड एरिया, दुगड्डा, जिला गढ़वाल के विरुद्ध कुछ शिकायत सरकार अथवा स्थानीय अधिकारियों को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उन शिकायतों की जांच का क्या फल निकला और वह शिकायत किस प्रकार की थीं।

श्री जयराम वर्मा—(क) जी हां।

(ख) जांच से पता चला कि कमेटी के धन का प्रयोग अध्यक्ष के काम में हुआ।

(ग) शिकायत में अध्यक्ष पर गबन का आरोप लगाया गया था।

श्री प्रताप सिंह—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस अध्यक्ष के खिलाफ गबन का आरोप लगाया गया और जो रुपया उनके निजी काम में लाया गया, उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री जयराम वर्मा—अध्यक्ष ने बोर्ड के टैक्स का कुछ रुपया अपने भतीजे से वसूल करवाया और अपने काम में लगाया। इसकी जांच हो रही थी और उनको पता चला तो उन्होंने वह रुपया जमा कर दिया लेकिन बाद की तारीख में जमा किया। उन्होंने एक कर्मचारी से उसकी एन्ट्री करा ली और अंक लिपिक तथा सेक्रेटरी से कहला दिया कि रुपया बाद में वसूल हुआ। लेकिन जब जांच हुई तो उन कर्मचारियों ने इस बात को स्वीकार किया कि उन्होंने दबाव में ऐसा कह दिया था। उस जांच के फलस्वरूप उन पर रुपये के दुरुपयोग और जालसाजी के आरोप लगाये गये हैं और नगरपालिका अधिनियम की धारा ४० और ४८ के अनुसार उनको अध्यक्ष पद और सदस्यता से हटाने की कार्यवाही चल रही थी कि इसी बीच में उनका एक प्रार्थना-पत्र आया कि मेरी जान खतरे में है, लोग मुझे मार डालना चाहते हैं, मैं इस्तीफा देना चाहता हूं और उन्होंने इस्तीफे की एक कापी कमिश्नर के पास भी भेज दी थी। इसलिये इस बीच में जब तक कि उनका इस्तीफा स्वीकार न हो जाय तब तक के लिये कार्यवाही रोक दी गई है।

श्री प्रताप सिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब उन्होंने सरकारी रुपये का गबन किया तो उनके ऊपर कोर्ट में केस क्यों नहीं चलाया गया ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---श्रीमन्, मालूम यह हुआ कि उनका इन्टेन्शन रुपये दबाने का नहीं था बल्कि १०-१५ दिन के लिये उनके भतीजे ने ऋण के तौर पर, उन पर तकाजा होने पर जमा करने के लिये दे दिया और उसको बाद में उन्होंने जमा कर दिया। उनका इन्टेन्शन कोई रुपया दबाने या चुराने का नहीं था बल्कि सामयिक तौर पर उन्होंने ले लिया था इसलिये उतना सख्त व्यू न लेकर लीनिएन्ट व्यू लिया जा सकता है।

श्री त्रिलोकी सिंह---क्या सरकार को पता है कि इन्हीं चेयरमैन के खिलाफ साल भर पहले यही खाने-पीने की शिकायत थी और सरकार ने उस मामले को चेतावनी देकर समाप्त किया था ?

श्री जयराम वर्मा---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री गेंदा सिंह---क्या सरकार को पता है कि वह चेयरमैन साहब इस समय भी, इस्तीफा दे देने के बाद भी, चेयरमैनी के पद पर काम कर रहे हैं ?

श्री जयराम वर्मा---मेरे ख्याल से चेयरमैनी के पद पर कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री गोविंद सिंह विष्ट---क्या यह सही है कि वह चेयरमैन साहब कांग्रेस के एक बड़े कर्मठ कार्यकर्त्ता हैं ?

श्री जयराम वर्मा---इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। यह प्रश्न कर्त्ता को ज्यादा मालूम होगा।

श्री शिव प्रसाद नागर---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह शिकायत जनता की थी या किसी सदस्य की या किसी सरकारी कर्मचारी की ?

श्री जयराम वर्मा---एक श्री नैथानी द्वारा आई थी।

श्री श्रीकृष्ण दत्त पालीवाल---क्या उन अध्यक्ष महोदय का खाना-पीना अब भी चल रहा है या उन्होंने निर्जला एकादशी शुरू कर दी है ?

श्री अध्यक्ष---वह अब अध्यक्ष हैं ही नहीं।

श्री भुवनेश भूषण शर्मा---सरकार ने यह जांच किसके द्वारा कराई कि रुपया उन्होंने मार रखने के लिये नहीं बल्कि आलस्य द्वारा ऐसा हुआ ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---इसके कागजात लेकर वह खुद मेरे पास आये थे। जब मुझे यह तसल्ली हो गई कि रुपया चुराने की नीयत से नहीं किया, और चुरा भी नहीं सकते थे क्योंकि वह बहुत प्रतिष्ठित आदमी हैं, तब मैंने लीनियेंट व्यू लिया।

नगरपालिका कालपी से सम्बद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत

*३२---**श्री रामस्वरूप वर्मा** (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)---क्या स्वायत्त शासन मंत्री के पास दिनांक १५-५-५९ की कोई दरख्वास्त नगरपालिका कालपी, जिला जालौन से सम्बद्ध भ्रष्टाचारी अवैधानिक व पक्षपातपूर्ण कार्यों के विरुद्ध जांच की मांग के संबंध में वहां के नागरिकों द्वारा भेजी गई थी ? यदि हां तो सरकार ने उस संबंध में क्या कार्यवाई की ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---जी नहीं।

गांवों में गृह निर्माणार्थ केन्द्र से प्राप्त अनुदान का वितरण

*३३--श्री सजीवनलाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गांवों में मकानों के निर्माण के लिये प्रदेशीय सरकार को भारत सरकार द्वारा हाल में यानी १९५९ में कितनी धनराशि मंजूर की गई है और इसे वह जिलेवार किस आधार पर वितरित कर रही है ?

श्री जयराम वर्मा--गांवों में मकान बनाने के लिये राज्य सरकार को भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष १९५९-६० में ५० लाख रुपये की धनराशि स्वीकार हुई है । यह रुपया विभिन्न जिलों को उनकी मांग के अनुसार दिया जाता है ।

श्री सजीवनलाल--सरकार ने जिलों को रुपया देने का क्या माप दंड रखा है ?

श्री जयराम वर्मा--यह देखा जाता है कि किस गांव में लोगों के पास मकान बनाने के लिये जमीन है और ३७५ गांव ऐसे छांटे गये हैं जहां यह योजना लागू की जायगी। वे १५६ एन० ई० एस० ब्लाक्स में हैं ।

श्री चन्दजीत यादव--क्या राज्य सरकार ने भारत सरकार से इतनी ही धनराशि मांगी थी और सरकार की ओर से मकानों का कोई नक्शा निर्धारित है कि उसी के अनुसार मकान बनाये जावें ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--यह योजना नई है और अभी बहुत सी तफसीलें इसकी साफ नहीं हुई हैं । गांव अधिक होने से हर गांव के लिये रुपया नहीं दे सकते । कुछ गांव ले लिये जाते हैं जिनकी हमारे पास सूचना वगैरह होती है । हमने भारत सरकार से ज्यादा मांगा था ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--गांवों के छांटने का आधार क्या है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--अभी कोई खास आधार नहीं बनाया गया है करीब-करीब सभी गांव इसमें आ सकते हैं । जहां हम सुविधा से प्रबन्ध करा सकते हैं वहां पहले कोशिश करते हैं ।

कुमारी कमलकुमारी गोईन्दी--३७५ गांवों की लिस्ट क्या सरकार मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष--यह अब नहीं रखी जा सकती है । बहुत बड़ी होगी ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--इस रुपये से ऋण दिया जाता है या अनुदान या दोनों ? यदि हां, तो कितना-कितना ?

श्री जयराम वर्मा--केवल ऋण दिया जाता है और प्रति व्यक्ति १,५०० रुपये दिया जाता है ।

श्री भुवनेश भूषण शर्मा--ऋण नकद दिया जाता है या सीमेंट और लोहे के रूप में कंट्रोल्ड रेट पर दिया जाता है ?

श्री जयराम वर्मा--नकद दिया जाता है, अगर कोई सीमेंट चाहे तो वह भी दी जा सकती है ।

श्री देवनारायण भारतीय--क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि गत वर्ष जिन गांवों की एक सिरे से दूसरे सिरे तक तबाही हो गई थी उनको पहले रुपया दिया जाय ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--यह रुपया वापस करने की बात है । अगर रुपया खतरे में न पड़े और प्रबन्ध हो सके तो इस पर विचार किया जा सकता है ।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)---क्या यह सही नहीं होगा कि जब सूबे के हर गांव में इस मदद की जरूरत है तो हर जिले को बराबर रुपया बांट दें ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--इंसाफ से तो बराबर वैसे भी नहीं बांट सकेंगे क्योंकि आबादी और जरूरतों में बहुत अन्तर है ।

*३४-३५--श्री त्रिलोकी सिंह--[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण २५ अगस्त, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।

खीरी जिले की बौठा तथा फरदहन माइनर नहरों के पूरे समय न चलने की शिकायत

*३६--श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष जनवरी से १५ जून तक खीरी कैनाल के अन्तर्गत बौठा माइनर कितने दिन चला, कितने एकड़ जमीन सींची गई और माइनर की सफाई में कितना रुपया खर्च हुआ ?

श्री धर्मसिंह--३८ दिन । ३२० एकड़ क्षेत्र की सिंचाई हुई और सफाई पर २८७ रुपया व्यय हुआ ।

*३७--श्री बंशीधर शुक्ल--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला खीरी में कितने ऐसे माइनर हैं जो एक हफ्ता चल कर फिर एक हफ्ता बन्द रहते हैं ?

श्री धर्मसिंह--कोई नहीं ।

*३८--श्री बंशीधर शुक्ल--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवकली माइनर और फरदहन माइनर की इस वर्ष (यानी सन् १९५९ में) सफाई में कितना रुपया खर्च हुआ ?

श्री धर्मसिंह--खीरी जिले में देवकली नामक कोई माइनर नहीं है । फरदहन माइनर की सफाई में ४९२.५० रुपया व्यय हुआ है ।

श्री बंशीधर शुक्ल--बौठा माइनर केवल ३८ दिन ही क्यों चला ?

श्री धर्मसिंह--जनवरी में २.१५ इंच वर्षा हो गई थी, इसलिये जनवरी, फरवरी और मार्च में बन्द रहा ।

श्री बंशीधर शुक्ल--और भी कोई माइनर बन्द रहे ?

श्री धर्मसिंह--सूचना चाहिये ।

श्री बंशीधर शुक्ल--किस ठेकेदार द्वारा सफाई हुई और कब हुई ?

श्री धर्मसिंह--नोटिस की आवश्यकता है ?

श्री शिवप्रसाद नागर--जब खीरी रजबहे में पानी बराबर चलता रहा तो बौठा माइनर जो कि इलाका भूड़ का है और वहां गन्ने की काश्तकारी होती है, वह क्यों बन्द रहा ?

श्री धर्मसिंह--मेरे पास सूचना इस समय बौठा माइनर की ही है ।

श्री बंशीधर शुक्ल--२८७ रुपया बौठा माइनर की सफाई में खर्च हुआ और फरदहन माइनर में ४९२ रुपये खर्च हुये, तो क्या मंत्री जी ने इनकी रसीदें देखी हैं ? अगर हां, तो उन्हें जनता के सामने पेश कर दें । उन्होंने देखी वेखी नहीं, यूं ही झूठमूठ लिख दिया । सब इंजीनियर खा गये । मंत्री जी हमारे साथ चल कर इसकी जांच करें ।

श्री अध्यक्ष--यह सब आप लिख कर उनके पास भेज दें ।

कोल असला परगने में नहर निर्माण योजना

*३९---श्री ऊदल (अनुपस्थित)---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परगना कोल असला, जिला वाराणसी में नाद नदी के उत्तर जो गांव पड़ते हैं उनकी सिंचाई करने के लिये शारदा कैनाल से पानी देने की सरकार ने कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री गिरधारी लाल---जी हां। २६.१ मील लम्बी ७ नहरें बनाने की योजना।

प्राविडेंट फंड आदि से बचत बढ़ाने के लिये वर्किंग ग्रुप का संघटन

*४०---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार तृतीय पंचवर्षीय योजना के सिलसिले में प्राविडेंट फंड, जीवन बीमा तथा बचत के दूसरे तरीकों का क्षेत्र बढ़ाने एवं उन्हें सर्वव्यापी करने का विचार कर रही है ? अगर हां तो वह क्या है ?

श्री धर्म सिंह---तृतीय पंचवर्षीय आयोजना के निमित्त संसाधन जुटाने के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक वर्किंग ग्रुप संगठित किया गया है। प्राविडेंट फंड इत्यादि विभिन्न साधनों द्वारा बचत की रकमें एकत्रित करने की संभावनाओं पर यह ग्रुप स्वाभाविक रीति से विचार करेगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्किंग ग्रुप के सदस्य कौन-कौन हैं और इसकी रिपोर्ट कब तक आ जाने की संभावना है ?

श्री सैयद अली जहीर---यह सूचना तो इस वक्त मेरे पास नहीं है।

*४१---श्री बलदेव सिंह---[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण २५, अगस्त १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

*४२---४३---श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)---[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण २५ अगस्त, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

रिहन्द बांध के ठेके की जांच रिपोर्ट

*४४---४५---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर गया है कि रिहन्द बांध का जो ठेका मेसर्स इंगलिस एलेक्ट्रिक कम्पनी को दिया गया था उसकी जांच करने के लिये बनाई गई समिति ने अपनी रिपोर्ट एक भूतपूर्व चीफ इंजीनियर (विद्युत् विभाग, उत्तर प्रदेश) को माननीय मंत्री महोदय को पूरे तथ्य न बताने का दोषी ठहराया है और विद्युत् विभाग के कार्यों में अनेक दोष बताते हुये उनकी कड़ी निन्दा की है ?

अगर हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जांच समिति ने उपर्युक्त दोनों बातों के बारे में क्या लिखा है और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री धर्म सिंह---समिति की रिपोर्ट अभी सरकार के विचाराधीन है और वह गोपनीय है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह बतायेगी कि रिपोर्ट कब से विचाराधीन है और उस पर निर्णय हो जाने की संभावना कब तक है ?

श्री धर्म सिंह---अभी तो यह रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की गई है। इस पर कब तक निर्णय होगा, यह बताना अभी कठिन है क्योंकि यह रिपोर्ट बहुत बड़ी है, उसको बहुत देखना पड़ेगा तब जाकर उसमें निर्णय होगा। दूसरे, अभी यह गोपनीय है।

श्री गदा सिंह--क्या मंत्री जी उन कारणों पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे कि वह गोपनीय क्यों है ?

श्री धर्म सिंह--अभी तो उसमें छानबीन की गई है कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है, इसलिये फिलहाल गोपनीय है ।

श्री गेंदा सिंह--क्या इसलिये गोपनीय रखी गई है कि यह खतरा था कि अगर रिपोर्ट निकल जायगी तो उसमें से कुछ कागजात गायब हो जायेंगे ?

श्री धर्म सिंह--ऐसी बात नहीं है । गोपनीय इसलिये रखी गयी है कि उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया ।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि प्रश्न में जिन चीफ इंजीनियर का जिक्र है क्या वह सरकार की अब भी ऐक्टिव सर्विस में हैं ?

श्री धर्म सिंह--जी नहीं ।

श्री देवनारायण भारतीय--क्या सरकार जब किसी निर्णय पर पहुंच जायगी तो सदन को उससे सूचित करेगी ?

श्री धर्म सिंह--यदि इस संबंध में सदन या कोई माननीय सदस्य जानना चाहेंगे तो सूचना दी जायगी ।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि क्या इसी कंपनी ने खटीमा पावर हाउस में मशीनें सप्लाई की थीं ? वहां वे मशीनें टूट गयीं और फिर भी उसी कंपनी को रिहन्द में ठेका दे दिया गया ?

श्री धर्म सिंह--यह बात ठीक है कि खटीमा में उसी कम्पनी को ठेका दिया गया था लेकिन यह गलत है कि मशीनें टूट गयीं ।

श्री झारखंडे राय--जब वे इंजीनियर साहब ऐक्टिव सर्विस में नहीं हैं तो उनकी क्या पोजीशन है ? क्या वे रिटायर हो गये हैं ?

श्री धर्म सिंह--जैसा कि मैंने कहा, वे सर्विस में नहीं है, रिटायर हो गये हैं ।

सिंचाई कार्यशाला वृत्त, कानपुर का नानकचन्द शादीराम फर्म के साथ इकरारनामा

*४६--श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन् १९५५ में नानकचन्द शादीराम, डिप्टी का पड़ाव, कानपुर फर्म से सिंचाई कार्यशाला वृत्त, कानपुर ने लोहे की इम्पोर्टेड प्लेट्स आदि खरीदने का कोई इकरार-नामा किया था ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री धर्म सिंह--जी हां, उस मामले में छानबीन की जा रही है ।

*४७--श्री जंगबहादुर वर्मा--क्या यह सही है कि उक्त फर्म को इकरारनामे के अनुसार ७०० प्रति टन रुपया अदा न करके उससे अधिक यानी १,११५ रुपया प्रति टन अदा किया गया, अंत में सरकार को एक लाख आठ हजार रुपया अधिक पेमेंट करना पड़ा ? यदि हां, तो क्या सरकार उस अधिकारी की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री धर्म सिंह--अभी छानबीन पूर्ण नहीं हुई इसलिये रिपोर्ट को सदन के सामने रखने का प्रश्न नहीं उठता ।

*४८—**श्री जंग बहादुर वर्मा**—उस वक्त फर्म के उपर्युक्त लेन-देन के संबंध में हुए ऐक्सेस पेमेंट के बारे में विधान सभा के किसी सदस्य ने सन्, १९५८ व १९५९ में कार्यवाही करने के हेतु माननीय सिंचाई मंत्री को पत्र लिखे थे ? यदि हां, तो उसके बाद सरकार ने क्या कार्यवाही की और अधिक पेमेंट करने का आदेश देने वाले उच्चाधिकारियों के खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री धर्म सिंह—सिंचाई मंत्री को किसी सदस्य द्वारा भेजे गये पत्र की सूचना तो नहीं है किन्तु मुख्य मंत्री को १० मई, १९५९ को श्री राम स्वरूप वर्मा की ओर से एक पत्र अवश्य प्राप्त हुआ था। चूंकि मामले में छानबीन की जा रही है इसलिये कार्यवाही करने का प्रश्न अभी नहीं उठता।

श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि एकरारनामा किया गया है या नहीं ?

श्री धर्म सिंह—जी हां, एकरारनामा किया गया है।

श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या सरकार एकरारनामे की मुख्य-मुख्य बातें बतलाने की कृपा करेगी ?

श्री धर्म सिंह—जहां तक एकरारनामे की रिपोर्ट का संबंध है, उसकी सर्टिफाइड कापी अभी उपलब्ध नहीं हो सकी है इसलिये बतलाना संभव नहीं है।

श्री राजनारायण—यह सर्टिफाइड कापी कहां से उपलब्ध होनी है ?

श्री धर्म सिंह—विभाग से।

श्री राजनारायण—यह सरकारी विभाग है या गैर सरकारी ?

श्री धर्म सिंह—सरकारी विभाग है।

*४९-५१—**श्री शिवराज बहादुर** (जिला बरेली)—[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण २५ अगस्त, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

छिबरामऊ टाउन एरिया को नगरपालिका घोषित करने की कार्यवाही

*५२—**श्री कोतवाल सिंह भदौरिया** (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले की छिबरामऊ टाउन एरिया कब तक म्युनिसिपैलिटी घोषित कर दी जायगी ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—छिबरामऊ टाउन एरिया को म्युनिसिपैलिटी घोषित करने संबंधी प्रस्ताव आपत्ति, व सुझाव के लिये प्रकाशनार्थ भेज दिया गया है और ये आपत्तियां व सुझाव, दिनांक, १६ अगस्त, १९५९ तक मांगे गये हैं, उन पर विचार हो चुकने के उपरान्त ही घोषणा करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

जालौन तथा उरई का विद्युतीकरण

*५३—**श्री गरीबदास** (जिला जालौन)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जालौन तथा उरई में कब तक निश्चित रूप से बिजली पहुंच जायगी ?

श्री गिरधारी लाल—इन नगरों का विद्युतीकरण हो चुका है।

नोट—तारांकित प्रश्न ४८ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

पंचायत मंत्रियों को भत्ता

*५४—श्री गरीबदास—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पंचायत मंत्रियों को वेतन के अतिरिक्त गांव सभाओं द्वारा कितना मासिक भत्ता दिया जाता है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—पंचायत मंत्रियों को वेतन के अतिरिक्त २ रुपये प्रतिमास प्रति गांव सभा के हिसाब से मासिक भत्ता दिया जाता है ।

*५५—श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह—[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण २५ अगस्त, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

गोरखपुर नगरपालिका की आडिट रिपोर्ट की मांग

*५६—श्री अब्दुल रऊफ लहरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर नगरपालिका का १९५७–५८ और १९५८–५९ का आडिट हो गया ? यदि हां तो नगरपालिका में आडिट रिपोर्ट के अनुसार कितने का गबन है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—वर्ष १९५७–५८ तथा १९५८–५९ के आडिट नोट की प्रति अभी प्राप्त नहीं हुई है । अतएव गबन के विषय में इस समय कुछ नहीं कहा जा सकता है ।

*५७—श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या सरकार आडिट रिपोर्ट की एक नकल सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी और यह भी बताने की कृपा करेगी कि संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—क्योंकि शासन को आडिट रिपोर्ट की प्रति प्राप्त नहीं हुई है, अतः इसका प्रश्न नहीं उठता ।

पीलीभीत जिले से वन विभाग कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें

*५८—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पीलीभीत जिले से सरकार के पास कितनी शिकायतें वहां के बन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध सन् १९५८–५९ में आई हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—सन् १९५८ व १९५९ में पीलीभीत जिले से वहां के बन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कुल ५ शिकायतें आई हैं ?

दोहरीघाट पम्प नहर अधिगृहीत भूमि का मुआवजा मिलना

*५९—श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दोहरीघाट पम्प नहर में पिढ़वल, मरथिया, कादीपुर, मूंगेसर, सिकरैर, वेला सुल्तानपुर, दरियाबाद, मझवार, खैरा मुहम्मदपुर, मलेरीकोट, और लखनीमुबारकपुर गांवों की ली गई भूमि का मुआवजा अब तक क्यों नहीं दिया गया ?

श्री गिरधारी लाल—भूमि अवाप्ति अधिनियम (Land Acquisition Act) की धारा ६ (१) के अंतर्गत विज्ञप्ति न होने के कारण मुआवजा अभी नहीं बंटा है ।

जाल्हूपुर कटेहर व सुल्तानीपुर परगनों में नलकूप लगाने की आवश्यकता

*६०—श्री लोकनाथ सिंह (जिला वाराणसी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि परगना जाल्हूपुर कटेहर व सुल्तानीपुर, जिला वाराणसी में सन् १९५९ ई० में कितने ट्यूबवेल लगाये जाने वाले हैं ।

श्री गिरधारी लाल—इन स्थानों में इस वर्ष कोई नलकूप नहीं लगाये जाने वाले हैं ।

आजमगढ़ जिले में गांवों को ऊंचा करने का काम

*६१—श्री राम सुन्दर पांडेय—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में कौन-कौन गांव हैं जिनके कुछ भाग बाढ़ विभाग द्वारा ऊंचे किये गये हैं तथा शेष भाग नीचा पड़ा हुआ है ?

श्री गिरधारी लाल—इस प्रकार के गांवों की सूची सदन की मेज पर रखी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १७८ पर)

अलीगढ़ ड्रेन की खुदाई से क्षति

*६२—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री दिनांक १८ फरवरी, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ११ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वे यह अनुभव नहीं करते थे कि अलीगढ़ ड्रेन को १४ से २२ मील के बीच २२ ठेकेदारों द्वारा वर्षा से पूर्व काम पूरा नहीं होने पर बुलन्दशहर जिले के ८२ मील की वर्षा का पानी जब फैलेगा तो उसका प्रलयकारी परिणाम होगा ? यदि वे यह अनुभव करते थे, तो इस पर समय से पूर्व कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री गिरधारी लाल—जी नहीं ।

*६३—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ट—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पानी के फैलने से कितनी जिलों की कितनी भूमि में पानी भरा और फसल धन, जन तथा पशुओं की कितनी हानि हुई और पीड़ितों की सहायता के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गिरधारी लाल—अलीगढ़, मथुरा तथा बुलन्दशहर जिलों में होने वाली समस्त हानि की सूचना तालिका संख्या १ में तथा पीड़ितों को जो सहायता की गई उसकी सूचना तालिका २ में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १७९–१८० पर)

*६४—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ट—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगरा, अलीगढ़ रोड के मीतई स्थान पर हजारों बीघों में वर्षा के रुके पानी के लिये निकाले गये नालों को क्यों बन्द कर दिया गया ?

श्री गिरधारी लाल—इन नालों द्वारा जितना पानी निकलना संभव था, निकल जाने के बाद कृषकों को सिंचाई के लिये पानी देने के विचार से विसाना रजबहा की पटरी को फिर ठीक कर दिया गया है ।

फर्रुखाबाद जिले में बनने वाला नाला

*६५—श्री राजेन्द्रसिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद में किसरोली फरीदपुर-दलेलगंज होकर जो नाला बनाया जा रहा है वह किन-किन ग्रामों से होकर जा रहा है और वह कितना लम्बा चौड़ा होगा और कितने एकड़ जमीन कटेगी और कितनी लागत लगेगी ?

श्री गिरधारी लाल—यह नाला निम्नलिखित ग्रामों से निकलेगा :—

१—कुईयासंत,

२—करनपुर गंगतारा,

३—चक मुजफ्फर पट्टी,

४—दललगंज,

५—मुजफ्फरपट्टी,

६—कुईया धीर,

७—गोविन्दपुर असदउल्लाह,

८—रोशनाबाद ।

इस नाले के धरातल की अधिकतम तथा न्यूनतम चौड़ाई क्रमशः १० फीट और ६ फीट है, एवं नाले की लम्बाई ४ मील ३ फर्लांग है। इस नाले के लिये १३.०८ एकड़ भूमि की स्थायी रूप से और ११.८८ एकड़ भूमि की अस्थायी रूप से आवश्यकता है। नाले की अनुमानित लागत ३३,०५१ रुपया है।

मुईधरा बांध की मरम्मत के लिये प्रार्थना

*६६—**श्री ऊदल** (अनुपस्थित)—क्या सरकार को इस बात का पता है कि जो १९५८ की बरसात में जिला जौनपुर तहसील में मछलीशहर का मुंइधरा बांध टूट गया था अभी उसकी मरम्मत नहीं हुई है ? यदि हां तो क्या उसकी मरम्मत बरसात के पहले करा दी जायेगी ?

श्री गिरधारी लाल—यह बांध सिंचाई विभाग द्वारा नहीं बनवाया गया है बल्कि नियोजन विभाग द्वारा बना है और उस विभाग से इस विषय में पूछताछ की जा रही है ।

जालौन जिले के ओधा क्षेत्र में पानी भरने से क्षतिग्रस्त व्यक्तियों की सहायता

*६७—**श्री गरीबदास**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन के ओधा क्षेत्र (माधोगढ़) में १९५८–५९ में कितनी खरीफ की फसल और कितनी रबी की फसल पानी भरने (water-logging) के कारण क्षतिग्रस्त हुई ।

श्री गिरधारी लाल—ओधा क्षेत्र (माधोगढ़) के आसपास १९५८–५९ में लगभग ४०० एकड़ खरीफ की फसल में पानी भर गया जिससे बाजरा ज्वार, तथा गन्ने की फसलों को रुपया में चार आने की क्षति हुई । रबी की फसल में पानी नहीं भरा और न कोई क्षति हुई ।

*६८—**श्री गरीब दास**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को क्या-क्या सुविधायें सरकार द्वारा दी गयीं ।

श्री गिरधारी लाल—क्षति ग्रस्त व्यक्तियों को १५,९२५ रुपया तकावी के रूप में और बीज गोदामों में खाद्य तथा बीज दिया गया। इसके अतिरिक्त सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने इस क्षेत्र के एकत्रित पानी को अपने प्रयत्न द्वारा वहां की स्थित नहरों में निकलवा दिया।

नलकूपों पर गूलें बनाने की प्रार्थना

*६९—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री नहर से सींचे जाने वाले क्षेत्रों में भी नलकूपों पर बनी एक मील पक्की और एक मील कच्ची गूलों या नालियों के निर्माण के प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री गिरधारी लाल—नहर से सींचे जाने वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की गूलों का निर्माण व्यवहार्य (feasible) नहीं है क्योंकि ऐसा करने से लगभग ४२ करोड़ रुपये से अधिक खर्च आता है ।

मैनपुरी जिले के कुछ गांवों की जलमग्न भूमि का लगान मुआफ करने की प्रार्थना

*७०—श्री अभयराम यादव (जिला इटावा)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत ६ वर्ष से लभौआ कुढ़ी एवं नगला बलूआ परगना मुस्तफाबाद तथा शिकोहाबाद, जिला मैनपुरी में करीब ४०० एकड़ भूमि पानी की बाढ़ से प्रति वर्ष डूब जाया करती है ?

श्री गिरधारी लाल—नीचे दिये गये वर्षों के अतिरिक्त ग्राम कुढ़ी, तहसील जसराना तथा ग्राम मुहम्मदाबाद लभौआ, नगला बलुआ, तहसील शिकोहाबाद में १३६१ फसली से १३६४ फसली में कोई क्षेत्र जल-मग्न नहीं हुआ :—

गांव	१३६४ फसली एकड़	१३६५ फसली एकड़	१३६६ फसली एकड़
	जल मग्न क्षेत्र		
१—मुहम्मदपुर लभौआ	.. ..	३३	१३२
२—नगला बलुआ	.. ..	६७	१५९
३—कुढ़ी	.. ८३	८३	८३

*७१—श्री अभय राम यादव—क्या सरकार को विदित है कि पानी भरा रहने के कारण उक्त भूमि में एक भी फसल नहीं होती और उसका लगान प्रतिवर्ष जनता से लिया जाता है ?

श्री गिरधारी लाल—१३६१ फसली से १३६४ फसली तक उपभोक्ता तीनों ग्रामों में फसल को कोई हानि नहीं हुई तथा ग्राम कुढ़ी में १३६५ फसली में ३५ एकड़ भूमि गन्ना बोने के लिये छोड़ दी गई थी । इन सभी ग्रामों में कोई हानि न होने के कारण लगान में छट देने का प्रश्न नहीं उठता । १३६५ तथा १३६६ फसली वर्षों में उपरोक्त तीन ग्रामों में जितने क्षेत्र में कोई फसल नहीं बोई गई उसमें खरीफ के लगान की छूट दी गई और रबी की फसल को ऐसी कोई हानि नहीं पहुंची जिसके लिये छूट की आवश्यकता होती ।

*७२—श्री अभयराम यादव—क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त भूमि में कुछ ऐसे भी काश्तकार हैं जिनके पास सिवाय इस भूमि के जहां पानी भरा रहता है दूसरी जगह जमीन नहीं है ?

श्री गिरधारी लाल—जी हां, ग्राम कुढ़ी में ६ तथा ग्राम नगला बलुआ में तीन ऐसे काश्तकार हैं जिनके पास उक्त भूमि के अतिरिक्त और कोई भूमि नहीं है । लेकिन इन काश्तकारों को खरीफ की मालगुजारी से पूरी छूट दी गई ।

काली नदी पर पंपिंग स्टेशन की वियर वाल की मरम्मत

*७३—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि ट्यूबवेल डिवीजन, अलीगढ़ के अन्तर्गत काली नदी पर स्थित पम्पिंग स्टेशन की वियर वाल जुलाई, १९५६ में बाढ़ के कारण कुछ कमजोर हो गयी थी ? यदि हां तो उसकी तुरन्त मरम्मत क्यों नहीं की गई ।

श्री गिरधारीलाल—जी हां । वियर वाल में खराबी मालूम पड़ने पर शीघ्र ही यथोचित मरम्मत करा दी गई थी ।

उन्नाव जिले में चिरइया तथा दूसरे नालों का निर्माण

*७४—श्री सजीवन लाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले की हसनगंज तहसील के अन्तर्गत चिरइया नाले के निर्माण में कितना रुपया व्यय हो चुका है तथा नाले की खुदाई का कार्य कब शुरू हुआ और कब तक समाप्त होने की सम्भावना है ?

श्री गिरधारी लाल—चिरइया नाले के निर्माण में जून, १९५९ तक ३५,७४२ रुपया व्यय हुआ है। इस नाले की खुदाई का कार्य फरवरी सन् १९५६ में प्रारम्भ हुआ फिर धन के अभाव के कारण बन्द रहा। अब फिर धन मिलने पर काम शुरू किया गया है। निर्माण-कार्य जून, १९६० तक समाप्त होने की सम्भावना है।

*७५—श्री सजीवन लाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष १९५९-६० में उन्नाव जिले की और कौन सी नई ड्रेनों पर खुदाई का कार्य शुरू किया जायेगा ?

श्री गिरधारी लाल—लोनी मुरेता तथा कवारा ताल ड्रेनों पर कार्य आरम्भ करने का प्रस्ताव है।

गोरखपुर जिले में वन विभाग की पौधशालाएं

*७६—श्री गौरीराम गुप्त—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विगत दो वर्षों के अन्दर गोरखपुर जिले के अन्दर जंगलात विभाग की ओर से कितनी नर्सरियां खोली गई हैं ? इन नर्सरियों में कितने प्रकार के पौधे तैयार किये जा रहे हैं तथा आगामी वर्ष में कहां-कहां नयी नर्सरियां वह खोलने जा रही है ?

श्री सैयद अली जहीर—केवल एक।

इस नर्सरी में निम्नांकित प्रकार के पौधे तैयार किये जाते हैं :—

शीशम, सेमल, सागौन, हल्दू, फल्दू, बहेड़ा, जामुन, भुड़कुल, कटहल, आम, शहतूत (मलबेरी), महुआ, काजू, विलायती शीशम, तुन।

सरकार आगामी वर्ष में जिला गोरखपुर में कोई नई नर्सरी खोलने का विचार नहीं कर रही है।

ताल बेहट रेंज के फोरेस्ट गार्डों के विरुद्ध शिकायतें

*७७—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तालबेहट रेंज (जिला झांसी) के फारेस्ट गार्डों के विरुद्ध अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की अनेक शिकायतों के साथ-साथ १३-१४ जनवरी, १९५९ को एक आदमी की बन्दूक छीन लेने और जनवरी-फरवरी, १९५९ में एक आदमी को गोली से मार देने तक की शिकायतें आयी हैं ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां।

इन शिकायतों के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की गई :—

फारेस्ट गार्डों के विरुद्ध आई हुई कुल १५ शिकायतों में से २ के विषय में पूर्ण रूप से छानबीन की जा चुकी है। इनमें से केवल एक आंशिक रूप से सही पाई गई और संबंधित फारेस्ट गार्ड को मुअत्तल कर दिया गया और उसके विरुद्ध उचित कार्यवाही की गई। शेष १३ शिकायतों के संबंध में छानबीन जारी है।

*७८--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रेंज तालबेहट, जिला झांसी में ऐसे कितने फारेस्ट गार्ड हैं जो तीन वर्ष से अधिक से इसी रेंज में हैं ?

श्री सैयद अली जहीर--केवल दो।

ईशन कारबन तथा सेंगर नदियों के तालों को गहरा करने की आवश्यकता

*७९--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ट--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बार ईशन कारबन नदी तथा सेंगर नदी के तालों को गहरा करने के लिये सरकार की कितने रुपये की योजना है और इस बरसाती नदियों के गहरा तथा चौड़ा करने का काम कब तक समाप्त हो जायगा ?

श्री गिरधारी लाल--ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है परन्तु इन नदियों का सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है।

*८०--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ट--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जलालपुर ड्रेन, कोटा ड्रेन, मुरसान किला ड्रेन, मितनपुर ड्रेन के अतिरिक्त कौन-कौन ड्रेन इन वर्षा से पूर्व खुद सकेंगे ?

श्री गिरधारी लाल--केवल लहरा अबरनपुर ड्रेन का निर्माण-कार्य वर्षा से पूर्व समाप्त हो चुका है।

अलीगढ़ जिले में वन विभाग की भूमि

*८१--श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ट--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अलीगढ़ जिले के कुल कितनी जमीन वन विभाग में है और वह कहां-कहां है ?

श्री सैयद अली जहीर--अलीगढ़ जिले में निम्नलिखित भूमि वन विभाग में है:--

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	क्षेत्रफल (एकड़ में)
अलीगढ़	हाथरस	हाथरस	सुसायत	१३०.००
	कोइल	कोइल	सिकन्दरपुर क्षेत्र	१६६.००
	सिकन्दराराव	(१) सिकन्दराबाद	आनन्दपुर	२३५.००
		(२) सिकन्दराराव	कचौरा	१०४.००
			कुल	६३५.६०

गोरखपुर जिले में नारायणी नहर की भूमि का मुआवजा तथा नहरी मुकदमों के सम्बन्ध में जानकारी

*८२--श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)--सरकार कृपया बतायेगी कि क्या गोरखपुर जिले की नारायणी नहर में ली गई जमीनों का मुआवजा किसानों को दे दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

*८३--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले में सन् १९५८-५९ में नहर विभाग द्वारा नहर काटने के कितने मुकदमे चलाये गये और उसमें कितने फैसले हुए तथा कितने विचाराधीन हैं ?

श्री गिरधारी लाल--सूचना अभी प्राप्त नहीं की जा सकी है।

प्रतापगढ़ जिले में जल निकास की योजना पर व्यय तथा रिहन्द बांध से बिजली देने की योजना

*८४—श्री हरकेश बहादुर (जिला प्रतापगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या प्रतापगढ़ जिले को भी रिहन्द बांध से बिजली दी जायगी? यदि हां तो यह बिजली की यूनिट कितने मूल्य पर दी जा सकेगी?

श्री गिरधारी लाल—प्रतापगढ़ शहर को एक कम्पनी द्वारा अब भी बिजली दी जा रही है। सरकार का प्रयत्न है कि उस जिले में भी रिहन्द बिजली पहुंच सके। मूल्य जिस समय बिजली दी जायगी उस समय निश्चित किया जायगा।

*८५—श्री हरकेश बहादुर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रतापगढ़ जिले में पट्टी तहसील में मनसैता, इनविच कसिया, सुखऊ सिंह बांध और नौ रेडा ताल के पानी के निकास की स्कीम सफल हो जाने पर कितनी भूमि कृषि योग्य उपलब्ध हो सकेगी?

श्री गिरधारी लाल—मनसैता नाला, कसिया, इनविच तथा सुखऊ सिंह बांध की जल निकास योजनाओं के पूर्ण हो जाने पर प्रतापगढ़ जिले की पट्टी तहसील में ३,७३० एकड़ भूमि लाभान्वित होगी। नौरेडा ताल नामक कोई योजना सर्वेक्षण में नहीं है।

*८६—श्री हरकेश बहादुर—इन स्कीमों पर कितना रुपया १९५९-६० के वित्तीय वर्ष में सरकार व्यय करेगी?

श्री गिरधारी लाल—५७,००० रुपया व्यय करने का प्रस्ताव है।

*८७—श्री रामस्वरूप वर्मा—[हटा दिया गया।]

*८८—श्री कल्याणचन्द्र मौहिले—[पांचवें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ५६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

१९५४-५५ के विनियोग लेखे और १९५६ की लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर लोक लेखा समिति की रिपोर्ट†

श्री अध्यक्ष—अब माननीय सभापति, लोक लेखा समिति, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से १९५४-५५ के विनियोग लेखे और १९५६ की लेखा-परीक्षा (आडिट) रिपोर्ट पर उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति (पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी) की रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं।

१९५५-५६ के विनियोग लेखे और १९५७ की लेखा परीक्षा रिपोर्ट (भाग २) पर लोक लेखा समिति की रिपोर्ट†

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से लेखा परीक्षा रिपोर्ट १९५७ भाग ११ पर उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति (पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी) की रिपोर्ट तथा १९५५-५६ के विनियोग लेखे १९५७ की लेखा परीक्षा रिपोर्ट भाग २ पर उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति (पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी) की रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मुझे आपसे निवेदन करना है कि इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में विवाद के लिये कोई दिन निश्चित किया जाय।

श्री अध्यक्ष---इस पर विवाद नहीं होता। आप अपने भाषणों में इस रिपोर्ट का उपयोग कर सकते हैं, जब कि उस सम्बन्ध में बजट वगैरह आवे या एक्सेस ग्रान्ट वगैरह का सिलसिला हो, या पूरक बजट आवे।

सुनखरी खुर्द के काश्तकारों के भूमिहीन होने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव श्री प्रताप सिंह ने भेजा है जिसकी मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं क्योंकि वह कोई निश्चित और अर्जेन्ट भी नहीं मालूम होता। इसको मैं पढ़ कर सुना देता हूं।

यह सदन निम्नलिखित आवश्यक, तात्कालिक, महत्वपूर्ण एवं आवश्यक विषय के विवाद हेतु आज का अपना कार्य स्थगित करता है:---

"जिला नैनीताल की तहसील सितारगंज के ग्राम सुनखरीखुर्द के काश्तकारों की निजी जमीन को १२-८-५९ को छोड़ने का आदेश माल विभाग द्वारा दिये जाने से उस ग्राम के किसानों के बेघरबार व बे-जमीन हो जाने के भीषण संकट से उत्पन्न गम्भीर परिस्थिति।"

इसके सम्बन्ध में मेरे पास कोई भी चीज इसकी निश्चितता के बारे में लिख कर नहीं आयी है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---इसके सम्बन्ध में श्रीमन्, मेरे पास आंकड़े हैं। कल मेरे एक प्रश्न का उत्तर दिया गया उसमें बतलाया गया कि किन लोगों की जमीन ली गयी हैं। इन सब की जानकारी सरकार को है।

श्री अध्यक्ष---अगर ऐसा है तो यह आवश्यक भी नहीं है और अर्जेन्सी भी इसकी नहीं रही।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---नानक सागर प्रोजेक्ट जो बन रहा है वहां पर सरकार ने किसानों की जमीन ली है....

श्री अध्यक्ष---आपने इस बारे में सूचित नहीं किया है, आपको लिख कर देना चाहिये था।

श्री प्रतापसिंह---वहां के लोगों ने लिख कर दिया था।

श्री अध्यक्ष---पहले आप प्रश्न कर लेते और दिखलाते कि यह कैसे महत्व का है। वह तो आपने किया नहीं। आपको लिख कर देना चाहिये जिसमें पता चले कि यह निश्चित है और महत्व का विषय है। दोनों चीजें प्रस्ताव से प्रतीत नहीं होतीं।

श्री प्रतापसिंह---सरकार की नीति के सम्बन्ध में मुझे सूचना ही दिला दी जाय।

श्री अध्यक्ष---वह तो नियम ५२ के अनुसार आप सूचना पूछते तो आपको दी जाती।

देवरिया जिला कोआपरेटिव बैंक के चुनाव में विलम्ब एवं पक्षपात के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सहकारिता मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष--नियम ५२ के अनुसार सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिये माननीय गेंदा सिंह जी ने एक सूचना दी है जिसकी मैं इजाजत दे रहा हूं। बाकिया जो मेरे पास प्रश्न आये हैं उनकी मैं अनुमति नहीं देता हूं क्योंकि एक ही प्रश्न लिया जा सकता है। मुझे यही प्रश्न सबसे महत्व का प्रतीत होता है। मैं आप का ध्यान एक लोक महत्व तथा आवश्यक प्रश्न की ओर दिला कर आशा करता हूं कि आप यह अवसर सदन को देने की कृपा करेंगे कि प्रक्रिया-नियमावली के नियम ५२ के अनुसार इसे स्पष्ट करें। सरकार की स्पष्ट नीति कही जाती है कि कोआपरेटिव संगठन को अधिक लोक प्रिय तथा सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा हस्तक्षेप कम से कम किया जाय। इसके बिलकुल विपरीत सरकार ने देवरिया जिला कोआपरेटिव बैंक के चुनाव में कार्य किया है। गत २५ जून को उक्त बैंक के वार्षिक साधारण सभा द्वारा ४ संचालकों के निर्वाचन हो जाने के बाद अनावश्यक ढंग से व्यवस्था संचालक, कार्य संचालक तथा उस की समिति को निर्वाचित नहीं कराया गया २४ जुलाई की निश्चित तिथि को अकारण और बुरे इरादे से जिलाधीश द्वारा पुनः टलवा दिया गया। अन्ततोगत्वा ८ अगस्त की तारीख अब फिर निश्चित की गई तो सरकार ने अपनी ओर से ३ संचालकों को नामजद करके बहुमत को अल्पमत में बदल दिया।

इस प्रकार से सरकार ने जिले के लगभग ३००० गांवों में फैले हुये संगठन की भावना को ठेस इस प्रकार लगाया है कि उसने करीब करीब एक मत से पिछले वर्षों की व्यवस्था से ऋण पाने के लिये ४ संचालकों को निर्वाचित कर के भाव प्रदर्शित कर दिये थे परन्तु सरकार ने विलम्ब कर के और पक्षपातपूर्ण अनावश्यक तथा अनुचित ढंग से नामजदगी करके बैंक तथा ग्राम जनता के हित की उपेक्षा की है।"

यदि इसका सम्बन्ध माननीय सहकारी मंत्री जी से है तो वह इसका स्पष्टीकरण कर दें कि यह क्या मामला है। अगर आज करना चाहें तो आज और यदि उन्हें जानकारी हासिल करनी हो तो फिर किसी दिन.....

*सहकारिता मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)--क्या आप दफा ५२ के अन्दर इसको एडमिट कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--जी हां।

श्री मोहन लाल गौतम--श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप एडमिट कर चुके तो इस विषय में मुझे अब कुछ कहना नहीं है, यह कोई पब्लिक इम्पार्टेन्स की चीज नहीं है.....

श्री अध्यक्ष--आप केवल यह बता दें कि यह मामला क्या है ?

श्री मोहनलाल गौतम--इस में दो तीन बातें उठाई गई हैं, यह कि वहां चुनाव हुआ और उस के बाद देर की गई, यह किया गया या नहीं किया गया, इस की हमारी जिम्मेदारी नहीं है। एलेक्शन २४ जुलाई को गवर्नमेन्ट ने मुल्तवी नहीं कराये, हमें यह भी नहीं मालूम कि वहां क्या हो रहा है, वह तो आटोनामस बाडी है.....

श्री अध्यक्ष--उनका आक्षेप था कि चुनाव हिदायत देकर तारीख २४ को टलवाये गये.....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोहनलाल गौतम--यह बिलकुल गलत बात है। जहां तक नामिनेशन का सम्बन्ध है यह बात साफ है कि सरकार शेयर खरीद रही है और उसका बजट में प्राविजन होता है, उस पर विवाद भी यहां होता है। जहां-जहां शेयर्स खरीदे जा रहे हैं उस में गवर्नमेन्ट के नामजद आदमी रहते हैं ताकि वह अपने शेयर्स व रुपये की रक्षा कर सके। कोआपरेटिव सोसाइटीज की नामजदगियां आज से नहीं कई डिकेड्स से चली आ रही हैं, तो नामजदगियां हुई। अब उसके बाद कौन अल्पमत में रहता है और कौन नहीं रहता इसकी जिम्मेदारी नामजदगियां करने वालों पर नहीं है। इसलिये अब कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हमें नहीं मालूम कि देर क्यों हुई। बाकी गवर्नमेन्ट की तरफ से टालने की कोई कोशिश नहीं हुई, क्या अनुचित चीज हुई यह भी हमें नहीं मालूम।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--श्रीमन्, पहले तो माननीय मंत्री जी जानकारी कर लें। फिर यह नामिनेशन जो किये गये यह किस कानूनी अधिकार पर किये गये या वैसे ही मन से कर दिये। दूसरे यह कि उनका कहना है कि हमेशा से यह होता रहा है। तो क्या यह निश्चित जवाब है कि जैसा हमेशा होता रहा है वैसा इस वर्ष भी हुआ है या पहले कभी ऐसा नहीं हुआ केवल इसी वर्ष हुआ है? मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि २४ तारीख को . . .

श्री अध्यक्ष--एक एक प्रश्न पूछिये। (श्री मोहन लाल गौतम से) आप निश्चित हैं कि ऐसी नामजदगी होती रही है?

श्री मोहनलाल गौतम--जी, मैं जानता हूं कि बहुत सी संस्थाओं में होती रही है। मैंने यह कहा कि कोआपरेटिव सोसायटी में नामजदगी बहुत दिनों से होती है और मैं जानता हूं कि होती रही है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उन्हें मुख्य मुख्य विषयों की तनिक भी जानकारी नहीं है, वह इसका समुचित उत्तर कुछ दिनों के बाद पूरी जानकारी हासिल करने के बाद दें जिसमें सदन के सदस्यों को वह बता सकें कि देरी क्यों हुई, किसने की, टाला गया या नहीं, नामजदगी की गई या नहीं?

श्री मोहनलाल गौतम--अध्यक्ष महोदय, अगर इसमें कोई गवर्नमेन्ट की बात हो कि गवर्नमेन्ट ने गलत किया या सही किया उसकी जानकारी मुझे है और उसका जवाब में दे रहा हूं। जो कोआपरेटिव सोसायटी (आटोनामस बाडी) काम करती है उसकी कोई जानकारी चाहें तो मंगवा कर दे सकता हूं। लेकिन वह नियम ५२ का विषय बन सकेगा या नहीं, यह भी सवाल है। इसलिये जितनी जानकारी सदन को लेनी हो आपकी आज्ञा से मैं उसको देने के लिये तैयार हूं इस वक्त और अगर उसके बाद आपकी आज्ञा हुई तो मंगवाकर भी दे सकता हूं।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)--क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पिछली बार जब संचालकों का चुनाव हुआ था तो सरकार द्वारा कितने संचालक मनोनीत किये गये थे?

श्री अध्यक्ष--किस जगह?

श्री त्रिलोकीसिंह--देवरिया में।

श्री मोहनलाल गौतम--देवरिया में कोई नहीं किया गया था क्योंकि वहां शेयर्स अभी लिये गये पिछले साल। मैंने कहा कि जहां-जहां शेयर्स गवर्नमेन्ट के थे वहां नामीनेशन होता रहा है। बहुत-सी संस्थाओं में बहुत दिनों से गवर्नमेन्ट के नामीनेशन हैं। देवरिया या किसी

[श्री मोहनलाल गौतम]

डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक में शेयर्स लास्ट ईयर खरीदे गये थे। उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेन्ट और कोआपरेटिव डिपार्टमेन्ट में यह तय नहीं हो पाया कि टर्म्स क्या हों। फाइनेंस डिपार्टमेन्ट कुछ कहता था और कोआपरेटिव कुछ। उसमें देर लगी। अब वह फायनली तय हुआ। अब नामीनेशन डिस्ट्रिक्ट कोआपरटिव बैंक्स में होने शुरू हो गये हैं।

श्री राजनारायण (जिला बाराणसी)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जुलाई में जब चुनाव की तारीख तय हुई थी तो उस दिन चुनाव हुए थे और दो सदस्यों के बराबर वोट आये थे?

श्री मोहनलाल गौतम—मुझे इसकी सूचना नहीं है।

श्री गेंदासिंह—यह जो नामीनेशन गवर्नमेंट ने किया है उसके लिये किसी कानून के जरिये इजाजत सदन की ली है? और यदि ली है तो किस प्रकार के आदमी भेजे जायं यह भी कुछ फैसला हुआ है?

श्री मोहनलाल गौतम—कानूनी अधिकार है कि वह भेजे जा सकते हैं। किस प्रकार के हों यह गवर्नमेंट के डिस्क्रीशन पर है।

श्री गेंदासिंह—किस ऐक्ट के जरिये यह चीज है?

श्री मोहनलाल गौतम—यह सवाल इस तमाम लम्बे कागज में जो गेंदासिंह जी ने पेश किया है उसमें उठाया नहीं गया है इसलिये नहीं देखा, लेकिन मैं कह सकता हूं कि कानूनी अधिकार है।

श्री अध्यक्ष—अब मैं ज्यादा प्रश्नों की इजाजत नहीं देता। बात यह है कि मैं इसको इस वजह से सामने लाया क्योंकि गेंदासिंह जी का कहना था कि उसमें मीटिंग जो टाली गई वह इसलिये टाली गई कि कुछ लोगों को नामजद करके एक पक्ष को बहुमत में कर दिया जाय और शायद इसका मतलब सीधा यह है कि वह यह समझते हैं कि उनकी पार्टी का शायद बहुमत था और उसको इस प्रकार अल्पमत में कर दिया। कुछ लोगों को जो कि बहुमत में थे उनको अल्पमत में ढकेलने के लिये यह किया गया, ऐसा आक्षेप है। ऐसी चीज जिस वक्त सामने आ जाती है तो उसका महत्व हो जाता है। इसलिये मैंने इसकी इजाजत दी। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को अगर यह चीजें मालूम न हों तो उनकी जानकारी हासिल करके अगर सदन को दे दें तो उस पर सफाई हो जाती। इस प्वाइंट आफ व्यू से नियम ५२ रखा गया है।

श्री मोहनलाल गौतम—मैं जानना चाहूंगा किस-किस मामले में मैं जानकारी हासिल करूं। क्योंकि अगर यह जानकारी हासिल की जाय कि किसका बहुमत था और किसका अल्पमत था तो इसका मुझे अधिकार नहीं है। क्योंकि नामजदगी करते वक्त मुझे अधिकार नहीं है जानने का कि कौन किस तरफ है। क्योंकि अगर वह न बताना चाहें तो मैं मजबूर भी नहीं कर सकता। बोर्ड आफ डायरेक्टर्स के जो मेम्बर चुने गये हैं उसकी यह जानकारी हासिल करूं कि किसका अल्पमत है और किसका बहुमत है तो इसका मुझे कानूनन अधिकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष—वह वाकयात जानना चाहते हैं।

श्री मोहनलाल गौतम—मुझे प्वाइंट्स बताये जायं जिन पर मैं जानकारी हासिल करूं?

श्री अध्यक्ष—उनके कथन में स्पष्ट दिया हुआ है कि २४ जुलाई तिथि निश्चित थी, अकारण और बुरे इराद से जिलाधीश द्वारा तिथि पुनः टलवा दी गई, यह शब्द हैं।

इन शब्दों के ऊपर कुछ शंका उत्पन्न होती है। ध्यान आकृष्ट करने का अर्थ यह होता है कि जो मंत्री हैं वह सब तरफ नजर रख कर अपने ऊपर कोई आक्षेप आता हो या किसी अधिकारी पर आक्षेप आता हो और दूसरे को कोई भ्रम हो गया हो तो उसको स्पष्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर यह बात सही है तो जो भी इसके लिये जिम्मेदार हो उसके ऊपर कार्यवाही भी वह कर सकते हैं? दोनों तरफ वह जा सकते हैं। अब मुझे यह मालूम नहीं कि फैक्ट्स क्या हैं? इसकी जानकारी हासिल करके अगर किसी को भ्रम हो गया हो तो आप दूर कर सकते हैं। हर तरह की जानकारी जितनी हासिल कर सकते हैं उतनी करें। अगर नहीं कर सकते हैं तो न करें। लेकिन कोई जानकारी उनको वाकयात के बारे में नहीं है तो उसे वे हासिल कर सकते हैं.....

श्री मोहनलाल गौतम--मैं जानना चाहूंगा कि मुझे क्या क्या जानकारी हासिल करनी है। एक तो यह बात हुई २४ तारीख की मीटिंग पोस्टपोन हुई या नहीं। अगर हुई तो क्यों। यह मैं बता दूं। इतना मैं बता दूं मैंने यहां से कोई आज्ञा नहीं दी पोस्टपोन करने की। उसके अलावा और कुछ?

श्री अध्यक्ष--उनका कहना यह है कि आपने जो नामजदगी की उसका अधिकार आपको नही था किसी कानून के जरिये से। ऐसा उनका कहना है। तो कानून देख कर आप कह सकते हैं कि इस कानून के मुताबिक आपको अख्तियार था।

श्री मोहनलाल गौतम--अध्यक्ष महोदय, इस कागज में ऐसा कोई चार्ज नहीं है जिसमें यह कहा गया हो कि मुझे कानूनी अधिकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष--जो अभी उन्होंने पूरक प्रश्न पूछा उस वक्त उन्होंने बारबार आपसे पूछा कि आप बता सकते हैं किस कानून के जरिये से आपने नामजदगी की? तो यह प्रश्न जब पूछ लिया गया तो अगली दफा आप बता सकते हैं। उसमें कौन-सी कठिनाई की बात है।

श्री मोहनलाल गौतम--दो सवालों का जवाब मुझे देना है.....

श्री राजनारायण--एक निवेदन करता हूं श्रीमन्, आपके द्वारा कि हमें एक मिनट का मौका दिया जाय तो मैं माननीय गौतम जी को बता दूं कि क्या-क्या जानकारी उन्हें हासिल करनी है।

श्री अध्यक्ष--आप को बताना हो, मेरे कमरे में बता दें। मैं उनको लिख कर भेज दूंगा।

श्री राजनारायण--इनका कितना शेयर रहा है और कितने शेयर के ऊपर कितने आदमी नामीनेट किये जा सकते हैं?

श्री अध्यक्ष--(श्री राजनारायण से) आप कृपा कर बैठें।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--अध्यक्ष महोदय, अगर आप आज्ञा दें तो मैं प्रश्न लिख दूं जिनकी जानकारी हम हासिल करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष--आप मेरे कमरे में प्रश्न भेज दें। वे जवाब देंगे २-४ रोज के बाद।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--वे बार बार पूछ रहे हैं कि किन-किन प्रश्नों का उत्तर दूं तो वे प्रश्न मैं यहां लिख कर दे दूं।

श्री अध्यक्ष—मैंने जो प्रश्न उन्हें बतला दिये हैं उनके अलावा अगर कोई और प्रश्न उठते हैं तो, माननीय मंत्री आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहते हैं, मैं समझता हूं कि वे उनका भी उत्तर दे देंगे।

श्री राजनारायण—वे हमसे नहीं छिपायेंगे, लेकिन अपने से ही छिपा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं।

सदन द्वारा प्रदत्त धन्यवाद के उत्तर में श्री राज्यपाल का पत्र

श्री अध्यक्ष—मैं एक सूचना देना चाहता हूं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के संबंध में धन्यवाद का जो प्रस्ताव हम ले गये थे और उन्हें उसे अर्पित किया था उसके जवाब में उन्होंने मुझे यह पत्र लिखा है:—

"श्री अध्यक्ष महोदय,

मैं आपके पत्र दिनांक ६ अगस्त, १९५९, के लिये जिसे आपने व विधान सभा के कुछ अन्य सदस्यों ने आ कर भेंट किया, धन्यवाद देता हूं। मैं विधान सभा के प्रस्ताव के लिये जिसे उन्होंने ३० जुलाई, की बैठक में स्वीकार किया, आभारी हूं।"

नियम ५२ के अन्तर्गत अभिसूचित विषयों के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—मैं निवेदन कर रहा था कि हम लोगों के जो दफा ५२ के अन्दर विषय थे उनको हम लोगों से फिर लिख कर न मांगा जाय, उनको कल के लिये मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—यह तो आप नियम के विरुद्ध बात कह रहे हैं।

श्री राजनारायण—तो कल फिर देना पड़ेगा?

श्री अध्यक्ष—जी हां, देना पड़ेगा। एक दिन में एक ही विषय लिया जा सकता है।

माल विभाग की विज्ञप्तियों को सदन की मेज पर रखने में विलम्ब के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—श्री मोतीलाल अवस्थी ने आपका ध्यान माल विभाग के कुछ नोटिफिकेशंस की ओर आकर्षित किया था .....

श्री अध्यक्ष—उनके लिये आप सूचना देना चाहते हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां। विज्ञप्ति संख्या ४९४, १८ मार्च को गजट हुई और १० अप्रैल के हमारे कार्यालय में आई और २२ अप्रैल को हमने लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट में भेज दिया तो सदन उस वक्त प्रोरोग हो चुका था। विज्ञप्ति संख्या ९७४, ४ अप्रैल को छापी गयी थी और २० अप्रैल को हमारे पास आई और १७ मई को लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट को भेज दी गयी। तो इनमें देरी नहीं हुई। विज्ञप्ति संख्या ३५५८ है उसके लिये देरी कर दी गयी। उसके लिये ताकीद कर दी है कि आइंदा से देरी न हो पाये।

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (संशोधन) विधेयक, १९५९

राजस्व मंत्री के सभासचिव (श्री धर्मसिंह)—मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (संशोधन) विधेयक, १९५९ को पुरःस्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (संशोधन) विधेयक, १९५९, को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री धर्मसिंह—मैं उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (संशोधन) विधेयक, १९५९ को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ध' आगे पृष्ठ १८१–१८३ पर)

कार्यक्रम के बारे में जानकारी की मांग

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—कल जब सदन उठ रहा था तो मैंने यह प्रश्न किया था कि हमारी यह सूचना है कि १३ को सदन उठ जायगा और फिर लगातार १–२ महीने नहीं बैठेगा। आज माननीय मुख्य मंत्री यहां विद्यमान हैं। मैं आपके द्वारा यह जानना चाहता हूं क्या इसमें कोई तथ्य है कि सदन २० को बैठेगा और उसके आगे जो कार्यवाही होने को थी वह होगी या कोई लम्बी छुट्टी हो जायगी?

श्री अध्यक्ष—मेरे पास जो सूचना थी वह मैंने दे दी। सदन को मैंने यह सूचना दी थी कि १३ तारीख के बाद १४ से लगा कर १९ तक यह आदरणीय सदन नहीं बैठेगा और २० तारीख को फिर बैठेगा। इसके बरअक्स अगर कोई सूचना हो तो माननीय मुख्य मंत्री जी दे दें।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—कोई नहीं।

श्री अध्यक्ष—(श्री राजनारायण से) इसका मतलब यह हुआ कि आपका खयाल गलत है।

समाजवादी एकता दल को मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्, कल आपने सोशलिस्ट यूनिटी पार्टी के रेकग्नीशन के संबंध में आज निर्णय देने को कहा था वह अभी तक नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष—उसके बारे में मैं अपना निर्णय बता देता हूं। अब इस पार्टी में जितने सदस्य पहले बताये गये थे १५, उतने नहीं बल्कि १३ सदस्य हैं, दो सदस्यों ने कह दिया कि वे इस पार्टी में नहीं रहना चाहते हैं। अब किसी को पार्टी के रूप में स्वीकार करने के संबंध में मैंने पहले एक सिद्धांत निश्चित कर दिया था कि मैं कोई तादाद के ऊपर ज्यादा जोर नहीं दूंगा यद्यपि बहुत से प्रदेशों में और शायद लोक सभा में भी यह सिद्धांत तय हुआ था कि कोई पार्टी को मान्यता देने के लिये कम से कम इतने सदस्य उसमें होने चाहिये कि जिससे कोरम पूरा हो जाय। यह एक मोटा सा सिद्धांत है। और बाकी अगर कोई पार्टियां हैं और हम कम तादाद में हैं तो उनको ग्रुप कहा जायगा। हिन्दी में हम दल ही कहते हैं क्योंकि हिन्दी में अभी तक इसके लिये कोई उपयुक्त शब्द इस्तेमाल में नहीं लाया जाता है। गुट तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन पार्टी को मैंने यह समझा है कि जो पार्टी इस सदन के बाहर भी कुछ अपने विशेष सिद्धांतों को रख कर या प्रोग्राम को रख कर काम करती है और चुनाव को लड़ती है तो उसको पार्टी मान लिया जायगा, चाहे उसके सदस्य थोड़े हों, लेकिन एक से तो अधिक होने ही चाहिये। अगर एक ही सदस्य हो तो उसको मैं पार्टी कभी भी नहीं कहूंगा चाहे वह बाहर भी काम करती हो, लेकिन अगर थोड़े भी उसके मेम्बर हों तो उसको पार्टी में मान लूंगा। तो यह जो समाजवादी एकता दल है उसकी तादाद भी कम है और इस सदन के बाहर यह पार्टी कोई काम करती हो या चुनाव लड़ती हो ऐसी कोई चीज नहीं है, इसलिये अंग्रेजी में जिसको ग्रुप कहते हैं वहां मैं इसको कहूंगा और

[श्री अध्यक्ष]

हिन्दी में तो दल ही कहूंगा। तो ग्रुप की दृष्टि से मैं इसको स्वीकार करता हूं। उसके नेता दीपंकर जी रहेंगे। अगर यह किसी वक्त में पार्टी के रूप में हो जायगी कि बाहर भी काम करना प्रारम्भ कर दे और अपना राजनीतिक कोई प्रोग्राम रखे और चुनाव में भी भाग लेने लगे, ऐसा कुछ मुझे दिखाई देने लगे तो मैं पार्टी के रूप में उसे स्वीकार कर लूंगा, लेकिन अभी ग्रुप की हैसियत से उसे मान्यता देता हूं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, एक वैधानिक प्रश्न उठता है। इसे आपने ग्रुप मान लिया लेकिन यदि इसमें कुछ समय बाद जिनको आपने दल माना है उससे ज्यादा सदस्य हो गये मगर इस सदन के बाहर कोई काम न रहा तो उस स्थिति में क्या व्यवस्था होगी?

श्री अध्यक्ष—मैं हाइपाथिटिकल प्रश्नों का फैसला नहीं देता हूं। मैं किसी मंत्री के लिये हाइपाथिटिकल प्रश्न करने की इजाजत नहीं देता हूं तो आपको अपने लिये कैसे दे सकता हूं।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी इस व्यवस्था के संबंध में मैं यह बात जानना चाहता हूं कि पहले स्वतंत्र प्रगतिशील पार्टी को, जिसका बाहर कोई प्रोग्राम नहीं था, केवल विधान सभा के अन्तर्गत ही वह कार्य करती थी, आपने मान्यता प्रदान की थी। अलावा इसके, समाजवादी एकता दल जिसकी तरफ से प्रार्थनापत्र आपकी सेवा में प्रस्तुत किया था उसमें यह निवेदन किया गया था कि एक लिखित प्रोग्राम के आधार पर वह पार्टी सदन के बाहर काम शुरू करना चाहती है और संगठनात्मक ढांचा भी उसका खड़ा हो गया है और श्री शिब्बनलाल सक्सेना उसके चेयरमैन हैं और श्री रामचन्द्र शुक्ल उसके जनरल सेक्रेटरी हैं और २१ व्यक्तियों की समिति है।

श्री अध्यक्ष—वह सूचना तो आप दे चुके हैं। इन सब बातों पर कंसीडरेशन करने के बाद मैं फैसला दे चुका हूं। अब इस पर कोई बहस नहीं होगी।

आचार्य दीपंकर—श्रीमन्, मैं इतना ही.....

श्री अध्यक्ष—मैं बहस की अनुमति नहीं दूंगा। मैं आपको इतनी और सूचना दे दूं। आप कृपा कर बैठें। चूंकि आपने एक प्रश्न उठाया है इसलिये मैं आपको बता देना चाहता हूं और शायद आपने एक पार्टी का जिक्र किया जिसको मैंने पार्टी माना और वह शायद पालीवाल जी की पार्टी है। उस वक्त भी मैंने देखा था कि उसमें तादाद कितनी है। मैंने यह कहा कि अगर तादाद कम है तो भी मैं पार्टी मान लेता हूं यदि वह बाहर काम करती हो और किसी पार्टी की सदस्य संख्या इतनी हो जिससे कोरम पूरा हो जाता हो तो भी मैं उसको पार्टी मान लेता हूं। यह मैंने निश्चय किया था और उसकी संख्या, जिस समय वह पार्टी मानी गई थी, ४४ थी और सदन का कोरम ४३ का है, इससे कुछ ऊपर समझ लीजिये तो वह उस व्याख्या में आजाती थी, इस नियम के अनुसार। यह पार्टी जो १३ सदस्यों की बनी है और बाहर उसका काम प्रारम्भ केवल कागज पर ही हुआ है उसका बाहर कार्य प्रारम्भ हो जाने दीजिये। इसमें कोई जल्दी नहीं है, ग्रुप और पार्टी से आपकी मान्यता में कि आप नेता हैं कोई फर्क नहीं होता है। अनुशासन आप ग्रुप में भी कायम कर सकते हैं। यह अधिकार आपको रहेगा और विशेष अधिकार जो पार्टी के लिये होने चाहिये उसके लिये आपको जरूर ठहरना पड़ेगा। जैसे कि आप कमरा चाहेंगे, टेलीफून चाहेंगे, ऐसी चीजों के लिये मैं प्रयत्न करता हूं। लेकिन उपलब्ध हों तो यह सहूलियतें मिलती हैं, कभी-कभी यदि यह उपलब्ध नहीं होती हैं तो छोटी-छोटी पार्टियों को नहीं देते हैं। मुख्य पार्टियों को, जो बड़े हैं, उनको प्रयत्न से मिल गईं। शायद किसी छोटी पार्टी को न मिली हों, लेकिन मैं उसके लिये प्रयत्न करता हूं। इस ग्रुप के लिये भी जब वह पार्टी हो जायगी तो मैं समझता हूं कि और चीजें उपलब्ध हो सकेंगी।

आचार्य दीपंकर—श्रीमन्, मैं कुछ जानना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष—अब ज्यादा समय नहीं है। आप मेरे कमरे में आकर बात करें।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, मैं दूसरे विषय के संबंध में कहना चाहता हूं जैसा आपने कहा कि पालीवाल जी के दल की संख्या ४४ थी, लेकिन अब वह नहीं रह गयी है तो क्या उसकी मान्यता छीन लेंगे?

श्री अध्यक्ष—आपने फिर शर्तिया बात कही।

श्री राजनारायण—उसी दल में आचार्य दीपंकर भी थे....

श्री अध्यक्ष—अब आगे चलिये कार्यवाही शुरू हो। वह प्रश्न मेरे सामने नहीं है।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् विधेयक, १९५९—(क्रमागत)*

श्री अध्यक्ष—कल माननीय रामशरण यादव भाषण दे रहे थे वह पांच मिनट और बोलना चाहते हैं।

श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)—मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से मंत्री जी से निवेदन कर रहा था कि ३१ नये पैसे पर एकड़ का रेट निर्धारित किया गया है उसमें किसी भी किस्म की निम्नतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी काश्तकार के पास केवल एक बिस्वा या एक बिस्वांसी जम न है तो भी ३१ नये पैसे प्रति एकड़ के हिसाब से जिला परिषद् टैक्स लगा सकती है। मान्यवर, छोटे-छोटे काश्तकारों का जो रकबा हैं उसमें किसानी की कास्ट पूरी नहीं हो सकती है। इसलिये मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि कम से कम इतनी बात अवश्य मान लें कि जहां ३१ पैसे की पूरी संख्या न होती हो तो वह टैक्स न लगाये। इससे छोटे-छोटे किसानों को जिनकी कास्ट पूरी नहीं पड़ती है उनको कम से कम कुछ राहत मिल सकेगी।

मैं एक बात की तरफ मंत्री जी का ध्यान खींच कर अपना वक्तव्य समाप्त कर दूंगा और वह यह है कि हमारे लायक दोस्त श्री उबैदुर्रहमान साहब ने कल बहुत-सी बातें प्रिजम्शन के आधार पर कही थीं। मैं एक प्रिजम्शन का उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। इसमें चेयरमैन की उम्र ३५ वर्ष रखी गयी है। २१ वर्ष का मतदाता मतदान कर सकता है और सदस्य भी चुना जा सकता है। तो कभी ऐसी परिस्थिति अगर आ पड़े कि २१ वर्ष के ऊपर कोई सदस्य न चुना जाय तो चेयरमैन कौन चुना जायगा? इसके लिये इस बिल में कोई विधान भी नहीं किया गया है। मान्यवर, मैं क्षमा चाहूंगा। मुझे फिर दोहराने की जरूरत है। मेरा दोहराने का मंशा केवल उस चीज की ओर ध्यान दिलाना है। इसमें जो एलेक्शन गांव पंचायत द्वारा रखा गया है, मैं यह निवेदन करूंगा कि जहां मंत्री जी समाज में सहकारी जीवन लाना चाहते हैं, ऐसी उनकी घोषणा है तो कम से कम गांव पंचायतों में यह पार्टीबन्दी पैदा करके सामाजिक जीवन में जो थोड़ी-बहुत सहकारिता बच रही है उसको नष्ट न करें। जब गांव पंचायतों द्वारा सदस्यों का चुनाव होगा तो राजनीतिक पार्टियां चुनाव में कूदेंगी और पार्टी के आधार पर वहां पर भी चुनाव करायेंगी। ऐसी हालत में गांव पंचायतों में व्यक्ति-व्यक्ति में पार्टीबन्दी होगी जिसका परिणाम भयंकर हो सकता है। सामाजिक जीवन की सहकारिता अपने आप विश्रृंखल हो जायगी और सामाजिक व्यवस्था अस्तव्यस्त हो जायगी। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इस समय जो जिला परिषद् का नक्शा दिया गया है और दूसरे माननीय सदस्य जो अपने विचार रखेंगे, नकशे को बतायेंगे, उसके आधार पर जब यह बिल ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में जायगा तो उस पर विचार करेंगे और जो सही बातें हैं, आदर्श बातें हैं, जनतंत्र की बातें हैं उनको उसमें समाविष्ट करने की कृपा करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं उनके प्रस्ताव का स्वागत करता हूं।

---

* १० अगस्त, १९५९ की कार्यवाही से।

*नियोजन उप-मंत्री (श्री सुल्तानआलम खां)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बिल जिला परिषद् का ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये सदन में पेश हुआ है, मैं उसकी ताईद के लिये खड़ा हुआ हूं ।

श्री अध्यक्ष---बहुत से लोग बोलना चाहते हैं तो समय थोड़ा ही थोड़ा लें । मैं रोकता नहीं हूं, लेकिन समय थोड़ा लें तो ज्यादा अच्छा है ।

श्री सुल्तानआलम खां---माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस बिल के ऊपर जो विचार हो रहा है उसको कई रोज गुजर गये और शायद कल तक हम इस बिल पर विचार बहुत सी बातें इस सिलसिले में हमारे सामने आयीं और इससे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का नकशा भी हमारे सामने आ गया । यह एक हकीकत है कि इस सूबे के अन्दर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक मुद्दत से काम कर रहे हैं और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का यह इंस्टीट्यूशन जो देहातों में काम करता रहा उसने कुछ सेवा की । लेकिन वक्त बदल चुका है । जब यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट बना था उसको काफी मुद्दत गुजर गयी और आज इसमें कोई दो राएं नहीं हो सकतीं कि इसमें सुधार की जरूरत थी ।

इस सिलसिले में काफी गौर और विचार हुआ । आज से नहीं तकरीबन पन्द्रह-सोलह साल पहले से और आपकी सदारत में एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कमेटी इस सूबे के अन्दर बैठी थी, उसने पूरी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एक पूरा नकशा दिया था । उसी के आधार पर हमारे इस सूबे के अन्दर गांव पंचायतें कायम की गईं और उसी के आधार पर हमारे इस सूबे के अन्दर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स म्युनिसिपैलिटीज और टाउन एरियाओं के कानूनों में बहुत सी तरमीमें हुईं । उसके बाद अभी हमारे यहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड खत्म करके एक अन्तरिम जिला परिषद् बनाई गई जो काम कर रही है । जिस वक्त अन्तरिम जिला परिषद् बनाई गई थी तो उस वक्त बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बात पर एतराज किया था कि इसके जरिये से जो अख्तियारात आज तक एक नान आफिशियल बोर्ड के हाथ में थे उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा आफिशियल्स के हाथ में जा रहा है । लेकिन इसलिये कि वह एक आरजी इन्तजाम था, टेम्पोरेरी इन्तजाम था, इसलिये मुनासिब समझा गया कि जिलाधीश को उसका सदर बना दिया जाय । आज यह बिल जिसको हम बहुत दिनों से तवक्को कर रहे थे और जिसकी हम बहुत दिनों से आशा करते थे वह हमारे सामने आ गया और इस बिल के जरिये से वह तमाम सुधार, वह तमाम चीजें जो कि हममें आज देहातों में लानी हैं, वह लायी गई हैं । मैं इस बात को मानता हूं कि, शायद जैसा कि यहां कहा गया, कुछ बातें ऐसी रही हों जो कि अब भी हम मसझते हों कि हमारी आशाओं को पूरा नहीं कर सकती हैं मसलन, एक बात यह कही गई कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोर्ड बनाया जाय, यह बात भी कही गई कि सर्विसेज जो हैं वह लोकल बाडीज की वह ट्रांसफरेबिल हों, लेकिन जो तकरीर हमारे माननीय मंत्री ने इस बिल को पेश करने से पहले यहां की, उसमें हर बात साफ हो गई होगी और इसके मानी यह हैं कि जो बातें इस बिल में नहीं रही हैं उसके मानी यह नहीं हैं कि उन बातों से इनकार किया जा रहा है लेकिन उन बातों के करने में कुछ समय लगेगा, कुछ फाइनेन्शियल कंसिडरेशन्स भी सामने आयेंगे और उसको एक तरीके का रूप दिया जायगा । जाहिर है कि हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं वह हमारा काम बिलकुल एक ईवोल्यूशन का काम है । हम ईवाल्व कर रहे हैं नये सिस्टम को, ईवाल्व करके आगे बढ़ रहे हैं । किसी रिवोल्यूशन के जरिये से कोई कानून बनाना नहीं चाहते । अगर कोई कानून किसी रिवोल्यूशन के जरिये से बनाना हो तो उसके लिये कम से कम इस हाउस के अन्दर जगह नहीं है, उसके लिए जगह इस हाउस के बाहर होगी । इसीलिये इस बिल पर इस तरीके पर गौर किया जाय . . . . .

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न जानना चाहता हूं । मेरा निवेदन यह है कि मैं भी आपके नाम से जो कमेटी बैठी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

थी उसका एक सदस्य था और माननीय सदस्य जो भाषण दे रहे हैं वह भी उसके एक सदस्य थे। अन्तर केवल इतना है कि उस समय वह अपोजीशन बेंचेज में थे और मैं सरकारी बेंचेज में था। उस समय उस कमेटी ने कुछ सिफारिशें की थीं कि डाइरेक्ट एलेक्शन हो बालिग मताधिकार के आधार पर, एक प्राविंशियल बोर्ड बनाया जाय जो कि सब बोर्डों का सचालन करे और प्रान्तीय सरकार से बोर्ड स्वतत्र कर दिये जांय। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की सर्विसेज प्राविंशियलाइज की जायं। यह जो सुझाव उस कमेटी ने दिये थे आज उनका समावेश इस बिल में नहीं है। मैं माननीय वक्ता महोदय से यह जानना चाहता हूं कि आया वे उन सिफारिशों के प्रति जो कि खेर कमेटी ने आज से बीस वर्ष पहले की थीं, वफादार हैं या नहीं ?

श्री सुल्तान आलम खां--जो प्रश्न मेरे मित्र ने अभी पूछा है उसके मुताल्लिक तो मुझे कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। वह खुद भी जैसा फरमाते हैं उस कमेटी के मेम्बर थे और मै भी उस कमेटी का मेम्बर था और अध्यक्ष महोदय खुद उसके सदर थे। उस कमेटी में जो बातें हुई हों उनको तो शायद जाहिर भी नहीं किया जा सकता है और हम सब उस बात को जानते हैं और मुझे किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने तो पहले ही यह कहा कि जो सिफारिशें उस कमेटी ने की थीं उस वक्त से गंगा के पुल के नीचे से न जाने कितना पानी बह गया होगा। वह तमाम बातें इस वक्त जरूरी नहीं भी हो सकती हैं जो कि उस वक्त जरूरी थीं और बहुत सी ऐसी भी हो सकती हैं जो कि उस वक्त गैर जरूरी समझते रहे हों, वह आज जरूरी हो गयीं हों। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बिल के अन्दर जो बातें दी गई हैं अगर उनको पढ़ने की कोशिश की जाय तो मालूम होगा कि हमारी बहुत-सी जरूरतें यह बिल पूरी करता है। अभी तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो हमारे इस सूबे के अन्दर काम कर रहे थे उन डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के पास थोड़े बहुत अख्तियार थे और वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बहुत ही मामूली काम करते थे। उनके पास कुछ सड़कों का काम था, कुछ फेरी का काम था, कुछ प्राइमरी एजूकेशन का काम था, लेकिन अगर इस बिल को देखा जाय तो इससे मालूम होगा कि इसके अन्दर जो देहात की हमारी जरूरतें हैं वह करीब-करीब सब पूरी कर दी गई हैं।

अध्यक्ष महोदय, आज हमारी जरूरतें क्या हैं ? सब से बड़ी जरूरत हमारी यह है कि इस मुल्क में जो हम डेवलेपमेंट की कोशिश कर रहे हैं उसमें कामयाबी हो। माननीय सदस्य इससे वाकिफ होंगे कि प्लानिंग के काम को लेकर जो हम इसमें डेवलेपमेंट कर रहे हैं उससे हम मुल्क में आगे बढ़ रहे हैं। मैं इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो डेवलेपमेंट का काम हम इस मुल्क में कर रहे हैं वह एक पार्टी का काम नहीं है। वह किसी एक दल का काम नहीं है। वह तो नेशन का काम है और जो प्लानिंग का काम शुरू हो रहा है उसमें सब की राय शामिल है। यह प्लानिंग का काम जो अभी तक हो रहा था उससे हमारे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का कोई ताल्लुक नहीं था लेकिन आज इस बिल के जरिये से प्लानिंग के काम को जिला परिषदों से बिलकुल मिला दिया गया है। वह करोड़ों रुपये और अरबों रुपये जो प्लानिंग पर खर्च होते हैं वह सेन्टर से आते हैं। उसको एक हद तक खर्च करने में हमारी राय होगी। हर जिले के अन्दर प्लानिंग एडवाइजरी कमेटी कायम कर दी गई है। जिन लोगों ने बलवन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ा होगा उन्होंने देखा होगा कि यह जिला बोर्ड में प्लानिंग एडवाइजरी कमेटी एक डेवलेपमेंट कमेटी रहेगी। इसको पूरा अख्तियार दिया गया है और इसके जरिये से गांवों के अन्दर सेन्टर बनाये जा रहे हैं जिसके जरिये से डेवलेपमेंट और प्लानिंग का काम आगे बढ़ाया जायगा। अब हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जैसा बलवन्तराय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इनको एक स्टेट्यूटरी स्टेटस दिया जाय। तो इस बिल के जरिये से स्टेट्यूटरी स्टेटस दिया जा रहा है। यह जो आपके ब्लाक होंगे उन ब्लाकों की सीमा होगी जो कांस्टीट्यूएन्सी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की काटी जाएगी। इसके मुताल्लिक मैं अभी अपनी राय जाहिर करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि वह मजमून सामने नहीं है।

[श्री सुल्तानआलम खां]

जो बातें कही गई हैं कि इन जिला परिषदों के अन्दर हमारे लेजिस्लेचर के मेम्बरों को नहीं रखा गया है इस पर काफी बहस हुई है। इस के बारे में दो रायें हैं। कुछ लोगों का खयाल है कि लेजिस्लेचर के मेम्बरों को जिला परिषदों के अन्दर नहीं होना चाहिये और कुछ लोगों का यह खयाल है कि लेजिस्लेचर के मेम्बर उसमें रहने चाहिये। लेकिन मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि इस बिल के अन्दर जो स्कीम रखी गई है वह बेहतर है। जहां तक परिषद् का ताल्लुक है अगर लेजिस्लेचर के मेम्बर उससे अलग रहें और अलग रहकर अपनी राय प्लानिंग के काम में दे सकें तो यह ज्यादा बेहतर होगा। इसलिये जो इसके साथ साथ प्लानिंग कमेटी बनाई गई हैं जिसमें कि परिषद् के लोग भी शामिल होंगे और इसके अलावा लेजिस्लेचर के मेम्बर भी शामिल होंगे और वह इस प्लानिंग के काम में जिनके पास काफी समय रहता है, वह बेहतर राय दे सकेंगे और उनकी राय की पूरी वकत होगी और वह अपनी राय से सब लोगों को वहां लाभ पहुंचाते रहेंगे। लेकिन जो रोज का काम है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को चलाने का शायद यह मुनासिब न होगा कि इसके अन्दर लेजिस्लेचर के मेम्बरों को शामिल किया जाय। मेरी खुद यह राय है। कोई रूलिंग पार्टी या कांग्रेस की यह राय नहीं है बल्कि दूसरे माननीय सदस्यों ने जो दूसरे दल के थे उन्होंने इस तरह से राय जाहिर की है। मैं समझता हूं बगैर सोचे हुये इस पर कहने की जरूरत नहीं मालूम होती। एक चीज और है कि इसके बावजूद भी अगर हमको मुत्तफिक तौर पर तय करना है तो ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी के सामने यह बिल जा रहा है और वहां हर दल के लोग मौजूद होंगे और वहां पर आप भी होंगे वहां बैठ कर वह उस पर विचार कर सकते हैं और माननीय मंत्री जी भी वहां होंगे। अगर मुत्तफिका तौर पर हम इस बात में सहमत हों तो उसका प्राविजन किया जा सकता है।

एक बात और कही गयी और वह यह कि चुनाव के तरीके पर एतराज किया गया। इसमें चुनाव का इनडाइरेक्ट तरीका रखा गया है और इसमें कोई दो रायें नहीं हैं। बाज लोगों ने मांग की है कि डाइरेक्ट इंतखाब किये जाने चाहिये। जहाँ तक गवर्नमेंट या मंत्री जी का ताल्लुक है, यह नहीं कहा गया कि वह डाइरेक्ट एलेक्शन नहीं चाहते या वह कराने के लिये तैयार नहीं हैं। जरूरत इस बात की है कि जिला परिषद् जितनी जल्दी से जल्दी चुन कर आ सकें आयें और इसलिये कोशिश यह है कि स्कीम कुछ इस तरीके की हो कि लोग जल्दी से काम शुरू कर सकें। जो डाइरेक्ट एलेक्शन का तरीका होगा जाहिर है कि उसमें एक बड़े तौर पर कार्यवाही करनी पड़ेगी और पैसे का कंसीडरेशन भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर हाउस यही चाहता है तो ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी इस पर विचार कर सकती है।

इसके अलावा पिछले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बिल के मुकाबले में इस बिल को देखा जाय तो जो फर्क है वह गौर करने के काबिल है। इस बिल में एक धारा १३४ है जिसमें माइनर इर्रिगेशन का काम जिला परिषदों को दिया गया है। यह ऐसी चीज है कि जिसके मुताल्लिक दो रायें नहीं हो सकतीं। बड़े पैमाने पर हम इर्रिगेशन का इंतजाम कर रहे हैं लेकिन छोटे पैमाने पर इर्रिगेशन बढ़ाने की अधिक अन्न पैदा करने के लिये बड़ी जरूरत है। हमारे हालात को देखते हुए इनकी बड़ी जरूरत है कि हम इनका ज्यादा से ज्यादा प्रबन्ध कर सकें। इस के लिये लोकल इनीशियेटिव होना चाहिये। चुनांचे इसका प्राविजन हमने धारा १३४ में किया है जिसको अगर हम सही तौर पर अंजाम दें तो काफी फायदा उठा सकते हैं। जाहिर है कि हमारा देश काफी अरसे तक एग्रीकल्चरल कंट्री ही रहेगा। हम इंडस्ट्री बढ़ाना चाहते हैं लेकिन जब तक हमारा कंट्री एक एग्रीकल्चरल कंट्री है हमको अपने हालात को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा पैदा करने के लिये छोटी इर्रिगेशन की स्कीम्स को चालू करने की जरूरत है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बेजा न होगा अगर मैं यह भी कह दूं कि हमारे मुल्क के सामने एक बड़ी समस्या है और वह खाने-पीने की चीजों की है। हमारे लिये इस बात की बड़ी जरूरत है कि हम अपना प्रोडक्शन बढ़ायें और खास तौर से इसलिये कि हमारे मुल्क की आबादी तेजी से बढ़ रही है। इस बढ़ती हुई आबादी के लिये अगर हम स्टेट, न्याय पंचायतें, गांव

पंचायतें, जिला परिषद् सब मिल कर कोशिश करें तभी हम इस समस्या को हल कर सकेंगे और अगर ऐसा न हुआ तो इस मुल्क का क्या हश्र होगा यह हम नहीं जानते। तो इस बात की कोशिश की गयी है कि जिला परिषद् को इन कामों के लिये आमादा किया जाय जिनके जरिये से हम मुल्क की एग्रीकल्चर को बढ़ा सकें, मुल्क के अंदर प्रोडक्शन बढ़ा सकें ताकि हमारी समस्या गल्ले की, खाने-पीने की, खास तौर से बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए हल की जा सके।

इसी सूरत से जो धारा १३३ है उसमें जो जिला परिषद् की ड्यूटीज लिखी हुई हैं उनका मुकाबला अगर पिछले बिल से करें तो पता लगेगा कि उनके कितने अख्तियारात हैं, कितने मिल गये हैं। उनके पास कितना काम है इसका अंदाजा उससे हो सकता है। जरूरत इस बात की है कि हम सही तौर पर जो लोग लायें वह अच्छा काम कर सकें।

जो उस काम को सही तौर से कर सकें। इसी सूरत से जो इन जिला परिषदों को एक आमतौर पर शिकायत रहती है और वह सही शिकायत है कि हमारी लोकल बाडीज फाइनेन्शियल तरीके पर इस काबिल नहीं हैं कि अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, पंचायतों को भी शिकायत रही और सबको रही कि इतने उनके रिसोर्सेज नहीं हैं कि अपनी आजकल के हालात में जरूरतों के मुताबिक कोई डेवलपमेंट कर सकें। इसलिये इस बिल के अन्दर ऐसा प्रावीजन भी कर दिया गया है जिससे उनका फाइनेन्शियल स्टार्वेशन न हो सके।

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो सर्कमस्टेंसेज और प्रापर्टी टैक्स और दूसरे टैक्स लगाते हैं वह जारी रहेंगे, लेकिन सरकार ने इसका प्रबन्ध किया है कि जो स्टेट को यहां टैक्सेशन करने की पावर्स हैं उसमें से वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का हिस्सा निकाले और फाइनेन्शियल रिसोर्सेज पैदा करे। यह बहुत बड़ा फर्क है जो इस बिल के अन्दर किया गया है और कोशिश की गयी है कि इसको ऐसा बनाया जा सके जिससे उनकी फाइनेन्शियल हालत मजबूत हो सके, उनकी पावर्स और फंक्शंस बढ़ सकें जिससे हकीकत में वह ऐसे कामयाब इंस्टीट्यूशंस बन सकें जिनके जरिये हम डेवलपमेंट और प्लानिंग के काम को तरक्की दे सकें।

एक चीज आखिर में यहां पर अर्ज करूं, हमें अफसोस है कि हमारी पंचायत जो इस सूबे में १० साल से कायम हैं कुछ बहुत अच्छा काम नहीं कर रही हैं, इसलिये कि उनके रिसोर्सेज अच्छे नहीं थे, दूसरे कांग्रेस ने इस बात का फैसला किया कि गांव पंचायत के चुनाव में वह हिस्सा नहीं लेगी, क्योंकि वह ऐसा मुकाम है जहां कोई पोलिटिकल ईश्यू इन्वाल्व नहीं रहता है और साथ ही में कोई विरोधी दलों को इल्जाम नहीं देता लेकिन वहां बहुत-सी ऐसी बातें होती हैं जसमें पार्टीबन्दी का रंग आ जाता है और वह काम खराब होता है। अब हम एक नये एरा में कदम रखने जा रहे हैं और अब कोई ऐसी सूरत भी नहीं होगी कि कोई सरकारी आदमी अध्यक्ष हो। एक नान-आफिशियल अध्यक्ष होगा और उसके सब मेम्बर नान-आफिशियल होंगे और अगर उसको हम पार्टी बन्दी से ऊपर उठा सकें तो हमें बड़ी कायमाबी इस काम में मिलेगी।

एक चीज कही गयी कि जिला परिषद् में डिस्ट्रिक्ट लेविल के अफसरान शामिल होंगे लेकिन लेजिस्लेटर्स की शिरकत की इजाजत नहीं होगी। मैं तो यही अर्ज कर सकता हूं कि लेजिस्लेटर्स के लिये तो आज भी मना नहीं है। हर लजिस्लेटर अपना एलक्शन लड़ कर अगर चाहे तो आ सकता है और यह मैं समझता हूं किसी के लिये मुनासिब नहीं होगा कि वह बैकडोर से आने की कोशिश करे, तो यह सवाल तो यों समाप्त हो जाता है, लेकिन यह जरूर है कि डिस्ट्रिक्ट लेविल के आफिसर्स जिला परिषद् में आयेंगे जरूर लेकिन उनको वोट देने का अधिकार नहीं होगा। यह जाहिर बात है कि डेवलपमेंट और प्लानिंग का काम भी जिला परिषद् के सुपुर्द किया जा रहा है, उसका फैलाव बहुत ज्यादा है और उसमें लाखों और करोड़ों रुपये जो गवर्नमेंट आफ इंडिया के आयेंगे उनके अखराजात का भी सवाल है तो अगर हम मशविरा और सलाह के लिये डिस्ट्रिक्ट आफिशियल्स को वहां बुलाते हैं तो उससे जिला परिषदों को आराम पहुंचेगा और आसानी पैदा होगी।

[श्री सुल्तान आलम खां]

वह उनके जरिये से मदद हासिल कर सकेंगे और जाहिर है कि जब वोट देने का कोई अधिकार नहीं होगा तो वह ऐसा नहीं करेंगे कि डे टु डे एडमिनिस्ट्रेशन में दखल दें। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मैं कोई लम्बी तकरीर करके सदन का समय नहीं लेना चाहता लेकिन मैं समझता हूं कि जो स्कीम इसमें रखी गई है वह जो लिमिटेशन्स है उनमें सबसे अच्छी है। फिर यह बिल ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी के सामने जा रहा है जिसमें इस सदन के और दूसरे सदन के भी सदस्य होंगे और यही नहीं कि सिर्फ एक पार्टी के सदस्य होंगे बल्कि जो इस सदन में ५–६ पार्टियां हैं उन सब के सदस्य उसमें रहेंगे और वह सब इस पर गौर करेंगे। वह सब अपने सामने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की तवारीख, उसका इतिहास भी अपने सामने रखेंगे और उसकी रोशनी में जांचेंगे कि इसके जरिये से हम कितना आगे बढ़ रहे हैं। यह कोई रेवोल्यूशनरी बात नहीं है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि रेवोल्यूशन तो हाउस के बाहर से शुरू होता है। अगर हाउस के अन्दर कोई इनीशिएटिव लिया जाता है तो वह इस तरह से ही हो सकता है। जहां तक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के रेवोल्यूशन का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि यह बड़ा कामयाब कदम है, एक बहुत ही ऊंचा कदम है और इसके जरिये से हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की नयी इमारत खड़ी कर रहे हैं वह हमारे लिये बहुत कारामद चीज साबित होगी, उससे इस मुल्क की काफी भलाई हो सकती है बशर्ते कि हमने इसी स्पिरिट में रहने की कोशिश की। जैसा मैंने शुरू में अर्ज किया हमारे लिये पोलिटिकल इख्तिलाफात के लिये बहुत बड़ा मैदान है, असेम्बली है, काउन्सिल है और पार्लियामेंट है, लेकिन जहां तक रूरल एरिया में काम करने का ताल्लुक है चाहे वह विलेज बेसिस पर हो या डेवलपमेन्ट ब्लाक बेसिस पर हो या जिला बेसिस पर हो वहां इससे बेहतर इन्तजाम नहीं हो सकता कि हम लोकल लीडरशिप उठने दें, उनको हम वाच करें हमदर्दी के साथ और उनको सलाह दें और उनको मौका दें कि वह अपनी गल्तियों से अपने को सुधारें लेकिन उनके डे टू डे काम में कोई दस्तन्दाजी नहीं होनी चाहिये ताकि बेहतर तरीके से वह इस काम को चलाने की कोशिश करें।

इस बिल को अगर पढ़ा जाय तो यह जाहिर हो जायगा कि इसके अन्दर इस बात की कोशिश की गई है कि डिस्ट्रिक्ट लेविल पर जो आफिसर हैं वह सलाह देने के लिये परिषद् में मौजूद रहें और इस बात को नहीं रखा गया है कि उनके जरिये से कोई अनड्यू या अनवारेन्टेड इन्टरफियरेंस हो। इसके अलावा टाउन एरिया का सुपरवीजन भी बजाय इसके कि वह किसी प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी जो कमिश्नर या कलेक्टर है उसके जरिये से हो बल्कि वह भी परिषद् के सामने लाया जा रहा है। आप अपने विलेजेज को सुपरवाइज कर सकेंगे, टाउन एरियाज का सुपरवीजन कर सकेंगे लेकिन सुपरवीजन के हद तक सुपरवीजन कर सकेंगे, इन्टरफियरेन्स नहीं करेंगे। जहां तक जिले के अन्दर देहात का ताल्लुक है वहां आप इस बिल की मदद से काफी तरक्की कर सकते हैं और इसके अलावा जो सब से बड़ी चीज है, जिस पर हमारा सब से ज्यादा जोर है, डेवलपमेंट या प्लानिंग, उसमें भी मदद कर सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। मुझे आशा है कि इस बिल की इम्पार्टेन्स को देखते हुये इसको ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी में भेज देंगे ताकि जल्दी से जल्दी यह बिल वहां से पास हो कर ऐक्ट बन सके और हम लोग इस तरह की कोई कोशिश नहीं करेंगे जिसके जरिये इस बिल के पास होने में बिला वजह कोई देर हो।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, आज जिस विधेयक पर हम विचार कर रहे हैं इस सूबे में वह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है और इस विधेयक के द्वारा हम सारे उत्तर प्रदेश के अन्दर एक नयी स्फूर्ति, नयी चेतना, नयी जागृति देने की बात कर रहे हैं। जहां तक हमारी प्रदेश की जनता का सम्बन्ध था, जनता भी यही इच्छा रखती थी कि जब सन् १९४८ में जिला बोर्ड का चुनाव हुआ, १० वर्ष तक वही जिला बोर्ड रह गये और उत्तर प्रदेश की सरकार को ७–८ वर्ष का समय मिला विचार-विनिमय करने के लिये और जनता के हित को सर्वांगीण स्वरूप प्रदान करने के लिये कि कैसे विधेयक को प्रस्तुत करने की

आवश्यकता है, कोई अच्छा विधेयक आये। अगर किसी ने इसके उद्देश्य और कारणों का अच्छी प्रकार से अवलोकन किया है तो उसमें लिखा हुआ है:--

"इस विधेयक में वर्णित जिला परिषद् का कार्य जिले के ग्राम्य क्षेत्रों के संबंध में स्थानीय शासन संबंधी कृत्य करने के अतिरिक्त, विकास की योजनाएं तैयार करना और उन्हें स्वयं तथा खंड विकास समितियों और गांव पंचायतों के माध्यम से निष्पादित करना होगा।"

उद्देश्य तो अच्छे हैं, लेकिन जिस उद्देश्य और खेर कमेटी की चर्चा की गयी, यदि उस खेर कमेटी का अध्ययन किया जाय तो उसमें भी यह है कि यह बातें जिला परिषदों के द्वारा करायी जायं। मगर मैं यह निवेदन करूंगा कि जो उद्देश्य यहां वर्णित किये गये हैं, क्या उनको इस विधेयक की धारायें मूर्तिमान स्वरूप प्रदान कर पायेंगी? मुझे इस सदन में इस समय बड़ा अफसोस हो रहा है। न तो सदन के नेता हैं, श्रीमन् सम्पूर्णानन्द जी, विरोधी दल के नेता--श्री त्रिलोकी सिंह जी भी उठ कर चले जा रहे हैं तथा दूसरी पार्टियों के नेता भी नहीं हैं। मैं तो चाहता हूं कि अपने साथ सब को करूं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आप उठ कर न जायं. . . .

श्री अध्यक्ष--मैं आप के किसी बनारस के साथी को ही बिठा जाऊंगा।

श्री राजनारायण--ये सब बातें क्यों हो रही हैं? जब से इस विधेयक की चर्चा चली है, तब से मैं अच्छी तरह से छानबीन कर रहा हूं और इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि कहीं न कहीं खामी हम सभी में है। वह खामी क्या है? हम इस सदन में किस प्रकार से आये? अगर कहीं पार्लियामेंटरी पद्धति होगी, जनतंत्र होगा तो पार्टियों की व्यवस्था भी होगी और विधान सभा के सदस्य जब आम चुनाव में भाग लेंगे तो अपना इलेक्शन मेनीफेस्टो भी देंगे चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो, सोशलिस्ट पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, जनसंघ हो या प्रजा सोशलिस्ट पार्टी हो, चाहे कोई भी हो। अभी माननीय अध्यक्ष ने कहा कि इन पार्टियों का बाहर भी काम होना चाहिये। इन पार्टियों का भी बाहर विधान होगा। तो मूल प्रश्न आज यह है कि जिस पार्टी का विधान जिस ढंग का होगा, वह पार्टी उसी के तदनुरूप शासन व्यवस्था भी चलायेगी। मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि सब के सामने यह प्रश्न उठना चाहिये। और जब हम यह प्रश्न उठायें तो हमको अपनी छाती पर हाथ रख कर अपने दिल को टटोलना चाहिये कि क्या उन्होंने चुनाव में खड़े होने के पूर्व मान्यता प्राप्त अपनी-अपनी पार्टी का घोषणा-पत्र अध्ययन किया था। किया था तो ठीक। अगर न किया हो तो अब करें। तब इस विधेयक की गतिविधि, इस विधेयक की शक्ति, इवौल्यूशन, रिवोल्यूशन, विकास और क्रान्ति की बात हो पायेगी नहीं तो न हो पायेगी। इसलिये आज सभी पार्टियों के चुनाव, घोषणा-पत्र, सभी पार्टियों के विधान और कार्यक्रम अपने साथ लाया हूं ताकि हम इधर-उधर की बातें न करें। कांग्रेस पार्टी का विधान आप देखें उसमें अब भी अध्यक्ष को अधिकार है कि वह अपनी कार्यसमिति और मंत्री की नियुक्ति करे। मैं जानना चाहूंगा कि अब जिस पार्टी का ऐसा विधान होगा, क्या वह शासन व्यवस्था अपने हाथ में लेने पर विधेयकों में तदनुरूप ही व्यवस्था न करेगी? श्रीमन्, कम्युनिस्ट पार्टी का विधान देखा जाय। अमृतसर सम्मेलन के बाद जब से उन्होंने जनतांत्रिक क्रान्ति का बिगुल बजाया, इन्होंने कहा कि हम जनवादी हो गये हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ने बहुत ही सफाई के साथ अपने विधान में इस बात को लिखा है कि हम जनवादी केन्द्रीयता के सिद्धान्त में यकीन करते हैं। जनवादी केन्द्रीयता के क्या माने हैं? आज कम्युनिस्ट पार्टी के मेम्बर यहां बैठकर यह कहें कि जिला परिषद् को पूरा अधिकार क्यों नहीं दिया गया है, जिला परिषद् को चौखम्भा राज्य की तरह से क्यों न संचालित किया जाय, इसको समझने में दिक्कत होती है कि जो पार्टी अपने विधान में जिसके द्वारा वह स्वतः को संचालित करती है, केन्द्रीयता के सिद्धान्त को रखा है तो क्या सही मायने में उसके हाथ में शासन की बागडोर आ जायगी तो जो चीज आज कही जाती है उसके मुताबिक वे काम करेंगी क्या? श्रीमन्, आपके द्वारा मैं इस सदन के सम्मानित सदस्यों

[श्री राजनारायण]

से निवेदन करना चाहता हूं कि हम किसी पर आक्षेप करना नहीं चाहते हैं, हमारी बात को कटुता के साथ न लिया जाय, उसका अध्ययन किया जाय और अगर कोई बात यहां अच्छी तरह से समझ में न आवे तो यह हमारा खास विषय है, आप बाहर हमसे मिल कर बात कर लें। जनतंत्र के माने क्या हैं? हमारे उद्देश्य में लिखा हुआ है कि जनतंत्र के सिद्धान्त. . . .

श्री अध्यक्ष--- सभी के कांस्टीट्यूशन्स को पढ़ दीजिये तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री राजनारायण---बहुत अच्छा। श्रीमन्, जनसंघ के विधान को देखा जाय। जनसंघ के विधान में है कि उनका जो अध्यक्ष होता है वही अपनी कार्यकारिणी को मनोनीत करता है। अगर मैं कोई गलत चीज कहता होऊं तो जनसंघ के माननीय सदस्य मुझसे कह देंगे, मैं बैठ जाऊंगा। तो क्या जनसंघ के हाथ में शासन की बागडोर चली जायगी तो जैसा उन्होंने केन्द्रीयता के सिद्धान्त को अपनाया है कि एक व्यक्ति को सर्व अधिकार सुपुर्द कर दिया और एक सब से बड़ी कमेटी जिसको सब अधिकार दिया हुआ हो, वह उस कमेटी को मनोनीत करे, तो क्या सही माने में वे चाहते हैं कि जिला परिषद् में सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना चाहिये और क्या वह उनके उद्देश्य से मेल खा रहा है?

पी० ए० पी० के विधान को देखा जाय। जहां तक इनका विधान है वैसे तो उन्होंने अपने यहां चुनाव पद्धति रखी है मगर ऐसे अवसर आये हैं जब कि सम्मेलन हुए हैं। उन्होंने एक व्यक्ति को सारे अधिकार सुपुर्द कर दिये हैं।

जहां तक सोशलिस्ट पार्टी का सवाल है, मैं निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि सोशलिस्ट पार्टी ने इस बात को मान्यता प्रदान की है कि हमारे यहां नामिनेशन नहीं हो सकता। हमारे यहां चुनाव होगा और बहुत बड़े-बड़े सम्मेलनों में भी बैलट के द्वारा चुनाव होगा। हमारे यहां कोई भी सम्मेलन हो, कोई ऐसा नहीं बतला सकता कि, राष्ट्रीय हो, प्रान्तीय हो या जिला कार्यकारिणी का चुनाव हो, वह बैलट के द्वारा न हुआ हो। श्रीमन्, इसलिये मैं अपने सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी पार्टी के कायदे कानून के अनुसार शासन व्यवस्था करेंगे तो क्या वह चल पायेगी? एक बात मैं कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में और कहना चाहता हूं . . . .

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि जो बहस आप कर रहे हैं उससे तो और पार्टियां गवर्नमेंट के साथ हो जायेंगी।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैंने आप से पहले भी निवेदन किया कि मुझसे चाहे कुछ लोग रंज हों जायं मगर मुझसे गुमराह नहीं हो सकते। मैं चाहता हूं कि सही माने में कांग्रेस पार्टी के साथ उनका मेल खाये तो वे उसके साथ हो जायं, लेकिन सही माने में उनका सिद्धान्त उनके अनुसार न हो तो वे हमारे साथ हो जायं।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)---और आप अकेले लोकतंत्र को चला लेंगे।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं माननीय विचित्रनारायण शर्मा जी की इज्जत करता हूं और बराबर उनकी बातें सुनता हूं। मैंने एक बार आपके नेतृत्व में श्री सम्पूर्णानन्द जी तथा और विधायकों के लेक्चर का अरेंजमेंट किया था, लेकिन वह चीज नहीं चल पायी। माननीय विचित्रनारायण शर्मा जी ने सही बात कही कि दो परिस्थितियां हैं, सब्जेक्टिव और आब्जेक्टिव। एक तो कर्तृ प्रधान होना चाहिये और दूसरे यह कि वातावरण उसी के अनुकूल हो। अगर दोनों का मेल न खाये तो व्यवस्था का समाधान ठीक रूप में नहीं हो पायेगा। यह उनका कहना सही है कि मस्तिष्क, दिमाग और सोचने की, तर्क की शक्ति सोशलिस्ट पार्टी में है लेकिन हमारे यहां जनशक्ति की कमी अवश्य है, इस को हम

महसूस करते हैं। इसलिये अगर जनतंत्र को ईमानदारी से देखा जाय तो उसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व की अक्षुण्य शक्ति मानी जायगी या नहीं, जनतंत्र में यदि व्यक्ति की अक्षुण्य शक्ति है, यदि उस के दिमाग को अवाधित गति से विकसित होने का अवसर है तब तो ठीक है वर्ना कम्युनिस्ट पार्टी के विधान में तो यह है कि यदि २ पुराने सदस्य नये मेम्बर बनने वाले की दरख्वास्त पर दस्तखत करते हैं तब नया मेम्बर, सदस्य बन सकता है, उसकी दरख्वास्त एक मास तक छोटी कमेटी में रहेगी और साल भर तक प्रार्थी को उम्मीदवार की हैसियत में रहना होगा।

(इस समय १ बज कर १६ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री बेचन-राम गुप्त, पीठासीन हुए।)

यह स्वतंत्रता है कम्युनिस्ट पार्टी का मेम्बर बनने की, जब तक पुराने दो मेम्बर न कहें, जब तक नये सदस्य के प्रार्थना-पत्र पर दो सदस्यों के हस्ताक्षर न हों तब तक वह मेम्बर नहीं हो सकता। रोज जनतंत्र के गुणों का विवाद किया जाता है, उसमें जनतंत्र का सवाल क्या राज्यपाल से उठाया है? यदि सही मानों में कोई सरकार जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती है तो किंग उसको निकाल सकता है, हटा सकता है और इसीलिये हमने माननीय राज्यपाल को एक पत्र भेजा है कि वह वर्तमान सरकार को हटायें क्योंकि सही मानों में यह सरकार जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। जनतंत्र में जनता को हमेशा यह अवसर प्राप्त होना चाहिये कि वह अपने को बहुमत में बदल दे परन्तु कम्युनिस्ट पार्टी तो स्वयं जनतंत्र का निषेध है क्योंकि उसका मेम्बर तक कोई बिना पुराने मेम्बरों के हस्ताक्षर के नहीं बन सकता। अगर वह जनतंत्र की बात करते हैं तो पहले वह अपने विधान को समझें, उस पर पहले सोच-विचार लें फिर जनतंत्र की बात वह करें।

माननीय रामलक्षण तिवारी जो बलिया के हैं, उनका बड़ा लम्बा चौड़ा यहां भाषण हुआ और उसमें उन्होंने बड़ा जोर इस बात पर दिया कि विधान सभा के सदस्य जिला परिषद् के सदस्य रहें या न रहें। इस सम्बन्ध में उन्होंने अपने मत का प्रकाशन किया। अनेक राजनैतिक पार्टियों के अलग-अलग नियम हैं परन्तु हमारी पार्टी इस विषय में हमेशा एक जगह पर ही रही है। हमारे यहां आदेश है कि एक आदमी एक जगह पर ही सदस्य रह सकता है जो विधान सभा का सदस्य है वह जिला परिषद् का सदस्य नहीं हो सकता। इस तरह का विधान यदि सब पार्टियां अपने यहां बना लें तो माननीय विचित्र नारायण जी का भार हल्का हो जायगा और किसी का साहस नहीं होगा, विपरीत बोलने का। हमारी सोशलिस्ट पार्टी ने अपना एक विधान बनाया है, उसने कहा है कि हमारा सदस्य जो विधान सभा में जायगा वह विधान सभा में ही रहेगा, वह फिर कौंसिल में नहीं जायगा और अगर कौंसिल में जायगा तो फिर असेम्बली के सीट से उसको विधान सभा का टिकट नहीं मिलेगा। सोशलिस्ट पार्टी ने लिख रखा है और उसी पर हम अपने को अटल पाते हैं, बड़े-बड़े तूफान आये लेकिन हम वहीं रहे। इस सदन में एक बार हम दो ही रह गये थे तब भी हमारी गर्जना वही थी जो कि आज है। जब हमारा आदर्श चमकता हुआ सूरज है तो हमारे मार्ग में अवरोध नहीं होगा। हम बढ़ते जाएंगे। एक आदमी एक ही जगह पर रहे यह राजनैतिक पार्टियां अपने विधान में रखें। यह जनतंत्र का मूल सिद्धान्त है। अगर एक ही व्यक्ति में सारी ताक़त हो जाएगी, वह गांव सभा का भी सभापति हो, जिला परिषद् का भी सभापति हो, विधान सभा का भी सदस्य हो जाय और पार्लियामेंट का भी सदस्य हो जाय, तो कैसे जनतंत्र चल सकेगा। तब तो एक ही में सारी इकानामिक, पोलिटिकल और सोशल पावर्स सेन्ट्रलाइज़ हो जाएंगी। इसलिये हमको इन बातों पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

यह जो जिला परिषदें बनेगी इनका कर्त्तव्य क्या होगा? जिला परिषद् के कर्त्तव्य में उद्योग और कृषि को नियंत्रित करने की बात लिखी गई हैं। उद्योग को हम किस ढंग पर नियंत्रित करेंगे? जिस प्रकार का हमारा चुनाव घोषणा-पत्र है, जिस तरह से हम जनता से कह कर आए हैं, उसी ढंग से तो हम करेंगे? देखा जाना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी,

[श्री राजनारायण]

कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी और पी० एस० पी० ने जनता को क्या आश्वासन दिया है। श्रीमन्, कम्युनिस्ट पार्टी कहती है कि हमारे विकास के मौजूदा दौर में देश भक्त पूंजीपति हमारे देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। पार्टी की इच्छा है कि देशी उद्योगों को विदशी होड़ से बचाया जाय, पूंजीपतियों के तमाम उचित अधिकारों की रक्षा हो और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की योजना लागू करने में उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाय। मैं कहना चाहता हूं अपने कम्युनिस्ट दोस्तों से कि जरा वह अपने चुनाव घोषणा-पत्र को पढ़ें। यह जनयुग प्रकाशन, २२ कैसरबाग, लखनऊ है। इसका १७ पेज मनन कीजिये। आज जिला परिषद् इन के हाथ में जाती है तो क्या पूंजीपतियों के तमाम उचित अधिकारों की रक्षा नहीं करेंगे? आज वह बड़ी डींग हांकते हैं और जनतंत्र का राग अलापते हैं. . . .

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—आगे पढ़िए।

श्री राजनारायण—राष्ट्रीय विकास के लिये आर्थिक साधनों की वृद्धि के लिये तथा मजबूत सार्वजनिक जीवन के निर्माण के लिये मजदूर पार्टी मांग करती है कि बैंक और खानों आदि का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय। अब जब कि कम्युनिस्ट पार्टी के विधान में यह लिखा हुआ है कि कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रीय विकास में देशभक्त पूंजीपतियों का योगदान चाहेगी तो कौन देशभक्त पूंजीपति है? बिड़ला देशभक्त पूंजीपति साबित हुआ। केरल में उससे समझौता किया। समझौते में जो शर्त की उसने बोनस की लड़ाई को जो वर्षों से चलती रही है उस को मटियामेट कर दिया।

श्री अधिष्ठाता—वह पढ़ने की जरूरत नहीं है।

श्री राजनारायण—कोई यह न समझे कि हम अनप्रिपेयर्ड बोल रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—हम बहुत एप्रीशियेट कर रहे हैं।

श्री राजनारायण—समझौते की शर्त जिस पर इनकी गवर्नमेंट और बिड़ला साहब के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर हैं, ये हैं:

"The bonus will not be related to the company's profits or earning but where found necessary by the company will only be related to and paid on efficiency and productivity according to the schemes which may be formulated by the company from time to time."

यह शर्तनामा है कि मजदूरों को बोनस जो मिल में मिल मालिकों के मुनाफ़े पर, २५ प्रतिशत हम मांगते हैं दूसरे सूबों में, अब मिल मालिकों के मुनाफ़े पर, मजदूरों को बोनस नहीं दिया जायगा बल्कि मजदूरों को बोनस समय-समय पर उनकी कार्यक्षमता और उत्पादन शक्ति को देख कर अगर मिल मालिक तय करेगा तो उसी को दिया जायगा। यह सारे अधिकार बिड़ला जी को केरल सरकार ने दिये थे। आज कम्युनिस्ट जिला परिषद् का संचालन किस ढंग से करवाना चाहते हैं और जिला परिषद् जब कृषि और उद्योग को संचालित करने लगेगी तो क्या राष्ट्रीय देश भक्त पूंजीपतियों का योगदान लेंगे या नहीं? मान लिया जाय बनारस की जिला परिषद् चली गई कम्युनिस्टों के हाथ में तो कौन है बनारस में उद्योगपति? साहू, जैन साहब जिनकी ऊंची अट्टालिकायें गरीबों के खून पर बनायी जा रही हैं, उनकी कमाई को लूटा जा रहा है। आज हमारे पास मोती राम जी जो मजदूर यूनियन के प्रतिनिधि हैं, जो रजिस्टर्ड है, कर्मचारी संघ के, वे आये उन्होंने बताया कि शान्ति प्रसाद जैन ऐसी साजिश कर रहे हैं वहां के अधिकारियों को मिला कर कि सारी दूकानें और सड़कें मिला लें. . . .

श्री अधिष्ठाता—उनके बारे में आप न कहें तो अच्छा है।

श्री राजनारायण—जब हम उद्योग की बात जिला परिषद् को देते हैं तो पूंजीशाही व्यवस्था का जिक्र आयेगा इसीलिये हमने प्रसंगवश शान्ति प्रसाद जैन का नाम लिया। उनसे मेरा कोई जातीय द्वेष नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं कम्यूनिस्ट साथियों से कि शान्ति प्रसाद जैन को देशभक्त पूंजीपति मानेंगे या नहीं? उनका योग वाराणसी जिले के विकास के लिये लेंगे या नहीं? यह बड़ा विचारणीय प्रश्न है। इस पर गम्भीरता के साथ जितना दूसरे सदस्यों को मनन करने की आवश्यकता नहीं है उतना कम्युनिस्टों को है।

कृषि के बारे में देखा जाय। अक्सर ऐसी बात कही जाती है कि कम्यूनिस्ट पार्टी किसानों के कर्जों को माफ़ कर देगी। मैं उनको बताना चाहता हूं, अपने घोषणा पत्र का १९ वां पृष्ठ पढ़ें। जमींदारों और महाजनों का जो कर्जा किसानों के सर पर हो उसमें काफी कमी कर देनी चाहिये। गैर वाजिब कर्जे रद्द कर दिये जायं और बाकी कर्ज की अदायगी के लिये कई सालों में किस्त कर दी जाय।

श्री अधिष्ठाता—माननीय राजनारायण जी, किसी पार्टी का क्या विधान है उसकी यहां क्या आवश्यकता है? जहां तक जिला परिषद् से ताल्लुक है उसे पढ़िये।

श्री राजनारायण—मैंने इसीलिये पढ़ा कि किसान, कृषि, उद्योग, मजदूर यह सब जिला परिषद् में हैं। क्या आप ने इसको नहीं देखा?

श्री अधिष्ठाता—मैंने देखा है इसीलिये तो आप को टोक दिया।

श्री राजनारायण—यह अगर मान लिया जाय कि जिला परिषद् कम्यूनिस्ट पार्टी के हाथ में चली गई तो वह किस तरह का कानून बनायेगी किसानों के लिये, क्योंकि उन्होंने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में लिखा है "किसानों के कर्जे जो जायज होंगे उनको किस्तों में, महाजनों के जो कर्जे जायज होंगे उनको किस्तों में दे दिया जायगा।"

श्री विचित्रनारायण शर्मा—विधान तो यहां बन रहा है। कम्यूनिस्ट पार्टी थोड़े ही जिला परिषद् में बनायेगी। यहां जो बनेगा उस पर वे अमल कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा।

श्री अधिष्ठाता—जी हां।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, अब मैं धीरे-धीरे इस नतीजे पर पहुंच रहा हूं कि विधान के निर्माताओं को शायद विधान का ज्ञान नहीं रहता। मैं निवेदन करूंगा विचित्र नारायण जी से कि उनके लिये यह बात लागू नहीं होना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—मैंने आपसे निवेदन किया कि जरा उसकी रिलेवेंसी बतलाते जाइये।

श्री राजनारायण—थोड़ा मौका दीजिये इसके लिये। मैं सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार का वैभव सम्पत्ति कर लगाने की व्यवस्था इस विधेयक के मातहत की गयी है वह नहीं होनी चाहिये। इसमें यह लिखा गया है कि २०० रुपये साल जिसकी आमदनी होगी उस पर भी वैभव सम्पत्ति कर लगाया जा सकता है। मैं अर्ज करूंगा कि ६८ पेज पर अगर देखा जाय तो यह लिखा हुआ मिलेगा कि किसी ऐसे व्यक्ति पर कर नहीं लगेगा जिसकी वार्षिक आय २०० रुपय से कम हो। यानी २०० रुपये से कम जिनकी आमदनी होगी उन पर कर नहीं लगेगा और २०० रुपये तक की आमदनी या उसके ऊपर जिसकी आय होगी उस पर कर लग जायगा। सोचा जाये कि २०० रुपये वार्षिक आय किसकी होगी?

आज कोआपरेटिव—कोआपरेटिव की चर्चा बड़ी चलाई जा रही है। अभी मैं मुरादाबाद गया था। वहां हसनपुर एक तहसील है। वहां परीक्षण-काल के लिये कोआपरेटिव चल रही

[श्री राजनारायण]

है। वहां एक मजदूर को २ रुपये २ आने मजदूरी मिलती है। तो यह खेतिहर मजदूर क्या इस कर से बच सकता है, नहीं बचेगा। यानी खेत मजदूर के खून को चूसने के लिये यह विधेयक है। जब खेत मजदूर जिसकी आमदनी २०० रुपये हो उस पर टैक्स लगाने की व्यवस्था इस विधेयक में विद्यमान है तो कैसे यह सरकार खेत मजदूरों के हितों की रक्षा कर सकती है? कैसे यह सरकार किसानों को महाजनों व जमींदारों के चंगुल से छुड़ायेगी।

किसान की क्या परिभाषा की है? किसी पार्टी के विधान में, सिवा सोशलिस्ट पार्टी के, यह चीज क्लीयर (साफ) नहीं की गयी है। एक हल बैल से जितनी जमीन जोती जाय उससे तीनगुनी से ज्यादा जमीन किसी ५ आदमी के परिवार के पास नहीं रहना चाहिये। किसी दूसरी पार्टी ने यह बात नहीं कही है। जिला परिषद् का निर्माण किस ढंग से हो? आज खेत मजदूर व हरिजन पर्यायवाची शब्द हो गये हैं। हरिजनों को बराबर विशेष सहूलियत देने की बात कही जाती है। उनके उत्थान की बात कही जाती है। लेकिन ८ साल के मनन व मंथन के बाद यह विधेयक इस रूप में यहां उपस्थित हुआ है। इसमें कहां मजदूरों की हालत सुधारने का संकल्प है, यह जरा सरकार को और सरकारी पक्ष के सम्मानित सदस्यों को सोचना चाहिये। मैं उनसे कहना चाहूंगा चाहे यह विधेयक ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी में ले जाया जाय या जैसा कि इधर के सम्मानित सदस्यों ने संशोधन प्रस्तुत किया है जिसमें कि इसको जनमत संग्रह के लिये घुमाने की बात है मगर इन बातों पर हमको खयाल करना होगा। अगर हम सही मानों में गरीबों और किसानों के हित की रक्षा के लिये तत्पर हैं तो इन सब बातों को अच्छी तरह से रखना चाहिये। जिला परिषद् जो अलाभकर जोत वाले किसान हैं, साढ़े ६ एकड़ तक खेती करने वाले जो किसान हैं उनके घर के जो खेत मजदूर हैं उनके ऊपर एक पैसा भी किसी नाम से कर नहीं लगा सकती। मैं सोचता था कि क्या जब मैं यह मांग करूंगा तो सदन के अन्य सम्मानित सदस्य हमारी मांग के समर्थन में खड़े होंगे या नहीं। इसलिये मैंने विभिन्न राजनीतिक दलों के घोषणा-पत्रों का अध्ययन करना शुरू किया। तो उनको पढ़ने में इतना मजा आया कि क्या बताऊं, तबियत हरी हो गयी। कल हमारे एक माननीय मित्र श्री रामशरण यादव जी बोल रहे थे। मैं उनको बहुत प्यार करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—नयी बात है यह।

श्री राजनारायण—नयी होनी चाहिये आपके लिये क्योंकि आपका प्यार किसी दूसरी तरफ जाता है, हमारा मर्दों से होता है।

श्री अधिष्ठाता—माननीय गंगाप्रसाद जी आप कृपया सावधान हो जायं। या तो आप बैठ जायं या लाबी में चले जायं।

श्री राजनारायण—तो मैं कह रहा था कि माननीय रामशरण जी यादव बोल रहे थे। बड़ा अच्छा भाषण हुआ उनका, काफी अध्ययन किया उन्होंने। मगर कहते-कहते उन्होंने कह दिया चौखम्भा राज्य, जिसके प्रति मैं दृढ़ प्रतिज्ञ हूं, उसके स्थापना की मांग करता हूं। मैंने कहा कि ये प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य हैं। तागा ढूंढ़ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का संविधान हमको कहीं चौखम्भा राज्य की गंध उसमें नहीं दिखाई पड़ी। तब मैंने सोचा कि चौखम्भा राज्य की बात कैसे हो गयी। सोचते-सोचते यह बात समझ में आयी कि आज सोशलिस्ट पार्टी सब के सिर पर है क्योंकि वह चौखम्भा राज्य को मानती है, राज्य के चार पाये हों। मैं आपकी जानकारी के लिये ताकि हमारे सम्मानित सदस्य यह न कहें कि मैं गड़बड़ कह गया, बता दूं कि यह नीति घोषणा-पत्र प्रजा समाजवादी दल का है....

श्री अधिष्ठाता—आप तो समय-असमय बराबर चौखम्भा राज्य की बात कहते रहते हैं, सभी जानते हैं।

श्री राजनारायण—उसमें लिखा है:

"प्रजा सोशलिस्ट पार्टी प्रशासन एवं आर्थिक, दोनों क्षेत्रों के विकेन्द्रीकरण में विश्वास करती है पर वर्तमान युग में उचित सीमाओं के बिना विकेन्द्रीकरण उतना ही हानिकर भी हो सकता है।" अब अगर माननीय विचित्रनारायण जी इसी लाइन को पढ़ दें और कह दें कि हम तो विकेन्द्रीकरण को मानते हैं मगर उचित सीमाओं में बांध कर और उचित सीमाओं में हम बांध रहे हैं तो क्या उनके पास जवाब है ?

श्री अधिष्ठाता—जिला परिषद् के बिल में उन्होंने भी कहा है।

श्री राजनारायण—मेरे कहने का मतलब यह है कि जनता के साथ बहुत विश्वासघात हो चुका है। अब हमारी वाणी और कर्म में एकरूपता होनी चाहिये। हम जनता से वही बात कहें जिसे हम अपनी नीति में कार्यरूप में संचालित करना चाहते हैं। चौखम्भा राज्य आज एक प्रश्न बना हुआ है। चौखम्भा राज्य का मतलब है गांव पंचायत राज, जिला पंचायत राज, सूबा पंचायत राज और केन्द्र पंचायत राज। "चौखम्भा राज्य" शब्द के साथ जो व्याख्यायें चालू हैं उनमें यह बात साफ है कि केन्द्र के पास केवल वैदेशिक मामले और फौजी शक्ति रहेगी। बाकी सारी बातें सूबा राज में आयेंगी। सूबा राज सूबे के स्तर पर देखेगा, हथियारबन्द पुलिस को देखेगा, एक जिला और दूसरे जिले के अन्तर्गत जो समस्यायें हों उनको देखेगा। जिला परिषद् के अन्तर्गत जितनी विकास योजनायें हों, दवा, पानी, रोशनी, शिक्षा की योजनायें हैं, इन सबको जिला परिषद् कार्यान्वित करे। उसके बाद गांव पंचायतों को देखा जाय। यह चौखम्भा राज्य है। इसमें एक चौथाई राज कोष का विधान में माना जाय कि गांव पंचायतों को मिलेगा। यह चीज सरकार की कृपा दृष्टि पर न रहे कि जिस गांव में कांग्रेस का सभापति होगा वहां तो ग्रांट मिलेगी और जहां नहीं होगा वहां नहीं मिलेगी आज यह सरकार की इच्छा पर है और जिस जिला परिषद् में सरकार के पक्ष वाले हैं वहां सहूलियतें दी जाती हैं और जहां दूसरे लोग होते हैं वहां दूसरी परिपाटी चला दी जाती है।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इस विधेयक में कहीं कोई व्यवस्था है कि संवैधानिक तरीके से अधिकार होने चाहिये ? माननीय विचित्र नारायण जी का राग द्वेष कुछ भी हो लेकिन उनको रकम मिलेगी राजकोष से क्योंकि यह विधान में प्रोवाइड (दिया) किया हुआ है। अगर सरकार निरंकुश हो जाय, मनमानापन करने लगे तो क्या सरकार सामान्य रूप से एक व्यवस्था चला पायेगी ? नहीं चला पायेगी क्योंकि यह ताकत, यह शक्ति इसने अपने हाथ में ले रखी है कि जिसको चाहेंगे ग्रांट देंगे और जिसको चाहेंगे नहीं देंगे। माननीय विचित्र नारायण जी यानी कांग्रेस के विधान में यदि परिवर्तन हो जाय कांग्रेसाध्यक्ष—सदस्यों को मनोनीत नहीं करेंगे बल्कि वह जनता से चुनकर आयगा। तब देखिये सारी हवा बदल जाती है और हमारी बात की सत्यता सिद्ध होगी और लोग उसको अच्छी तरह से हृदयंगम कर पायेंगे। इसलिये ग्राम पंचायतों के लिये एक-चौथाई रकम रखी जाय तो उसमें रहने का लोगों को मजा मिलेगा। बहुत से लोग सोचेंगे कि हम अपने यहां की ग्राम पंचायत के प्रधान और सदस्य बनेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश का बजट एक अरब २० करोड़ का है तो उसकी एक-चौथाई रकम पंचायतों में आयेगी और लोग उस समय वहां पर सोच समझ कर खर्च करेंगे और विकास की योजनाओं को अपने यहां कार्यान्वित करेंगे।

श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि इसी तरह से एक-चौथाई रकम राजकोष से जिला परिषदों को दी जाय। इस तरह से आप देखिये कि प्रदेश की आमदनी की आधी रकम हो गई। तब लोग जिला परिषदों में बैठेंगे और रास्ता निकालेंगे और सोचेंगे कि हमारे पास रुपया है। अब हमें सरकार के सामने या मंत्री जी के सामने नतमस्तक नहीं होना है। वह सोचेंगे कि हमारे हाथ में शक्ति है। हम अपने यहां की सारी योजनाओं को कार्यान्वित कर सकते हैं और उनको मूर्तिमान शक्ल दे सकते हैं। इसलिये हम चाहते हैं कि जिला परिषद् जनतांत्रिक ढंग से संचालित हों और यह उस समय हो पायेगा जब राजनीतिक दल सही माने में इसको संचालित

[श्री राजनारायण]

करेंगे और नियमों को मान कर आगे बढ़ेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि उस समय यह बात नहीं रहेगी कि हमने शेयर खरीदे हैं इसलिये सरकार ने देवरिया सहकारी संघ में तीन नामीनेशन कर दिये। फिर इतनी रकम ही कहां रह जायगी। केवल एक-चौथाई रकम रह जायगी। उनके हाथ में राजशक्ति, जो अर्थ शक्ति के रूप में कार्यान्वित होती है, वह नहीं रह जायगी। केवल एक-चौथाई रकम ही रह जायगी। तब उस समय मंत्री महोदय कहने लगेंगे कि हमें जिला परिषदों में ही रहने दिया जाय। हम यहां क्यों आयें? इस तरह से अगर सूबा की सरकार नियंत्रित हो सूबे की पंचायत के रूप में और केन्द्र की सरकार केन्द्र के रूप में नियंत्रित हो तो सारा हो हल्ला और एक दूसरे के प्रति परस्पर विरोध और कटुता अपने आप मिट जायगी। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आज जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वह क्यों न अपने आप को मर्यादित करें, क्यों न अपना नियम बनायें कि हमारा जो सदस्य जिला परिषद् में जायगा वही सदस्य विधान सभा में नहीं जायगा, वही पार्लियामेंट में नहीं जायगा, वही गांव सभा में नहीं जायगा। अगर इस तरह का विधान हम अपने लिए बना लें तो सारी कटुता मिट जाय और श्रीमन्, मुझे जवाहरलाल जी की वह बात याद आ जाती है रह-रह कर कानों में गूंजा करती है—एक बार उन्होंने किसी प्रसंग में किसी नेता से कहा कि आप कहते हैं कि कांग्रेस को सुधारो। उन्होंने एक डिप्टी मिनिस्टर का नाम लिया वह डिप्टी मिनिस्टर आज नहीं रह गये हैं अब तो वह भी मेरे पास नहीं आता जिस दिन से कांग्रेस संगठन में सुधार करने की बात शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि देखा जाय हमें मालूम है कि कांग्रेस के अन्दर भी परस्पर विरोधी गुट हैं, एक ने दूसरे के विरुद्ध जो आरोप लगाये हैं यदि देखा जाय तो जाब्ता फौजदारी कानून की सभी धारायें आ जायेंगी।

श्री अधिष्ठाता—इससे क्या मतलब ?

श्री राजनारायण—मैं यहां के लिए नहीं कह रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता—लेकिन उसको यहां कहने की क्या जरूरत है ?

श्री राजनारायण—इसलिये कि राजनीतिक दलों में एक ही दल के सदस्य एक दूसरे के विरुद्ध आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और इंडियन पेनल कोड के रद्दी से रद्दी अपराधों की सीमा में आ जाते हैं। उन्हीं को छपवा दिया जाय। मैं माननीय विचित्र नारायण जी से निवेदन करूंगा कि जब टिकट बटने लगता है तो एक कैंडीडेट जो होना चाहता है, दूसरे कैंडीडेट के विरुद्ध आरोप करता है। उन्हीं की कापी छपवा दी जाय। पता चल जायगा कि कौन क्या है? मैं यह कहता हूं कि सही मानी में जनतांत्रिक ढांचा तभी होगा जब "पब्लिक क्वैश्चन ज डिबेटेड पब्लिकली"। अगर जनता से सम्बन्धित सवाल है तो जनता के बीच में बहस हो जो पार्टी अपने को जनता की हिमायत करने वाली कहती है उसको जनता के सामने कहना चाहिये। लेकिन साजिश होने लगती है, कमरे की बैठकें होने लगती हैं, रूम पालिटिक्स होने लगती है। जनतंत्र में एक शिखर नीति का सिद्धांत कहां तक लागू है। कौन राजनीतिक पार्टी है जो शिखर नीति को कंडेम करती हो? जब तक शिखर नीति चलती है तब तक नेताशाही, तानाशाही चलती रहती है। है कोई ऐसी पार्टी जिसने अपनी नियमावली में यह बना रखा हो कि अगर किसी जगह की निर्वाचन क्षेत्र की कमेटी सर्वसम्मति से किसी उम्मेदवार का चुनाव करती है तो बड़ी कमेटी उसको नहीं टाल सकती। सब लोग जनतंत्र की बात करते हैं लेकिन अधिष्ठाता महोदय, अगर हमारी इस बात को मान्यता हासिल हो जाय सत्तारूढ़ दल के विधान की पुस्तक में तो आपको कांग्रेस पार्लियामेंटरी बोर्ड के पास दौड़ना नहीं पड़ेगा, आपके निर्वाचन क्षेत्र की जो कमेटी होगी वह कमेटी आपकी गतिविधि को देख कर अपने मत के मुताबिक कह सकती है कि हम इनको अपना प्रतिनिधि बनायेंगे, इनको नहीं बनायेंगे। इसलिये सोशलिस्ट पार्टी ने अपने विधान में मान्यता दी है कि अगर कोई निर्वाचन समिति किसी

उम्मीदवार को कहती है कि इन्हीं को हम अपनी सीट से लड़ाएंगे तो सोशलिस्ट पार्टी में कोई ऐसी बड़ी कमेटी नहीं है जो उस निर्वाचन समिति का फैसला रद्द कर सके। अगर जनतन्त्र की बात करते हो तो अपनी पार्टी की राजनीति को नियन्त्रित करो। जो पार्टी सारी ताकत अपने हाथ में ले लेगी कि दिल्ली से बैठ कर जहां जिसको चाहे मनोनीत कर दे, निर्वाचन क्षेत्र की कमेटी से कोई ताल्लुक नहीं रहा, वहां की जनता से कोई ताल्लुक नहीं रहा। तब आप समझ सकते हैं कि वह पार्टी कैसा जनतंत्र चलायेगी? जनतंत्र के नाम पर तानाशाही चलायेगी। तानाशाही पार्टी के नाम पर तानाशाही व्यक्ति की चलायेगी।

श्रीमन्, दूसरी बात---माननीय गोविन्द सहाय जी यहां पर बैठे हुए हैं। इनकी एक रपट बड़ी शोहरत में है। काफी चर्चा उसकी होती रहती है सदन में भी आये दिन। मैं जानना चाहता हूं कि फ्रीडम आफ एक्सप्रेशन क्या कोई भी जनतंत्र में यकीन करने वाली पार्टी विचारों की अभिव्यक्ति के लिये पार्टी के सदस्यों को पार्टी से निकाल सकती है? है किसी पार्टी के विधान में यह बात कि पार्टी के सदस्य चाहे अदना सदस्य हों, चाहे साधारण सदस्य हों, चाहे यूनिट कमेटी के सदस्य हों, चाहे निर्वाचन कमेटी के सदस्य हों, वह दुनिया के सभी सवालों पर अपनी राय का इजहार कर सकते हैं? केवल सोशलिस्ट पार्टी ने यह मान्यता दे रखी है। नाट वन वे ट्रैफिक बट टू वे ट्रैफिक। ऊपर की कमेटी भी नीचे की कमेटी को कहेगी और नीचे की कमेटी भी राय दे सकेगी।

श्री अधिष्ठाता---आपको तो अंग्रेजी का प्रयोग नहीं करना चाहिये।

श्री राजनारायण---एक दो वाक्य का प्रयोग कर देता हूं जब ताव आ जाता है। श्रीमन्, मेरी अगर कोई गलती हो तो माफ करेंगे। जब कभी आवेश में आता हूं तो अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग हो जाता है। यह हमारी दुर्बलता है। मैं निहायत अदब के साथ अपनी दुर्बलता को स्वीकार करता हूं और मैं उन सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने अंग्रेजी शब्दों के प्रयोग के लिये मुझे टोंका और बराबर आभारी रहूंगा।

मैं यह कह रहा था कि सोशलिस्ट पार्टी ने यह कह रखा है अपने विधान में कि चाहे यूनिट कमेटी हो, चाहे निर्वाचन कमेटी हो, चाहे जिला कमेटी हो, चाहे सूबा कमेटी हो, दुनिया के सभी प्रश्नों पर अपने विचार को व्यक्त कर सकती है और अगर राष्ट्रीय सम्मेलन में भी कोई फैसला हो गया हो और कोई पार्टी का सदस्य उस फैसले से सहमत नहीं है तो उस सदस्य को यह हक हासिल है कि वह लेखों के द्वारा जनता में यह प्रचार कर सकता है कि राष्ट्रीय सम्मेलन का यह फैसला गलत है और आगे के सम्मेलनों में इस फैसले को वह बदले। यह जनतंत्र है। श्रीमन्, हमने जब जनतंत्र की यह कसौटी रखी तब हमने सभी पार्टियों के विधान को पढ़ना शुरू किया। कांग्रेस पार्टी के विधान को पढ़ा, कम्यूनिस्ट पार्टी के विधान को पढ़ा, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के विधान को पढ़ा, जनसंघ वगैरह सभी पार्टियों के विधान को पढ़ा और यह सब छहों हमारे पास मौजूद हैं, उन सब के विधान और नीति-वक्तव्य इत्यादि। कम्यूनिस्ट पार्टी में कहीं यह बात नहीं है। उनके विषय में यह है कि जिस चीज पर उनकी केन्द्रीय कमेटी फैसला कर देगी उस पर छोटी कमेटी कोई मत इजहार नहीं कर सकती पब्लिकली। जब जनतंत्र है, जनता की पार्टी है तो जनता से दुराव क्या? जब जनता से दुराव होगा तो क्या वह पार्टी जनतंत्र चलायेगी? कांग्रेस पार्टी की भी यही स्थिति है विधान के बारे में। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के विधान में ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है लेकिन एसी सफाई भी नहीं है कि विचार की अभिव्यक्ति के लिये किसी सदस्य पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। ऐसी कोई सफाई भी नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि जनतन्त्र, जनतन्त्र, जनतन्त्र, तीन दिन से इस सदन में सुनते-सुनते तबियत ऊब गई। जब हमने सोचा कि जनतंत्र का अर्थ समझा क्या है हम लोगों ने, उसको तो देखा जाय और तब पार्टियों के नीति, विधान, नियम वगैरह देखना शुरू किया। उसमें हमने देखा कि जो मूल है फ्रीडम आफ एक्सप्रेशन, भाषण की अभिव्यक्ति बोलने की स्वतंत्रता,

[श्री राजनारायण]

लिखने की स्वतंत्रता किसी दूसरी पार्टी के विधान में नहीं है, यह भी पार्टियां जब अपने सदस्यों पर अंकुश लगाकर रोकना चाहती हैं तो उन पार्टियों के हाथ में शासन का सूत्र जाने पर किस तरह की जिला परिषद् बनेगी, यह सोचा जाना चाहिये। इस पर विचार किया जाना चाहिये और मेरा स्पष्ट मत है कि यदि इस पर विचार किया जायगा तो हमारी बात से सहमत होंगे वे लोग जो कि जनतंत्र के पक्षपाती हैं, जो जनतंत्र अपने मुखारविन्द से कहते हैं और उसी को कार्य रूप में परिणत करने की इच्छा रखते हैं। हां, आज हो क्या रहा है? हिन्दुस्तान में श्रीमन्, मानसिक स्वतंत्रता हमेशा से रही है, यह मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आप पंडित हैं, जानते हैं इन बातों को।

महर्षि पातंजलि ने कहा है कि समं अजन्ति जना अस्मिन समाजः। जहां पर जन-जन के साथ समता का व्यवहार हो वहां पर समाज होता है और वही समाजवादी व्यवस्था होगी। जिला परिषद् के उद्देश्यों में लिखा हुआ है कि हम जन-जन के साथ समता का व्यवहार करने के लिये यह विधेयक ला रहे हैं। महर्षि पातंजलि का यह श्लोक सत्ताधारी पार्टी के माननीय सदस्यों को स्मरण करना चाहिये। जब जन-जन के साथ समान व्यवहार होगा तभी समाज होगा। जब हम समाज के अन्दर से विषमता दूर करेंगे तभी समाज की व्यवस्था होगी। आप सभी पार्टियों के घोषणा पत्रों को देखें···

श्री खूबसिंह (जिला बिजनौर)—प्वाइन्ट आफ आर्डर। प्रश्न यह है कि जो बातें श्री राजनारायण जी इस हाउस में इस वक्त कह रहे हैं उनका इस बिल से क्या सम्बन्ध है? मेरा खयाल है कि उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं समझता हूं यह हमारे समय का दुरुपयोग है। जो बिल इस समय यहां पर पेश है उसी की मेरिट और डिमेरिट पर उनको विचार करना चाहिये। मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—माननीय राजनारायण जी इस समय असंगत नहीं हो रहे हैं। कभी-कभी वह असंगत हो जाते हैं तो मैं उनको टोक देता हूं। मैं राजनारायण जी, आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप आधा घंटे से इस बिल के सम्बन्ध में विधान बता रहे हैं। अब अच्छा हो अगर आप इस बिल पर आ जायं।

श्री राजनारायण—मैं आपसे सही कहता हूं कि हम किसी भी माननीय सदस्य के दिल पर चोट नहीं पहुंचाना चाहते। केवल मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि ८ वर्ष से मन्थन हो रहा है इस बिल को लाने के लिये। यह विधेयक किस स्थिति में लाया गया है। क्या यह विधेयक किसी पार्टी की नीति और वक्तव्य और एलेक्शन मैनीफेस्टो का विधेयक है? क्या इसमें नहीं कहा गया है कि जिला परिषदों के द्वारा समता स्थापित की जायगी? इसको पढ़ लिया जाय। तो मैं कहता हूं कि जब सामाजिक और आर्थिक विषमता को मिटाने की बात कही गई है तो किसी भी पार्टी ने कभी भी अपने चुनाव घोषणा-पत्र में कोई सीमा निर्धारित की चाहे वह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी हो, चाहे वह कम्यूनिस्ट पार्टी हो और चाहे कोई और पार्टी हो? जनसंघ ने की है? उन्होंने कहा है कि २ हजार अधिक से अधिक आमदनी होनी चाहिये। सोशलिस्ट पार्टी सौ से कम न हजार से ज्यादा की सीमा रखती है। सोशलिस्ट पार्टी ने कहा है कि केवल वाक्य में नहीं रहना चाहिये बल्कि जो सामाजिक विषमता है जो आर्थिक विषमता है उसको मिटाया जाय। क्या यह कांग्रेस पार्टी के घोषणा-पत्र में नहीं लिखा हुआ है? मेरा निवेदन यह है कि यह कैसे दूर हो? महर्षि पातंजलि ने जो श्लोक कहा है कि जब जन-जन में समता का व्यवहार हो तभी समाज की स्थापना हो सकती है। अगर महर्षि के बताये श्लोक के अनुसार कथनी करनी में न आये तो फिर कैसे सामाजिक व्यवस्था आ सकती है।

भगवान् कृष्ण ने गीता में कहा है कि: "विद्या विनय सम्पन्ने, ब्राह्मणे गवि हस्तिनि, शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः सम दर्शिनः" विद्या विनय से सम्पन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और चांडाल में समता का भाव देखे। इस गीता के उपदेश को स्मरण किया जाय।

क्या जन-जन के साथ समता का दृष्टिकोण, क्या कुत्ते और गाय में समता का भाव और ब्राह्मण और चांडाल के साथ समता का भाव इस परिषद् के द्वारा यह सरकार करने जा रही है ? अगर यह सरकार कहती है तो उसकी करनी और कथनी में अन्तर है । अगर कथनी और करनी में अन्तर है तो ८ वर्ष नहीं बल्कि ८०० वर्ष भी लग जायं तो हमारे यहां से खराबी दूर नहीं हो सकती है । इसलिये मैं अदब के साथ यह कहना चाहता हूं कि अब इस पर विचार होना चाहिये । अगर केवल यह लिख दिया जाय कि वर्ग भेद और वर्ण भेद दूर हो तो क्या वह लिख देने से दूर होगा ? मैं कहता हूं कि वह नहीं होगा । इसके लिये क्या होना चाहिये ? इसके लिये हमको अपनी पार्टी को नियन्त्रित करना होगा । हमको अपने कार्यक्रम को नियन्त्रित करना होगा । हमको बताना होगा कि आज हमें क्या करना है ? आज सोशलिस्ट पार्टी के नेतृत्व को देखा जाय चाहे वह प्रान्तीय कमेटी हो, अखिल भारतीय कमेटी हो, इस कमेटी का प्रधान मंत्री शूद्र है, इसका चेयरमैन शूद्र है । है किसी पार्टी का प्रधान मंत्री शूद्र ?

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---मैं किसी को शूद्र नहीं मानता ।

श्री राजनारायण---माननीय त्रिलोकी सिंह की कथनी में नहीं है, लेकिन करनी में वह मानते हैं ।

श्री खूबसिंह---चेयरमैन महोदय, अब जो राजनारायण जी बोल रहे हैं उसका इस बिल से ताल्लुक है ? इज इट नाट दि वेस्टेज आफ दि टाइम आफ दि हाउस ?

श्री अधिष्ठाता---नहीं-नहीं, खूब सिंह जी, आप जल्दी कर जाते हैं । आप धीरज रखें । वह विषय पर आ रहे हैं ।

श्री राजनारायण---माननीय खूबसिंह को अगर आपत्ति हो तो हम बैठ ही जायं । हमने सब को तो अब तक सुनने का ही मौका दिया है ।

मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि आज हिन्दुस्तान में अगर कोई भी व्यक्ति कहता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चार वर्ण नहीं हैं तो मैं समझता हूं कि वह आंख बन्द करके चल रहा है । इसी तरह से सब राजनीतिक दलों में देखा जाय, वर्ग-विभेद और वर्ण विभेद की बात मानी गयी है । कांग्रेस के एलेक्शन मैनिफेस्टो में वर्ग और वर्ण दोनों माने गये हैं, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के मैनिफेस्टों में वर्ग और वर्ण दोनों हैं । दूसरी पार्टियों में भी आये होंगे । माननीय त्रिलोकी सिंह कहते हैं कि मैं किसी को शूद्र नहीं मानता, तो शायद उनके दिमाग में वर्ण की कोई दूसरी परिभाषा होगी । अगर कोई ऐसी परिभाषा है जिसको मैं नहीं जान पाया हूं तो उनसे नतमस्तक होकर क्षमा प्रार्थी हूंगा । मैं कहता हूं कि वर्ण है और बुरी तरह से है । हिन्दुस्तान का समाज जातियों में बुरी तरह से बटा है, उसके लिये उदाहरण देने के लिये तैयार हूं । सारे प्रशासन में जाति व्यवस्था फैली हुई है इस आदरणीय सदन में फैली हुई है, सारी पार्टियां तय करती हैं कि किस जाति का बहुमत वहां पर कैसा हो । यह "सभा" शब्द "स" और "भा" से बना है । "स" का अर्थ है सत्य और "भा" का प्रकाश, यानी सत्य का प्रकाश ही सभा होती है । असत्य के प्रकाश को सभा नहीं कहते । तो यहां असत्य का निरूपण नहीं होना चाहिये । अपने को मार्क्सिस्ट कहलाने वाले लोगों से कहता हूं कि जरा डायरेक्टिक्स के सिद्धान्त का अध्ययन करें जिसमें कहा गया है कि वर्ग विद्वेष हमने पैदा नहीं किया है, पहले से ही पैदा हो रहा है । मार्क्स ने कहा था कि वर्ग संघर्ष के जरिये से आज वर्ग विद्वेष समाप्त किया जा सकता है । तो जब वर्ग मिटाने के लिये वर्ग संघर्ष अनिवार्य माना गया है तो वर्ण मिटाने के लिये वर्ण संघर्ष क्यों अनिवार्य न हो ? इस बात को जरूर सोचा जाय । माननीय सदस्य क्रांति, विकास और कर्म का नाम लेकर चले गये उसके अर्थ पर प्रकाश नहीं डाला । क्रांति शब्दों में नहीं कर्म में होनी चाहिये । क्रांति-क्रांति कहने से काम नहीं चल सकता । माननीय कमलापति जी चले गये । उन्होंने बतलाया था कि हमारे प्रदेश की जनता जनतांत्रिक पेड़ की शीतल छाया में आनन्द विभोर हो रही है । कहां है वह शीतल छाया ? मैं पहले भी इस

[श्री राजनारायण]

प्रकार के एक वाक्य का प्रयोग कर चुका हूं, वही दोहराता हूं, "निर्मल चन्द्रिका में, प्रफुल्ल मल्लिका में, कोकिल की काकली में, कुसुम के सौरभ में, पुरुष के हृदय में, रमणी के मुखड़े में आग का गोला ही गोला दिखाई पड़ता है"।

आज हमें प्रदेश में शीतल छाया नहीं, आग का गोला दिखाई देता है। कहां है जनतंत्र प्रदेश में? मैं माननीय त्रिलोकी सिंह की उस बात का कतई समर्थक हूं जब कि उन्होंने कहा था कि यह पुलिस स्टेट है। क्यों इसे जनतंत्र की संज्ञा दी जाती है? इसलिये मैं आदरणीय सदन से निवेदन करूंगा कि क्या इस विधेयक में वर्ग-विहीन समाज की, वर्ण मिटाने की व्यवस्था की गयी है? जब मैं इसको पढ़ने लगा तो मुझे बड़ा दुःख हुआ। तब मुझे बाध्य होकर दूसरी पार्टियों के राजनीतिक उद्देश्यों को पढ़ना पड़ा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की पुस्तिका में पढ़ा कि "देश-भक्त पूंजीपतियों का सहयोग लिया जायगा", तब हमारी समझ में नहीं आया कि देश भक्त कहां से आयेंगे पूंजीपतियों में।

अब मैं आपके द्वारा यह निवेदन करूंगा कि अगर सही माने में हम जनतंत्र प्रतिष्ठित करना चाहते हैं तो हमारे दिमाग में इतनी सफाई हो जानी चाहिये कि विचार की अभिव्यक्ति, लेखन की अभिव्यक्ति, संघटन करने की प्रणाली पर कोई अंकुश नहीं लगना चाहिये। यह सभी पार्टियों को मानना चाहिये और जब तक सभी पार्टियां नहीं मानेंगी तब तक इस तरह से जनतांत्रिक जिला परिषद् नहीं बन पायेगी। अगर यह माना गया होता तो हमारा ऐसा खयाल है कि विचित्रनारायण जी, जो कि स्वाशासन विभाग के मंत्री हैं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती यहां पर इस तरह का विधेयक प्रस्तुत करने के लिये। उन्होंने क्या तूफान बर्पा कर रखा है सारे प्रदेश में, जरा उसको देखा जाय। चूं-चूं का मुरब्बा, इधर उधर से मिलाकर, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, मिलाकर के रख दिया जिला परिषद् विधेयक, आखिर इसमें है क्या? कहीं इसमें जनता को ताकत दी गई है? जनता के पक्षपाती, इस आदरणीय सदन के सम्मानित सदस्यों से मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहूंगा कि जनतंत्र में क्या चुनाव की डाइरेक्ट प्रणाली चलेगी या इनडाइरेक्ट प्रणाली चलेगी? क्या यह मूल प्रश्न नहीं है? अगर वह जनतंत्र के हिमायती, पक्षपाती हैं तो क्यों सीधे चुनाव से डरते हैं, क्यों न सीधा चुनाव हो जिला परिषद् का? क्यों न यह चुनाव बालिग मताधिकार के आधार पर हो? हमारी मांग है कि इतने दिनों तक जनता के साथ, प्रदेश के साथ जो भूल भुलइया का नाटक किया गया उसको अब बन्द करना चाहिये और बालिग मताधिकार के आधार पर जिला परिषद् का चुनाव होना चाहिये। चुनाव की प्रणाली क्या हो? आज तक के चुनाव देखे गये, गांव सभा के चुनाव देखे गये, पंचायतों के चुनाव देखे गये, उन चुनावों में जिस प्रकार के पक्षपात हुये हैं, जिस प्रकार से चुनाव के मौके पर जाकर लिस्ट बदल दी गई है, जिस प्रकार से चुनाव के अधिकारी लिस्ट लेकर भाग गये हैं, पुलिस के जरिये घोड़े दौड़ा दिये गये हैं और जब तमाम जनता भाग गई तब एक कमेटी बना दी गई हो उन तमाम दोषों को देखते हुये, त्रुटियों को और कमियों को देखते हुये। मैं कहना चाहता हूं कि बालिग मताधिकार के आधार पर गुप्त मतदान हो, अगर गुप्त मतदान नहीं होता और वही हाथ उठौवल हुई....

श्री अधिष्ठाता--बिल में गुप्त मतदान की बात है?

श्री राजनारायण--तो गांव सभा में क्या होगा? श्रीमन्, मूल को मत छोड़ दीजिये नहीं तो पत्ते पर रह जायेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि क्यों न इस सारी शासन व्यवस्था के प्रत्येक अंग में गुप्त मतदान की व्यवस्था कराई जाय और जब तक गुप्त मतदान की व्यवस्था नहीं होगी तब तक सही माने में जनता के सही नुमाइन्दे, सही प्रतिनिधि नहीं आ पायेंगे। एक नहीं अनेक उदाहरण हैं, लेकिन मैं उनको देना नहीं चाहता क्योंकि उसमें सदन के समय का कुछ हिस्सा खर्च हो जायगा। वहां कानपुर में, वाराणसी में, मुजफ्फरनगर में, मेरठ में, इन सभी जगहों की गाँव पंचायतों को देखा जाय कि क्या नतीजा हुआ तो यह बात साबित

होकर रहेगी कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है, धांधलेबाजी हुई है, जोर जबर हुई है और बेईमानी हुई है। तो जब हाथ उठौवल होगी तो वह दिन दूर नहीं जबकि सर फुड़ौवल भी हो जाय, हाथ उठौवल और सर फुड़ौवल दोनों साथ चलेंगी? मैं नहीं चाहता कि सर फुड़ौवल हो। मैं चाहता हूं कि ठीक तरीके से शान्ति और अहिंसा के मार्ग का अवलम्बन किया जाय। इसी लिये मैं बहुत अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार हमारे इस निवेदन को माने और मतदान की प्रणाली गुप्त ढंग से कराये।

श्रीमन्, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे मुख्य मंत्री जी ब्रह्मवादी हैं, वह इस समय यहां पर विराजमान नहीं हैं। उन्हें ज्ञात है कि हिन्दुस्तान में बालिग मताधिकार की अवधि क्या मानी गई थी? हिन्दुस्तान में बालिग कब से माना गया था? १८ वर्ष की अवस्था से। कभी-कभी १६ वर्ष में भी हो गया है। समय के जो कई स्तर होते हैं जैसे बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, इनको भी तो देखा जाय। हिन्दुस्तान गर्म मुल्क है, इसमें जवानी जल्दी आ जाती है। २७ वर्ष यहां औसत आयु है। ऐसे मुल्क में २१ वर्ष बालिग होने के लिये क्यों रखा जाय? मैं कहूंगा कि २१ वर्ष की जगह १८ वर्ष होना चाहिये। १८ वर्ष से ज्यादा आयु का होना, वयस्क के लिये, अनुचित होगा। जनतंत्र के पक्षवादियों के लिये मैं साफ कहना चाहता हूं सरकार जनता से डर रही है। सीधे सीधे जनता का सामना नहीं करना चाहती है और ३ वर्ष की अवस्था घटा दी जाय तो उत्तर प्रदेश में ही करीब ३/४ करोड़ के करीब वोटर संख्या बढ़ जायगी। इससे किनको लाभ होगा? किनकी तादाद बढ़ेगी? हरिजन, शूद्र, मुसलमान और आदिवासियों की। द्विज लोगों की उतनी नहीं बढ़ेगी? द्विज शब्द का प्रयोग इसलिये कर रहा हूं कि मनुशास्त्र में इसमें ब्राह्मण, क्षत्री और वैश्य माने गये हैं। जो सही मानों में चाहते हैं कि जनता के पास ताकत जावे उनको हमारे संशोधन के लिये, २१ से १८ करने के लिये, लड़ना चाहिये। विचित्र नारायण जी हमें बतावें कि उन्होंने जनतांत्रिक भावना का समावेश इस विधेयक में कहां कराया है?

इसके साथ ही साथ जरा आगे भी देखा जाय। जिला परिषद् का संगठन। कुछ जगह कहा गया है कि प्रतिबन्ध है सदस्यों के लिये। यह पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे में है कि पहले से तीसरे उपखंड से जो चुने जावेंगे उनको हक है कि १० प्रतिशत पूरे सदस्यों के चुन सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता--वह कोआप्ट करने की बात है।

श्री राजनारायण--वही कह रहा हूं। अगर चुनाव में कोई व्यक्ति हार गया है तो उसे कोआप्ट नहीं होना चाहिये। क्या यह नियम विधान सभा और पार्लियामेंट के सदस्यों के लिये लागू नहीं होगा? उन्होंने ही क्या पाप किया है? और क्या यह नियम उन लोगों के लिये और ज्यादा लागू नहीं होगा जो सरकारी पक्ष में रहते हुये आगे आम निर्वाचन में हार जावें? आज जो सरकारी पक्ष में है या मंत्री है, अगर वह हार जाता है तो उसके मायने हैं कि जनता को उसकी नीति पसन्द नहीं थी। मेरा सुझाव यह है कि अगर यह नियम जिला परिषद् में ही हारे हुये लोगों को वर्जित करता है तो इसे जरा आगे असेम्बली और पार्लियामेंट तक भी बढ़ाया जाय। हम समझते हैं कि वे सदस्य हमारी इस बात का समर्थन अवश्य करेंगे जो यह कहते थे कि जो असेम्बली के मेम्बर हों वे जिला परिषद् के न हों। इसमें केवल सामान्य निर्वाचन ही लिखा है। अब सामान्य निर्वाचन जिला परिषद् का भी होता है, असेम्बली और पार्लियामेंट का भी होता है। माननीय विचित्रनारायण शर्मा जी इस समय विद्यमान हो गये हैं। शायद इस विधेयक में जो वाक्यावली है उसमें उन्होंने उसका अर्थ जिला परिषद् के निर्वाचन से ही माना है। उसमें जो पराजित हो गया हो उसे १० फीसदी कोआप्शन होने वालों में न माना जाय। अगर चूंकि इसमें कहीं ऐसा लिखा नहीं गया था तो हमारे सामने यह बात आई कि शायद असेम्बली और पार्लियामेंट के लिये भी यह बात हो।

श्री खूबसिंह—क्या असेम्बली में भी कोई कोआप्शन है ?

श्री राजनारायण—मूंदहु आंख कतहुं कोउ नाहिं । जब कोई आंख बन्द कर ले तो उसे कौन दिखा सकता है ? मैं कहता हूं कि असेम्बली और पार्लियामेंट के हारे हुये लोगों को भी कोआप्शन में जाना वर्जित होना चाहिये । जिला परिषद् के चुनाव में कौन खड़े हो पावेंगे ? जरा इस पर भी ध्यान दिया जाय । वे होंगे कल्लू, रम्मू, इत्यादि जिनके पास सरमाया नहीं है । मगर असेम्बली और पार्लियामेंट का टिकट तो उन्हीं को मिलेगा जिनके पास सरमाया है । तो असेम्बली में अगर हार जावें तो उनके लिये वर्जित नहीं होगा, लेकिन जिला परिषद् में हारे हुये वर्जित होंगे । मैं चाहता हूं कि विचित्र नारायण जी इसे गम्भीरता से सोचें ।

जिला परिषद् के संगठन के संबंध में भी बड़ी-बड़ी पेचीदगियां हैं । मैंने पहले ही कह दिया है कि अगर हमारी बात मान ली जायगी तो बहुत सी पेचीदगियों का समाधान हो जायगा, और वह यह है कि जिला परिषद् के सदस्यों का चुनाव बालिग मताधिकार से हो जिसके लिये १८ वर्ष आयु रखी जावे और गुप्त मतदान से हो ।

अब मैं विधेयक की धारा ९ पर आता हूं, जिसकी चर्चा आपने भी २, ३ दिन पूर्व की थी । सदस्य निर्वाचित होने के लिये अनर्हतायें ।

श्री अधिष्ठाता—प्रथम रीडिंग में क्लाज बाई-क्लाज भाषण देने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री राजनारायण—नवें क्लाज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपखंड जुड़ा हुआ है ।

यह बहुत महत्वपूर्ण धारा है और मैं माननीय विचित्र नारायण शर्मा की इसके लिये प्रशंसा भी करूंगा । मगर मैं यह चाहता हूं कि ९वीं धारा में जो (च) जोड़ा गया है इसको आपने पढ़ा था या नहीं ? या वर्तमान मंत्रिमंडल की यह इच्छा है या नहीं है और यदि मंत्रिमंडल की यह इच्छा है तो मैं निहायत अदब के साथ कहूंगा कि यह मंत्रिमंडल इस इच्छा के तदनुरूप कार्य नहीं कर रहा है । १० वें पेज को खोला जाय । (च) में लिखा हुआ है "वह जिला परिषद् को माल सम्भारित करने के लिये अथवा जिला परिषद् द्वारा हाथ में लिये गये किसी निर्माण कार्य या किन्हीं सेवाओं के सम्पादन के लिये किये गये किसी संविदे में स्वयं या अन्य व्यक्ति के द्वारा अपने उसके लिये न्यास के रूप में अथवा अपने लाभ के लिये या अपने लेखे में कोई अंश या हित रखता हो "। कोई भी व्यक्ति, इस बात के होते हुये भी वह अन्यथा अर्ह है, धारा ४ की उपधारा (२) की श्रेणी (१) अथवा श्रेणी (२) का सदस्य चुने जाने तथा रहने के लिये अनर्हित होगा । इसका माने यह होता है कि वह व्यक्ति सदस्य चुना गया हो या चुना जाने वाला हो, तो भी वह नहीं चुना जा सकता है । और यदि वह सदस्य चुना गया है तो भी वह सदस्य नहीं हो सकता । यही बात यह ९ वीं धारा कहती है । श्रीमन्, पोपुल रिप्रेजेंटेशन ऐक्ट, १९५१ के ७ (डी) का यह हूबहू अनुवाद है । यह धारा कहती है कि यदि जिला परिषद् का कोई सदस्य चुना गया और सदस्य चुने जाने के बाद वह जिला परिषद् द्वारा होने वाले कार्यों को करता है या उसके लिये सामान सप्लाई करने का ठेका लेता है या किसी दूसरे से काम करवाता है जिसमें उसका सीधा लाभ हो या टेढ़ा लाभ हो, वह व्यक्ति जिला परिषद् का सदस्य चुने जाने के बाद भी सदस्यता से हटा दिया जायगा, यह साफ है ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—और भी पढ़ लो ।

श्री राजनारायण—आपकी आज्ञा तो मैं बराबर शिरोधार्य करता हूं और आप आज्ञा देते हैं तो मैं आगे भी पढ़ूंगा बशर्ते कि अधिष्ठाता महोदय समय के लिये न चिन्तित हों ।

श्री अधिष्ठाता—समय का खयाल तो करना ही है ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, प्रश्न यह है कि ज़िला परिषद् के सदस्य के आचरण को शुद्ध रखने के लिये सदस्य होने के बाद भी एक मर्यादा यहां पर अंकित की गयी है और वह मर्यादा होनी चाहिये, इसकी मैं ताईद करता हूं लेकिन आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि विश्व बन्धुत्व, भाईचारा, इक्वलिटी, फ्रेटरनिटी, समानता, स्वतंत्रता के नारे लगा कर ही मुल्क को गुलाम बनाया गया। सर्वहारा क्रान्ति का नारा लगा कर ही क्रान्ति को विकृत किया गया। मैं कहता हूं कि जब जिला परिषद् के सदस्यों के लिये यह नियम लागू हो तो असेम्बली के सदस्यों के लिये यह नियम क्यों न लागू किया जाय ?

एक सदस्य—असेम्बली के सदस्यों पर भी लागू है।

श्री राजनारायण—हमारे सम्मानित सदस्य कहते हैं कि असेम्बली के सदस्यों पर भी लागू है। मैं उनका स्वागत करता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के एक ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने पीपुल्स रिप्रेजेन्टेशन ऐक्ट, १९५१ के मुताबिक अनर्हताओं के गुण हासिल कर लिये हैं। उन्होंने ठेका लिया। जिस कम्पनी का डाइरेक्टर उनका लड़का है, उसको सरकारी ठेका दिया गया है। मंत्री जी के सरकारी घर में कम्पनी के ब्रान्च मैनेजर का दफ्तर है। १,८५ लाख रुपये का ठेका उस कम्पनी को केवल बिजली विभाग का दिया गया है।

श्री अधिष्ठाता—माननीय राजनारायण जी, आप व्यक्तियों का इस संबंध में जिक्र न करें।

श्री राजनारायण—मैं आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करता हूं। आपने जो बात कही उसका मैं यही अर्थ समझता हूं कि जहां तक चोरी का संबंध है वह तो बुरी चीज है लेकिन अगर कोई आदमी चोरी करता पाया जाय तो उसका नाम मत लो। इसको मैं बड़े अदब के साथ मानने से इंकार करूंगा। माननीय मंत्री जी की हिन्दोस्तान कार्पोरेशन में साढ़े ३२ हजार की पूंजी है।

श्री अधिष्ठाता—मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं कि इस हिन्दोस्तान कार्पोरेशन का इस बिल से कोई संबंध नहीं है। आप अपने को इसी बिल की धाराओं तक ही सीमित रखें, लेकिन किसी व्यक्ति को लेकर डिस्कशन करना आपके लिये शोभा की बात नहीं है।

श्री राजनारायण—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि मैं इस विधेयक की परिधि के बाहर नहीं जा रहा हूं। लेकिन अगर मेरी बात से किसी को ठेस पहुंचती हो तो उसको बरदाश्त करना चाहिये। अगर कोई नियम और कानून के विरुद्ध बात है तो उसमें ढिलाई नहीं होनी चाहिये। जब तक दूसरों के लिये नियम की बात होती है तब तक तो ठीक है और ठीक उसी वक्त तक है जब तक हमसे लागू नहीं होती लेकिन अगर थोड़ी सी भी हमारी उंगली दबती है तो चीं पों मचाने लगते हैं। मैं प्रश्न करता हूं उस मंत्रिमंडल के सदस्य से जो जिला परिषद् के सदस्यों के लिये तो इस प्रकार की अनर्हतायें लगाते हैं लेकिन अपने पर लागू नहीं होने देते। क्या यही मर्यादा है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, एक बात कहना चाहता हूं। जहां तक राजनारायण जी का संबंध है, जबान तो उनकी ही है और यह हाउस भी उनको काफी इजाजत देता है, छूट देता है, लेकिन विधान मेरा बनाया हुआ नहीं है कि हर चीज मिनिस्टर की स्वीट बिल पर हो कि अपने से किसी चीज को वह लागू करे या न करे। उसकी भी लिमिट्स दूसरे आदमियों की भांति ही हैं। उन लिमिट्स में रह कर किसी चीज को साबित न करके यहां पर अनर्गल बातें कहना यह गलत चीज है। यह तो इस हाउस का मिसयूज करना है।

श्री अधिष्ठाता—मैंने पहले ही श्री राजनारायण जी से निवेदन किया था कि आप किसी व्यक्ति पर लांछन न करें, व्यक्तिगत सवालों को न उठायें। सेक्शन ९ में जो बात है उस पर आप चर्चा कर सकते हैं।

श्री राजनारायण—मैं कहना चाहता हूं कि मुझे कोई भी पार्लियामेंटरी पद्धति की पुस्तक दिखा दी जाय जिसमें मंत्रियों के संबंध में बात कहने की मुमानियत हो। मंत्री व्यक्ति नहीं है, सामाजिक पुरुष है। ५६ में यहां एक कानून बना था जिसमें बताया गया था कि मंत्री, उपमंत्री और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी के कार्य सार्वजनिक कार्य हैं, निजी कार्य नहीं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। श्रीमन्, जिस चीज का विधान में प्रावीजन है और जब तक वह चीज और तरह से डिसाइड न हो जाय, तब तक मान्यवर, यहां आक्षेप करना अनुचित है।

दूसरी बात यह है कि यह किसी भी मंत्री की स्वीट विल पर नहीं है कि किसी चीज को वह लागू करे या न करे। मिनिस्टर भी उसी तरह से एमीनेबिल टु ला है जिस तरह से दूसरे व्यक्ति हैं। इस चीज का निर्णय यहां आक्षेपों से नहीं हो सकता। इसलिये जब तक वह चीज साबित न हो जाय तब तक कोई आक्षेप करना अनुचित है।

श्री अधिष्ठाता—बिलकुल सही है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, माननीय विचित्र नारायण जी ने जो प्वाइंट आफ आर्डर उपस्थित किया है उसका मैं निहायत अदब से विरोध करता हूं और मेरा तर्क यह है कि यह जो डिस्कशन है उसमें अगर सरकार अपने बनाये हुए कानूनों का पालन नहीं करती, उनके मुताबिक आचरण नहीं करती...

श्री अधिष्ठाता—श्री राजनारायण जी सुनिये, आप...

श्री राजनारायण—मैं श्रीमन्, प्वाइंट आफ आर्डर का जवाब दे रहा हूं। यह सामान्य वाद-विवाद है, सरकार नियम बनाती है, यदि सरकार अपने बनाये हुए नियमों का पालन नहीं करती और स्वयं ही मर्यादित नहीं है तो क्या उस सरकार की टीका-टिप्पणी नहीं हो सकती?..

श्री अधिष्ठाता—ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत टीका या आक्षेप न हो।

श्री राजनारायण—मैं किसी का नाम नहीं लूंगा लेकिन विद ड्यू रेस्पेक्ट (अदब के साथ) मैं कोशिश करूंगा कि माननीय विचित्र नारायण जी की भावनाओं को चोट न पहुंचे परन्तु जब कभी-कभी सिद्धान्त की बात आयेगी तो मैं किसी दशा में भी सिद्धान्त को तिलांजलि नहीं दे सकता, चाहे मुझे सदन की सदस्यता भले ही छोड़ना पड़े, मैं यहां से इस्तीफा दे सकता हूं लेकिन कानून के अन्दर जो अधिकार और शक्ति हमें हासिल है उस का हनन न होने दूंगा।

श्री रामकृष्ण सारस्वत (जिला फर्रुखाबाद)—श्रीमन्, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि श्री राजनारायण जी अभी कितनी देर तक और बोलेंगे?

श्री अधिष्ठाता—उन पर कोई रोक नहीं है, यह पहली रीडिंग है, वह जितना चाहें बोलें।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं यह कह रहा हूं, मैं आपके द्वारा सम्मानित सदस्यों से निवेदन करूंगा और माननीय विचित्र नारायण जी से निवेदन करूंगा कि हमारी आदत नहीं है किसी को गुमराह करने की। आज हमारे कहने से भले ही कोई रुष्ट हो जाय लेकिन माननीय मंत्री जी हमसे रुष्ट न हों, मैं उनसे बड़े अदब के साथ निवेदन करूंगा कि हम को बोलने दिया जाय और आगे चलने दिया जाय। हम जो कानून अपने लिये बनाते हैं उस को अपने ऊपर लागू करने से कोई ताकत हमें रोक सकती है? संविधान का बहाना....

श्री विचित्रनारायण शर्मा—हम तो अपने पर लागू करते हैं।

श्री राजनारायण—अगर वह अपने पर लागू करते हैं तो मुझे खुशी है। अगर वह आश्वासन देते हैं कि लागू करते हैं तो मैं उन की प्रशंसा करूंगा लेकिन क्या वह हमारे इस अधिकार को छीनेंगे कि जहां वह लागू न करें वहां उनकी निन्दा भी करें। मीठा-मीठा गप्प, कड़ुवा-कड़ुवा थू।

श्री अधिष्ठाता—आप वह निश्चित करें, लेकिन कोई व्यक्तिगत आक्षेप न करें।

श्री राजनारायण—मैं अब निवेदन करूंगा कि, धारा ९ को ध्यान से पढ़ा जाय। इसमें जिला परिषद् के सदस्यों के लिये कहा गया है, मेरा निवेदन है कि असेम्बली के सदस्यों के लिये भी यह लागू है? यदि असेम्बली या मंत्रिमंडल का कोई सदस्य ठेका लेता है या उसके परिवार के लोग ठेका लेते हैं या कम्पनी के जरिये ठेका पाते हैं....

श्री खूबसिंह—श्रीमन्, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है कि क्या इस समय कोई ऐसा बिल या कोई रूल्स पेश हैं कि जिसमें असेम्बली के सदस्यों के विषय में कोई मान्यतायें बनाई जा रही हों?..

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—मैं समझता हूं कि विधेयक को माननीय चौधरी साहब ने पढ़ने की मेहरबानी नहीं की है। इसमें माननीय सदस्यों को परिषद् का सदस्य होने से रोका गया है। तो मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों की योग्यता और अयोग्यता पर विचार करना इर्रेलेवेन्ट नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—माननीय खूबसिंह जी, जहां तक धारा ९ का ताल्लुक है, उसमें योग्यता और अयोग्यता का वर्णन है। उसी को लेकर माननीय राजनारायण जी टीका टिप्पणी कर रहे हैं, वह उसको कर सकते हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि किसी व्यक्ति का नाम न लें।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं भी खड़ा हूं और उधर से भी एक माननीय सदस्य खड़े हैं। कौन बोलेगा अब?

श्री अधिष्ठाता—प्वाइंट आफ आर्डर है शायद उनका।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि धारा ९ में योग्यता और अयोग्यता का प्रश्न है लेकिन यह नहीं है कि एम० एल० एज० और एम० पीज० न रहें। ऐसी कोई क्लाज नहीं है बल्कि उनको सदस्य नहीं होना चाहिए इस तरह की बात है। मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि किसी व्यक्ति के बारे में बार-बार कहना ठीक नहीं है। किसी चीज को घुमा-फिरा कर न कहें।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं अब आप से निवेदन करूंगा कि आप हमारे अधिकार की भी सुरक्षा करें।

श्री अधिष्ठाता—मैं आपके अधिकार की सुरक्षा कर रहा हूं। आप अपना भाषण जारी रखें। नीति की बात कहिए।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, जरा देखा जाय कि हम कितना इस दुनिया में अपने को कलंकित करेंगे यदि हम अपने लिये वही सहूलियत नहीं हासिल करते जो दूसरों को देना चाहते हैं। एक अंग्रेजी की कहावत है "डू टु अदर्स ऐज यू विश टु बी डन बाई।" अर्थात् दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जो तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हारे साथ करें। तो हम विधान सभा के सदस्य हैं। हम यहां कानून बना रहे हैं। जब जिला परिषद् से रोजगार चलाने वाले के लिये जिला परिषद् का सदस्य होने के लिये रुकावट लगाई है तो अगर सरकार से

[श्री राजनारायण]

कोई एसेम्बली का सदस्य रोजगार चलाए तो उस पर भी वह रुकावट लागू क्यों न हो और वह भी जिला परिषद् का सदस्य होने से क्यों न वंचित किया जाय ? माननीय विचित्रनारायण जी .....

श्री अधिष्ठाता—आप कृपया मुझे ही सम्बोधित करें ।

श्री राजनारायण—मैं आपके द्वारा माननीय सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करूंगा कि कहीं वह लांछन हमारे ऊपर न लगे कि जब हमारे हाथ में कानून बनाने की ताकत आई तो हमने उसका दुरुपयोग किया और माननीय विचित्र नारायण जी का मस्तिष्क कलंकित न हो । कलंकित ही नहीं बल्कि वह कलंक की काली कूची से सराबोर न हो जाय । इसलिये मैं आप के द्वारा उनसे निवेदन कर रहा हूं । इसीलिये मैं कहता हूं कि एसेम्बली के मेम्बर के लिये भी वह अयोग्यता बना दी जाय । यह अयोग्यता उन्हें भी हासिल हो जाय जो जिला परिषद् के सदस्य या मंत्री सरकार से ठेका लेते हों, कम्पनी बनाकर लेते हों या लिवाते हों । तो क्या यह कहना अनुचित होगा ?

श्री अधिष्ठाता—यह तो आप कह चुके ।

श्री राजदेव उपाध्याय (जिला देवरिया)—प्वाइंट आफ आर्डर । क्या यह जरूरी है कि कोई माननीय सदस्य बार-बार एक ही बात को कहे ?

श्री राजनारायण—श्रीमन्, जरा उनको समझा दीजिये कि एक ही चीज कह रहा हूं या नई चीज कह रहा हूं ।

अब दूसरी चीज कह रहा हूं कि जिला परिषद् का कानून तो हमें बनाना है । जिला परिषद् के सदस्यों के लिये अयोग्यता की शर्त रखे दे रहे हैं मगर जिस संविधान को हमको कार्यान्वित करना है उसमें यह कहां लिखा हुआ है कि हम अपने से राजनीतिक ऐक्शन न लें । न्यायालय की कार्यवाही भिन्न है, राजनीतिक कार्यवाही उससे भिन्न है । किसी भी विधान सभा के सदस्य या मंत्रि परिषद् के सदस्य के लिये कहीं भी यह विधान में लिखा हुआ है अगर उसके द्वारा या उसके परिवार के द्वारा सरकार को सामान सप्लाई करने का ठका लिया गया हो तो वह इस्तीफा न दे .... ?

श्री अधिष्ठाता—अब इसको छोड़िए ।

श्री राजनारायण—अब चूंकि माननीय अधिष्ठाता महोदय की आज्ञा है कि मैं दफा ९ छोड़ कर आगे चलूं तो आगे देखिये । पृष्ठ १७ में यह लिखा है ....

श्री अधिष्ठाता—फिर मैं आपको टोकता हूं, पहले वाचन में नीतियों की बात करें और नीतियों की बात कह कर रेफरेंस दें तो ठीक है । मगर यह कि पृष्ठ १७, १८, २० में क्या है इसके कहने की कोई जरूरत नहीं है ।

श्री राजनारायण—मुझे कहना पड़ेगा कि आपने एक व्यवस्था दी । मगर मैं निवेदन करूं कि व्यवस्था देने के पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर या अधिष्ठाताओं ने किस तरह की व्यवस्था दी है उसका भी अध्ययन होना चाहिए ।

मैं नीति पर आ रहा हूं । अगर मैं नीति का पहले नाम ले लूंगा तो माननीय सदस्य उस पर आपत्ति करेंगे ....

श्री अधिष्ठाता—उसको हमने डिसएलाऊ नहीं किया ।

श्री राजनारायण—माननीय अधिष्ठाता महोदय, जिस तरह कह रहे हैं शायद मैं उनकी इच्छा को पूर्ण कर पाऊंगा या नहीं, यह मुझे शक है । मैं चाहता हूं कि जब विधान सभा के सदस्य

या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या मंत्री या मुख्य मंत्री होने के लिये किसी उम्र की कैद नहीं लगायी गई है तो जिला परिषद् के अध्यक्ष के लिये भी उम्र की कैद अलग से नहीं होनी चाहिए। इसमें लिखा है। अध्यक्ष के निर्वाचन के लिये अर्हतायें "(ग) उसने ३५ वर्ष की आयु प्राप्त न कर ली हो"। क्यों? क्योंकि जैसे सोशलिस्ट पार्टी है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी है, और दूसरी पार्टियां हैं....

श्री अधिष्ठाता—क्या सोशलिस्ट पार्टी में सब ३५ से नीचे ही हैं?

श्री राजनारायण—इसमें नौजवानों की भरमार है, बुड्ढे नहीं हैं। ३५ वर्ष का प्रतिबन्ध इसलिये लगाया जा रहा है ताकि जो नई शक्ति प्रस्फुटित हो रही है, वह किसी अच्छी जगह पर न जा पायें। कहा जाता है नवयुवकों को स्थान दो, नव रक्त का संचालन होना चाहिए। उसका समावेश कहां किया जा रहा है? ३५ वर्ष के बाद नव रक्त नहीं आयेगा बल्कि वह गाढ़ा हो जायगा और उसमें संचालन नहीं होगा, जमाव होगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर सही तरीके से जिला परिषदों के कार्य को सम्पादित करना है, नवरक्त का समावेश कराना है जिसकी दुहाई तमाम पार्टियां दिया करती हैं तो इसकी सीमा घटाई जाय और अलग से कोई प्रतिबन्ध लगाने की जरूरत नहीं है। व्यवधान

श्री अधिष्ठाता—(श्री उग्रसेन से) माननीय उग्रसेन जी, आपके नेता तो बोल रहे हैं, वही काफी हैं, उन्हें बोलने दीजिये।

श्री राजनारायण—मैं आपके द्वारा यह निवेदन कर दूं कि इस सदन के सम्मानित सदस्यों की जो भृकुटी टेढ़ी होती है उसका शिकार आगे न बनूं, उनसे मैं पहले ही कह दूं कि वे जरा धारा ५३ देख लें। उसमें भी सदस्यों की योग्यता तथा अयोग्यता की परिभाषा रखी गयी है और उन्हीं तमाम बातों का समावेश कर दिया गया है। उसमें पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन ऐक्ट, १९५१ का भी जिक्र किया गया है। मैं स्वायत्त शासन मंत्री से कहूंगा कि वे जरा पीपुल्स रिप्रजेंटेशन ऐक्ट, १९५१ की दफा ७-द को पढ़ें। मुझे यह कहने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं है कि माननीय विचित्र नारायण जी ने एक चुनौती दी है। मैं उन्हें एक न्योता देना चाहता हूं। मैं एक दफा नहीं कई दफा यह कहने को तैयार हूं कि अनावश्यक ढंग से कोई प्रचार करता है तो मैं उसे स्वीकार करने का आदी नहीं हूं। मैं देखता हूं कि कौन ललकार रहा है, किसका आह्वान है। मैं उनकी बात मानने के लिये तैयार हूं....

श्री अधिष्ठाता—आप तो सेक्शन ५३ की बात कह रहे थे?

श्री राजनारायण—उसी की कह रहा हूं। मेरा दोष यह है कि मैंने इसको पढ़ा है और दूसरे का गुण यह है कि वे बिना पढ़े बोल रहे हैं। तो इस दोष के लिये मैं क्या कर सकता हूं? माननीय विचित्र नारायण जी, इसको देख कर जो कुछ फैसला दे देंगे मैं उसे मान जाऊंगा।

अगर आगे आप देखें ५५ में तो इसमें सरकार ने एक अधिकार ले लिया है जिसको मैं चाहता हूं कि सरकार के हाथ में नहीं होना चाहिये। इस सरकार के नेता बराबर जनतंत्र की दुहाई देते रहते हैं। जनतंत्र की दुहाई देने वाली अगर कोई सरकार होगी तो कानून में भी उसको मूर्तिमान शक्ल प्रदान करेगी या नहीं करेगी? इसमें यह रखा है "यदि यह प्रश्न उठे कि जिला परिषद् का कोई सदस्य या अध्यक्ष धारा ९ में या अन्यत्र इस अधिनियम में उल्लिखित किसी अनर्हता से ग्रस्त है अथवा नहीं, तो वह प्रश्न निर्णयार्थ राज्य सरकार को नियमों द्वारा नियत रीति से अभिदिष्ट कर दिया जायगा और राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा।" कितना बड़ा अधिकार सरकार ले रही है इसको जरा देखा जाना चाहिये। हमने माना कि सरकार ने अयोग्यता के लिये कुछ शर्तें दे दी, जैसे जिला परिषद् का सदस्य जिला परिषद् से व्यापार चलाता है तो वह सदस्य नहीं रहेगा लेकिन

[श्री राजनारायण]

आगे चल कर कैसे सदस्य नहीं रहेगा—एक हाथ से देना और दूसरे हाथ से लेना—यह किया जा रहा है। सरकार वे सारे अधिकार अपने हाथ में लेना चाहती है। सरकार ने जिस तरह नियम बनाये उनके मातहत चल कर यह देखा जाना चाहिये कि उसने ठेकेदारी का काम करने के लिये जिला परिषद् का सामान लिया है या नहीं यह न्यायालय पर छोड़ा जाय। जिस तरह से पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन ऐक्ट, १९५१ की दफा ७-डी में यह व्यवस्था की गयी है, जिस तरह से ट्रिब्यूनल बनाने की व्यवस्था की गयी है, जिस तरह से जज प्रतिष्ठित करने की व्यवस्था की गयी है उसी तरह से इसके लिये भी क्यों न किया जाय? अगर यह अधिकार राज्य सरकार के हाथ में रहता है या उसके द्वारा बनाये जाने वाले नियमों के मातहत संचालित होगा तो मेरा कहना है कि पक्षपात होगा। ऐसी पार्टियों के सदस्य जो सही माने में विरोधी पार्टी हैं, जो आज सरकारी दल में नहीं शामिल हैं, जिन्होंने अपने अविश्वास के प्रस्ताव को यहां रखा वे तो अनर्हत हो जायेंगे और सही माने में जो अयोग्य होंगे वे योग्य बना दिये जायंगे।

आज तक इस सरकार के बनाये हुए जितने कायदे कानून हैं जिनमें सरकार ने सारी ताकत या तो अपने हाथ में ले ली है या अपने कर्मचारियों के हाथ में दे रखी है उनके जरिये जहां-जहां चुनाव हुये हैं वहां यह आफत ढायी गयी है। वाराणसी जिला परिषद् की बात मैं इस संबंध में आपके सामने रखना चाहता हूं। सन् ५५ में जब प्लानिंग कमेटी बनी तो उसमें जो गवर्नमेन्ट का आर्डर है उसको मैंने पढ़ा। उसमें यह लिखा हुआ है कि जिला बोर्ड दो सदस्यों को प्लानिंग कमेटी में चुनेगा। उसमें यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जिला बोर्ड अपने ही दो सदस्यों को प्लानिंग कमेटी में चुनेगा। जिला बोर्ड के दो सदस्य प्लानिंग कमेटी में चुने गये। बाद में एक सदस्य ने जिला बोर्ड की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। वहां से सरकार के पास स्पष्टीकरण के लिये आया कि इस नियम में क्या स्पष्टीकरण होगा। सरकार का जो स्पष्टीकरण गया उसको भी मैंने पढ़ा और इनके एल० आर० और ज्वाइंट एल० आर० से हमने बातें भी कीं। स्पष्टीकरण बिलकुल ठीक था कि जिला बोर्ड बाहरी दो सदस्यों को भी चुन सकता है। यह भाष्य कब तक रहता है? जब तक कि जिला बोर्ड का वह सदस्य कांग्रेस पार्टी के रूलिंग गुट का सदस्य था। मगर जिस घड़ी उस सदस्य ने उस रूलिंग गुट का सदस्य रहने से इन्कार कर दिया तो फौरन यहां से दूसरा इंटरप्रेटेशन चला गया। वह मजे की चीज है जरा सुनिये। दूसरा इंटरप्रेटेशन यह जाता है कि पहले जो भाष्य किया गया वह गलत हो गया, सरकार की इच्छा यही थी कि जिला बोर्ड अपने ही में से दो सदस्यों को चुने। एल० आर० साहब से हमने पूछा कि क्या यह इंटरप्रेटेशन आपका है या सरकार के मंत्री या सेक्रेटरी साहब का है? यह हमको बता सकने में वे असमर्थ रह गये।

मगर मेरा दावा है कि उस जी० ओ० को इस सदन में पढ़ा जाय। जी० ओ० की भाषा स्पष्ट है। उसमें इतना ही है कि जिला बोर्ड दो सदस्यों को प्लानिंग कमेटी में चुन कर भेजे। कहीं नहीं लिखा है कि अन्दर से भेजे या बाहर से भेजे। तो मेरा कहना है कि अभी अभी जो तात्कालिक घटना घटी है वाराणसी जिला बोर्ड में वह जरा इनकी दृष्टि को खोले। जहां सरकार यह अधिकार ले लेगी कि दफा-९ के मुताबिक सरकार फैसला करेगी कि अयोग्यता हुई है या नहीं वहां पक्षपात होगा, कुनबापरस्ती होगी, भाई भतीजावाद होगा।

एक सदस्य—और कुछ होगा?

श्री राजनारायण—और जो कुछ होगा वह आपके सिर पर आयेगा। तो क्यों सरकार यह चीज अपने हाथ में लेना चाहती है? क्यों इसके लिये कोई न्यायालय का बन्धन न किया जाय, क्यों इसको जजों के मातहत न छोड़ा जाय? इस पर विचार होना चाहिये और मेरा कहना है कि इसके लिये कोई न्यायालय बनाया जाय, वही न्यायालय फैसला देगा कि अयोग्यता उत्पन्न हुई है या नहीं। न तो सरकार के हाथ में यह चीज रहनी चाहिये

और न गोलमोल तरीके से शब्दावली होनी चाहिये कि सरकार आगे जो नियम बनाये उसके द्वारा यह चरितार्थ होगा। इसी के साथ-साथ ५६ (ग) में फिर सरकार ने यह अधिकार ले रखा है। मैं निहायत अदब के साथ कहूंगा कि सरकार को यह अधिकार नहीं रखना चाहिये इसके लिये स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायालय का गठन होना चाहिये। अभी सुबह माननीय गेंदा सिंह जी परेशान, माननीय अध्यक्ष परेशान और आदरणीय सदन के माननीय सदस्य परेशान लेकिन माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि हमने तीन को मनोनीत कर दिया है और हमको यह अधिकार है। इसके संबंध में हमारे देहात की एक मसल मशहूर है कि "आवा जा घर काहो बा"। जब चाहे तब घर आओ और जो चाहे कानून बनाओ। हमने यह तुगलकी चीज देखी है। तुगलक को भी ऐसे परिवर्तन करने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। आज सरकार तुगलकशाही को भी मात कर रही है कि दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से दिल्ली ही नहीं कर रही है बल्कि यह सरकार बनारस से लखनऊ और लखनऊ से औरंगाबाद और औरंगाबाद से जाल्पा देवी, यह तमाम बातें सरकार कर रही है। इस तरह से काम नहीं चलने वाला है। सही माने में यदि सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना है तो इस विधेयक में व्यवहार रूप में यह चीज आनी चाहिये। तब कहा जाय कि हम जनतंत्रवादी हैं और उसके बाद ही दूसरी पार्टियों की नुक्ताचीनी करनी चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—मैं एक निवेदन कर दूं कि जब श्री सुल्तान आलम खां बोल रहे थे तो माननीय अध्यक्ष ने कहा था कि और भी बोलने वाले हैं। इसलिये उन्होंने प्रार्थना की थी कि वह कम से कम बोलें।

श्री राजनारायण—हमारी पार्टी का कल कोई भी नहीं बोला था और आज हम अकेले बोल रहे हैं। अब यह देखा जाय कि संविधान में यह माना गया है कि अगर कोई सदस्य अपने आप को अयोग्य समझ ले या उसको मालूम हो जाय कि वह अयोग्य है और फिर भी सदन की कार्यवाही में भाग ले तो ५०० रु० रोजाना के हिसाब से दंडित होगा। मैं चाहता हूं कि यह चीज यहां भी रहे। लेकिन यह सरकार इसको नहीं चाहती है। इसीलिये उसने रखा है कि जिस व्यक्ति पर अयोग्यता की सूरत पैदा होगी उसको यदि सरकार चाहे तो फौरन मुअत्तिल कर दे यह अधिकार सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है और सरकार जब चाहे मुअत्तली को हटा दे तो क्या होगा।

यदि माननीय गेंदा सिंह जी अध्यक्ष चुने जाने वाले हैं फिर तो न जाने किन-किन लोगों से दरख्वास्त दिलवा देंगे और अयोग्यता में सस्पेंड कर दिये जायंगे और अगर इधर हां में हां मिलाने वाला हो गया तो उसी समय मुअत्तली खत्म कर दी जायगी। सरकार क्यों इसको अपने हाथ में रखना चाहती है? हां, अर्थ दंड व्यवस्था करे जिसमें अयोग्यता उत्पन्न हो गई हो, ऐसा सवाल यदि उठा हो और फैसला हो चुका हो न्यायालय के जरिये से तो उस दिन से उसकी हैसियत को देखते हुए अर्थ दंड उससे लिया जाय। उसकी सदस्यता को वंचित कर देना, मैं समझता हूं कि जनतांत्रिक व्यवस्था के विरुद्ध होगा और सरकार अनियंत्रित और निरंकुश होकर कार्य करेगी तो पार्टीबाजी होगी, गुटबाजी होगी, तिकड़मबाजी होगी।

इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि सरकार अगर अपने हाथ में मर्यादित अधिकार रखना चाहती है तो पहले उसको असीम ढंग से अपने हाथ में अधिकार रखने की भावना को छोड़ना पड़ेगा, अगर वह ऐसा नहीं कर सकती तो वह मुअत्तली का अधिकार अपने हाथ में न ले। बल्कि किसी अर्थ दंड व्यवस्था की बात करे कि अगर न्यायालय से यह बात साबित हो गयी उसकी अयोग्यता की तो उसको ५ रु० या १० रुपये प्रति दिन के हिसाब से दंड देना होगा। अगर अयोग्यता से सम्बन्धित यह बात मान ली गयी तो आगे पांच साल के लिये वह अयोग्य माना जायगा। तो इसी में एक प्रतिबन्ध रखा गया है कि "प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन हटाये जाने का आदेश राज्य सरकार द्वारा तब तक न दिया जायगा

[श्री राजनारायण]

जब तक कि सम्बद्ध सदस्य को इस बात का कारण प्रकट करने का उचित अवसर न दे दिया गया हो कि उसे ऐसा आदेश क्यों न दिया जाय।"

हमारा कहना यह है कि इसको सरकार अपने हाथ में क्यों लेती है ? उसमें अयोग्यता उत्पन्न हुई या नहीं, अयोग्यता उत्पन्न होने का कोई कारण है या नहीं, उसको सफाई देने का मौका देना, यह सारी बातें न्यायालय के जरिये से होनी चाहिए। न्यायालय प्रतिष्ठित हो। उसमें सम्मानित उच्चकोटि के न्यायाधीश हों या असिस्टेंट जज के रूप में कम से कम काम करते हों वहां, रहें। लेकिन अगर सरकार के हाथ में यह बात रहती है तो पक्षपात होगा। आगे चल कर के एक और भी अधिकार सरकार ने अपने हाथ में लिया है। वह यह है कि प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार किसी भी समय आदेश दे कर इस अनर्हता को हटा सकती है। मान लीजिये कि कानून में लिख दिया गया है कि पांच-वर्ष तक यह अयोग्य हो गया है। लेकिन राज्य सरकार ने अपने हाथ में यह हक ले लिया है कि वह उस अयोग्यता की सीमा को हटा सकती है। अगर सोशलिस्ट पार्टी का कोई अयोग्य हो, जो होन वाला नहीं है, तो उस की अयोग्यता बरकरार रहेगी। मगर जब कोई ऐसा आदमी अयोग्य हो जायगा जो हां, हुजूरी करता है, दिन दिन, चांद चांद, तारा तारा कहने वाला हो, मालिक दिन को रात कहे तो तारा भी चमका दे, ऐसे लोग जो जनता के प्रतिनिधि होने के हकदार नहीं उनकी अयोग्यता की सीमा हटा दी जायगी, क्योंकि सरकार आज इस ढंग से चल रही है कि विरोधी दल ही नहीं कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों सदस्यों का कहना है कि यह सरकार गुटबन्दी के रूप में चल रही है, पार्टी के रूप में नहीं। फिर ऐसी सरकार के हाथ में शक्ति दी जाय, जिसके दल के ही लोग उस सरकार को कलंकित करना चाहते हैं, जिसके दल के सैकड़ों लोगों का उस पर विश्वास न रह गया हो, यह किस जनतंत्र की भावना का द्योतक है ? ऐसी सरकार के हाथ में जितनी कम ताकत रहे उतना ही ज्यादा जनता का भला होगा।

अध्यक्ष के हटाये जाने की जो शर्तें हैं उसके सम्बन्ध में मुझे कुछ कहना है। अध्यक्ष के हटाये जाने की अगर बात होती है तो यह भी राज्य सरकार के हाथ में क्यों आये ? मैं पूछता हूं, वह लोग जो जनतंत्र की बात करते हैं, शक्ति के विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं, वर्गविहीन समाज की बात करते हैं क्या उनके लिए इस तरह का विधयक प्रस्तुत करना शोभा की बात है ? जिसको चाहे सरकार मरवा दे, कटवा दे, गिरवा दे, यह कोई विधेयक है, सारी प्रभु सत्ता को अपने आप में सन्निहित करने का यह विधेयक द्योतक है। यह जनतांत्रिक विधेयक नहीं है। श्रीमन्, मैं जिला परिषद् के कर्तव्य के ऊपर भी कुछ कहना चाहता हूं। लिखने में जिला परिषद् के कर्त्तव्य बहुत हैं। आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, शैक्षणिक विकास, पढ़ाई, लिखाई, सफाई, रोशनी, कृषि, उद्योग सारी बातें लिखी हुई हैं। मगर हमने आपसे निवेदन किया कि इसके लिए सरकार ने कौन से साधन जिला परिषद् को दे रखे हैं। एक तरफ तो हम कह दें कि तुम्हारी सभी बात हम मानते हैं, देहातों में पंचायतें आपकी तरफ बहुत होती हैं भदोही में मान्यवर, बात जो कहगे पंचों हम सब मानेंगे तुम्हारी लकिन खूंटा हमारा यहीं गड़ेगा। इसी तरह से बातें तो सभी लिख दी गईं, जनतंत्र भी लिख दिया, समता भी लिख दिया, सामाजिक न्याय भी लिख दिया, और गांधी जी का अहिन्सा का मंत्र भी लिख दिया लेकिन काम वही होगा जो सरकार चाहेगी। खूंटा गड़े सरकार का, नाम हो जनता का।

यह जनतंत्र है श्रीमन् ? मैं समझता हूं आप काफी अध्ययनशील हैं और लगातार पढ़त पढ़ते भी आप इस तरह का जनतंत्र कहीं पाये नहीं होंगे। बताया जाय कि इस तरह की व्यवस्था को क्या कोई जनतंत्र मान सकता है? वही मान सकता है जो नाम तो लेगा जनतंत्र का और काम करगा अधिनायकशाही का, तानाशाही का। लोकशाही को लोक-भावनायें, लोक भाषा, लोक-भूषा और लोक-भवन यह प्रमाणित करते हैं। जब तक लोक-भावनायें, लोक-भाषा,

लोक-भूषा, लोक-भवन, लोक-भोजन यह न हो तब तक कभी क्या कोई लोकतंत्र चल सकता है? नहीं चल सकता है।

देखा जाय, जिला परिषद् को शिक्षा की व्यवस्था संचालित करने का क्या अधिकार दिया गया है? एक जगह इसमें जूनियर हाई स्कूल, और प्राइमरी स्कूल दिया गया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिले में जितनी भी शिक्षा की संस्थायें हैं उनको चलाने का भार जिला परिषद् को दिया जाय। तर्क आयेगा, यूनिवर्सिटी का खर्च, जिला परिषद् कैसे चला पायेगी, कालेज का खर्च कैसे चलायेगी? इन बातों को मानते हुए मैं कह रहा हूं। यदि यह सरकार चौखम्भा राज्य के सिद्धान्त को मान चुकी है, हमने आपसे पहले ही कहा था कि जब जनतंत्र चौखम्भा राज्य के रूप में मूर्तिमान होगा तब सारे राजकोष का चौथाई जिला परिषद् को दिया जायगा। तब तो उनको इन्हें चलाने में दिक्कत नहीं पड़ेगी मगर हां, जब तक सारी आर्थिक शक्ति सरकार अपने हाथ में रखेगी और यह व्यवस्था उनको देगी तो जरूर उनको परेशानी होगी। जब मैं जनतंत्र की कोई बात करता हूं तो पूर्णरूप से सर्वांगीण रूप में जनतंत्र की बात करता हूं। यह नहीं समझा जाना चाहिए कि हाथी की केवल पूंछ देख कर समझ लिया जाय कि यह क्या है? सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए देखा जाय वरना अगर किसी एक चीज को देख कर रख दिया तो पच्चीसों खराबियां उसमें आ जायेंगीं।

माननीय मन्त्री जी ने जो जिला परिषद् विधेयक प्रस्तुत किया है जो कि अधिनियम की शक्ल आगे चल कर लेगा उससे मैं जवाहरलाल जी के शब्दों में दोगली सन्तान कह सकता हूं। जवाहरलाल जी जब इलाहाबाद म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन थे तो उन्होंने एक दफा कहा था कि यह बोर्ड तो दोगली सन्तान है जनतंत्र और तानाशाही का। मैं पूछना चाहता हूं माननीय विचित्र नारायण जी से कि यह जिला परिषद् उनका यह किस तरह की सन्तान है, यह दोगली है या तेगली है। श्रीमन्, वही कलेक्टर जिसको कि पूज्य महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अंग्रेजी शासन में कलेक्टर एक एक जगह का छोटा गर्वनर बना हुआ है उस कलेक्टर की शक्ति कैसे कम हुई है? क्या इस विधेयक के अन्दर कलेक्टर की ताकत बढ़ी है या नहीं? उसके हाथ में शक्ति गई है या नहीं? इस विधेयक में जहां कलेक्टर आया है उसके हाथ में ज्यादा शक्ति गई है। आज भी जिला परिषद् के द्वारा जो कलेक्टर के द्वारा नियन्त्रित हो रही है अगर उनके कार्यकलापों को देखा जाय तो तरह तरह का रंग खिलेगा। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि अगर जनतंत्र को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं तो जनतान्त्रिक प्रणाली को पूरी शक्ल में लें, अधूरी शक्ल में न लें। जब जिला परिषद् बन रही है तो कलेक्टर के रहने की क्या आवश्यकता है? क्यों कलेक्टर इस रूप में रहे। जिला परिषद् का अध्यक्ष, जो सारे जिले की जनता की इच्छा और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला होगा, वह कलेक्टर के मातहत रहेगा। क्या यह नौकरशाही का प्रतीक नहीं है? क्या साम्राज्य-शाही की व्यवस्था का यह प्रतीक नहीं है या यह लोकशाही का प्रतीक है? मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्यों इसको रखा गया? क्यों नहीं इसको हटा दिया गया? एक बार मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि इस प्रश्न पर सोचा जा सकता है मगर वह कब तक सोचा जा सकता है? क्या उनके सोचने के लिये कोई सीमा है? कोई सीमा नहीं है।

इसमें श्रीमन्, देखा जाय परिषद् के अधिकारियों और सेवकों की चर्चा है। परिषद् के अधिकारियों और सेवकों के लिये कौन सी नियमावली लागू होगी? क्या सरकार ने आज तक कोई नियमावली बनाई है? कैसे लोग रहेंगे? उनकी योग्यता क्या होगी? जब नये ढंग का सृजन आप कर रहे हैं तो क्यों नहीं जनतान्त्रिक व्यवस्था को अमली जामा पहनाने के लिये इस दकियानूसी व्यवस्था को छोड़कर चलें। इसलिये बापू ने कहा था कि "बर्न आल दि फाइल्स" अगर भारत में स्वतंत्र आत्मा को प्रतिष्ठित करना चाहते हों तो न पुरानी फाइलों को जला दो। आज यह सरकार अंग्रेजी साम्राज्यशाही के जन विरोधी जाल में फंस

[श्री राजनारायण]

गई है या मेकाले के मकड़ जाल में फंसी हुई है। हमारे बहुत से माननीय सदस्यों को हंसी आयेगी और कहेंगे कि यह लार्ड मेकाले का मकड़ जाल क्या है। लार्ड मेकाले का मकड़ी का जाल अंग्रेजी भाषा है। उस जाल में हमारे मन्त्री जी फंस गये हैं और माननीय विचित्रनारायण जी की इच्छा रहते हुये भी वह उससे निकल नहीं पाते हैं। हमारी जिला परिषदों में यहां से अंग्रेजी में चिट्ठी जाती है। मुझको २, ४ बैठकों में सम्मिलित होने का मौका मिला है। कभी-कभी आप भी उसमें रहे हैं। उसमें वह चिट्ठी अंग्रेजी में पढ़ी गई। वह सरकार का आदेश था। आज श्रीमन्, हमारी बात सही हुई या नहीं? हाईकोर्ट के एक जज ने अभी फैसला दिया है कि सरकार द्वारा अंग्रेजी में कोई विज्ञप्ति, कोई नियमावली और कोई रूलिंग निकालना अवैध होगा क्योंकि सन् १९५१ से इस उत्तर प्रदेश की भाषा हिन्दी और नागरी लिपि मानी जा चुकी है। आज हमने अविलम्बनीय महत्व के रूप में एक प्रश्न रखा था वह कल आयेगा कि अब भी इस सरकार के आदेश अंग्रेजी में लिख कर क्यों जाते हैं। क्यों न जिला परिषदों को हक हो जाय शिक्षा का संचालन करने के लिये, सारी शक्ति उसके हाथ में ही क्यों न सन्निहित हो जाय? जब उसको हक हो जायगा तो तानाशाही फरमान जो गुलामी के रूप में अंग्रेजी में यहां से जाते हैं वह तो नहीं जा पायेंगे। उसमें अंकुश लगेगा। उस पर नियंत्रण होगा। अब वह आत्मा उसमें प्रतिबिम्बित नहीं हो रही है।

श्रीमन्, अगर जिला परिषदों को जिले की शिक्षा व्यवस्था का कार्यभार दे दिया जाय और कुछ व्यवस्था जैसा हमने बताया वैसे की जाय तो कई पाप जो हो रहे हैं वह नहीं होंगे। किताबों की कीमत बढ़ेगी नहीं, न फीस बढ़ेगी और शिक्षा भी सस्ती और अनिवार्य होगी। उन बातों को आप सोचिये। मगर यह सरकार, पता नहीं, चाहती है या नहीं। मैं उस जाल में नहीं पड़ता हूं। इस सरकार ने जो यह विधेयक तैयार किया है उससे यह शर्तें पूरी नहीं होंगी। श्रीमन्, कई प्रकार के प्रश्न पैदा हो गये हैं, कई क्रास करेंट, परस्पर एक दूसरी को छेदती हुई धाराएं हमारे राज्य में चल रही हैं। अगर हमारे चौखम्भा राज्य के सिद्धान्त को जिला परिषद् विधेयक में चरितार्थ किया जाय तो परस्पर एक दूसरे को काटने वाली धाराएं अविरुद्ध हो जायंगी और सारे जातिपांत के सवाल का हल भी हो जायगा और आज जो विकराल स्वरूप खड़ा हो रहा है वह भी समाप्त हो जायगा। हमें मालूम है कि अब जन-चेतना प्रस्फुटित हुई है उसके साथ अगर बालिग मताधिकार के आधार पर जिला परिषद् के सदस्य चुने जायंगे तो आज घमंड से फूले हुए लोग जो मोटे गद्दे पर बैठकर आज आनन्द विभूति ले रहे हैं, वह नहीं जा पायेंगे। जनता का सच्चा प्रतिनिधि, जो जनता के बीच में लोग रहते हैं उठते हैं, बैठते हैं दुख दर्द में उनके साथ रहते हैं, वह जायंगे और शिखर राजनीति चलाने वाले लोग, कमरे में बैठ कर काना-फूसी करने वाले लोग, अगर हमारे ढंग से जिला परिषद् का निर्माण होगा तो अपने आप खत्म हो जायंगे।

मैं उन लोगों से कहता हूं जो अपने आप को पिछड़ी जातियों का एक मात्र प्रतिनिधि स्वरूप मानने के लिए कभी-कभी यहां पर उद्यत हो जाते हैं कि अगर हमारे रूप में चौखम्भा राज्य को चरितार्थ करें तो जिला परिषद् में उन्हीं के प्रतिनिधि ज्यादा तादाद में आ पायेंगे। अगर इसी तरीके से यह विधेयक चलेगा तो उसमें सदस्यों को होटल में बन्द किया जायगा, सदस्यों को बरसात में मिर्जापुर भ्रमण कराया जायगा, मोटर पर दूसरी जगह ले जायगा चुनाव के अवसर पर, मगर जब जनता का अथाह समुद्र उमड़ेगा तो १०–२० को अगर उड़ाकर भी आप ले जायंगे तो चुनाव के नतीजे पर असर नहीं पड़ेगा। मेरी जानकारी है जिसे आप भी जानते होंगे कि वाराणसी जिले में एक चुनाव होने वाला था। जिस दिन चुनाव हुआ उस दिन एक अध्यापक को जिला बोर्ड के अध्यक्ष से मिलने के बहाने बुलाया गया। महज एक वोट से कांग्रेस का उम्मीदवार हार रहा था। उसको मोटर पर बिठाकर ले गये कि चलो, अध्यक्ष से मिला दें। अध्यक्ष नहीं मिले, कहा गया कि रामनगर गये हैं, वहां गये पर वहां भी नहीं मिले। कहा गया कि शायद

विंध्याचल चले गये हों। फिर वहां ले गये। इस तरह से ४–६ दिन उनको मिर्जापुर में घुमाया गया। वह कौन आदमी थे। वह मथुरा प्रसाद अध्यापक थे।

श्री अधिष्ठाता—नाम लेने की आवश्यकता नहीं है।

श्री राजनारायण—ले भी लिया तो क्या हर्ज है ?

श्री अधिष्ठाता—जी नहीं।

श्री राजनारायण—तो उस अध्यापक को ले गये। जब जिलाधीश को मालूम हुआ तो उसने कहा कि मैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में ताला लगा दूंगा, उसको बुलाया जाय। तब रोये-गाये, हल्ला-गुल्ला करके यह लीपा-पोती की गयी। अगर जिला परिषद् का निर्माण इसी तरह से हुआ तो ये सारे दोष उसमें सन्निहित रह जायंगे, ये सारी खुराफातें होंगी और सही माने में उसमें जनता का प्रतिनिधि नहीं पहुंच पायेगा।

श्री अधिष्ठाता—यह तो सेलेक्ट कमेटी में जाने वाला है।

श्री राजनारायण—बहुत जल्दी कर रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता—यह जो आप कह रहे हैं यह कोई आवश्यक नहीं है।

श्री राजनारायण—इसी आवश्यकता को समझते हुए मैंने विरोधी दल के नेता जी से कहा था कि ७ दिन का समय रखवाइये, मगर वह भी क्या करें ? शासक दल जो है वह हठवादी है...

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य, इस बिल की जो मूल नीतियां हैं उन पर प्रकाश डालें। अभी यह सेलेक्ट कमेटी में भी जायगा।

श्री राजनारायण—सेलेक्ट कमेटी में तो मैं रहूंगा नहीं।

श्री अधिष्ठाता—उग्रसेन जी रहेंगे।

श्री राजनारायण—अब मैं ऐसा समझता हूं कि शायद माननीय नेता विरोधी दल भी यही चाहते हैं कि मैं जल्दी खत्म करूं तो मैं जल्दी खत्म कर रहा हूं। अगर आप चलने दें तो मैं अपने आप ही जल्दी खत्म कर दूंगा।

श्री अधिष्ठाता—कोई रोकता नहीं है, मैंने सिर्फ संकेत कर दिया।

श्री राजनारायण—मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। परिषद् के जो कर्त्तव्य और अधिकार हैं उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं निवेदन करूंगा मन्त्री जी से कि वे परिषद् के कर्त्तव्यों और अधिकारों की सीमा बढ़ावें। उनको अधिकार दिया जाय कि वह जितनी भी योजनाएं विकास की हैं उनको संचालित करें। अगर किसी मामले में किसी टेक्निकल परामर्श की आवश्यकता हो तो वह इंजीनियर से उनको दिलवा सकते हैं। माननीय मुख्य मन्त्री ने पहले जब माननीय नेता विरोधी दल का जवाब देना शुरू किया तो पुलिस की बात आई। मैं फिर कहना चाहता हूं कि छोड़ दीजिये इंग्लैंड का हवाला और वहां की बात को भी गलत मत समझा जाय, वहां पर जो जिला परिषद् हैं, उनको चाहें काउन्टी काउन्सिल कहिये या कुछ भी कहिये उनका ही वहां पर पुलिस पर नियंत्रण है। सरकार ग्रान्ट बन्द कर दे तो बन्द करदे लेकिन ग्रान्ट भी बन्द करने की शर्तें हैं, जिस तरह से यहां पर बन्द हो जाता है, अगर उस तरह से वहां पर किया जाय तो पार्लियामेंट का चलना मुश्किल हो जाय, पार्लियामेंट के शीशे फूट जायं। वहां की डेमोक्रेसी कितनी ऊंची है। वहां पर एक मतर्बे आई० जी० ने एक एडवोकेट की

[श्री राजनारायण]

बातें टेलीफोन पर सुनने की कोशिश की तो उसके लिये पार्लियामेंट में गृह मन्त्री को माफी मांगनी पड़ी कि फिर ऐसी कार्यवाही नहीं होगी। वहां तो फोन की बात रही लेकिन हमारे यहां कमरे में न मालूम कितने सी० आई० डी० वाले आते रहते हैं। एक मतबे मुझे एक रिपोर्ट मिली कि मैं सात दिन कहां कहां रहा और वह सारी रिपोर्ट सरकार के पास थी तो मैंने कहा कि पुलिस भी धन्य है और सरकार भी धन्य है। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार जनता के सामने ताकत को बाट रही है? अगर बांट रही है तो बिना किसी हिचक के यह अधिकार दिये जायं कि जिला परिषद् अपने जिले में सारी विकास की योजनायें चलायें, उनको कार्यान्वित करे। लेकिन इस तरह की उलूल-जुलूल बातें इस बिल के जरिये की जायं तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह जनतंत्र का प्रयास है, यह तो जनतंत्र का परिहास है, उसका मजाक है, जनतंत्र की हंसी है, इस तरह की व्यवस्था को जनतंत्र नहीं कहा जा सकता। तो मेरा कहना है कि इस अवसर पर अगर कोई खतरा है तो उस खतरे को सरकार मोल ले।

सरकार बड़ी हमदर्दी के साथ पुलिस की व्यवस्था को जिला परिषद् को दे। आज से बीसों वर्ष पहले जो रिपोर्टें प्रकाशित हुईं, उनमें खेर कमेटी की शोहरत है, क्या उन्होंने उसमें पुलिस की व्यवस्था को जिला काउन्सिल को देने की बात नहीं मानी थी? आज मैं कहना चाहता हूं कि आज हम अपने को सबका ठेकेदार मान लेते हैं, वही अंग्रेजी हुकूमत का तरीका है कि अगर आजादी दे देंगे तो खतरा पैदा हो जायगा, बदअमनी हो जायगी, अराजकता हो जायगी, वही तरीका साम्राज्यशाही हुकूमत का यह कांग्रेस की सरकार अपना रही है। कांग्रेस की सरकार कह देती है कि अगर जिला परिषद् के हाथ में पुलिस की व्यवस्था दे देंगे तो तहलका मच जायगा। मैं पूछना चाहता हूं कि पुलिस का कौन इन्तजाम करता है, क्या पुलिस के मन्त्री इन्तजाम करते हैं? कल इसी लखनऊ में, मुमताज मंजिल एक जगह है, वहां पर पुलिस ने पचासों हरिजनों को मार-मार कर निकाल दिया। बेचारे दौड़े हुये मेरे पास आये थे। मैंने फोन किया कमलापति जी को तो उन्होंने कहा कि पता लगवायेंगे, रात भर वह सड़क पर पड़े रहे। श्री गोपाल नारायण सक्सेना ने कहा कि उनको मेरे यहां भेज दो, यहीं रात को रह जायंगे, उनके लिये इस समय और क्या व्यवस्था की जाय। तो जिस तरह से आज पुलिस का प्रशासन चल रहा है उसमें क्या मंत्री जी शान्ति और व्यवस्था कायम करने में समर्थ हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि इससे ज्यादा और क्या अराजकता फैलेगी? आप आजमगढ़ के जिले को देखें, देवरिया के जिले को, देखें गाजीपुर और बनारस के जिले को देखें, चारों तरफ क्राइम बढ़ रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हीनियस क्राइम्स बढ़ रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता---क्या आप पुलिस पर बोल रहे हैं?

श्री राजनारायण---मैं इसलिये पुलिस का जिक्र कर रहा हूं कि जिला परिषदों के हाथ में पुलिस का नियंत्रण आ जाय। मैं कहना चाहता हूं कि जिस ढंग से मन्त्री महोदय यहां से पुलिस का नियंत्रण करते हैं उससे कहीं अच्छे ढंग से पुलिस का नियंत्रण वहां से हो सकता है।

अब जो इसमें कर लगाने की नीति रखी गई है उसके सिलसिले में मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं . . . .

श्री अधिष्ठाता---इस पर आप बोल चुके हैं।

श्री राजनारायण---इसमें कर लगाने की व्यवस्था और ढंग कुछ दूसरे प्रकार का रखा गया है। निश्चित रूप से मैं चाहता हूं कि अब सरकार अपने हाथ को बांध दे, अपने कदम को रोक दे और यह बिलकुल साफ-साफ ठीक व्यवस्था के रूप में हो कि कर उन्हीं पर लगाया जा सकता है जिनको कर देने की ताकत हो। श्रीमन, माफ करेंगे, इस सदन में सम्मानित सदस्य पढ़े लिखे होंगे, उन्होंने प्राचीन इतिहास का अवलोकन किया होगा कि रावण ने फूल निकालने की व्यवस्था नहीं अपना रखी थी।

उसने गरीबों पर मनमाने ढंग से टैक्स लगाया था, उनका खून नहीं बनने दिया और उस रावण ने अपनी गढ़ी सोने की बना ली लेकिन जनता दरिद्र हो गयी तब जन-क्रान्ति हुई और गरीबों ने राम का साथ दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि आज क्या इस जिला-परिषद् में कहीं भी कोई ऐसी बात है कि जिला परिषद् उन्हीं के ऊपर टैक्स लगाय जिनके पास आमदनी काफी है, जो पहले खा लें, मकान में रह लें, कपड़ा पहन लें, बच्चों को पढ़ा लें क्योंकि जिन्दगी की यही ५ चीजें हैं जो उसकी मौलिक आवश्यकतायें हैं। लेकिन जिसके पास इन चीजों की व्यवस्था न हो ऐसे लोगों पर कौन सी सरकार टैक्स लगायेगी, मैं आपके द्वारा उसके लिये कोई शब्द जानना चाहूंगा क्योंकि मेरे द्वारा कहा हुआ शब्द कोई अनपार्लियामेंटरी न कह दे। यद्यपि मैं जानता हूं कि वह अनपार्लियामेंटरी नहीं है। अगर यह सरकार ऐसे टैक्सेज लगायेगी तो वह जनहित के विरुद्ध होगा, जनतंत्र को भूल जाना होगा और तानाशाही को चरितार्थ करना होगा। रावण और कंस के द्वारा चले गये रास्ते पर चलाने वाला होगा, हैलेट की व्यवस्था को मूर्तिमान स्वरूप देना होगा, चर्चिल और अंग्रेज साम्राज्यशाही व्यवस्था को थोड़े से परिवर्त्तन के साथ, कार्यरूप में परिणत कर देना होगा। उसी अंग्रेजी नीति के अनुसार उसने यह व्यवस्था इस नये कानून में भी नहीं की कि कर कहां लगे और कहां न लगे। आपने इसमें क्यों नहीं यह लिखा है कि साढ़े छै एकड़ तक वाली जमीनों पर कोई टैक्स नहीं लगाया जायगा? क्यों नहीं इसमें साफ किया गया है कि खेतिहर मजदूरों पर कोई टैक्स नहीं लगाया जायगा? क्यों नहीं इसमें कहा गया है कि जो फटे चिथड़े पहनते हैं, जिन माताओं पर बच्चों को दूध पिलाने के लिये नहीं है, उन पर टैक्स न लगें? अगर कोई जिला परिषद् ऐसे लोगों पर टैक्स लगाती है तो वह पाप की भागी होगी। हम सोचते थे कि ८-१० वर्षों के अनवरत प्रयत्न के बाद जब यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है तो इसमें कोई नया दर्शन होगा लेकिन मैं देखता हूं कि इसमें सब वही पुरानी बातें हैं, केवल शब्दों का परिवर्तन कर दिया गया है, फिर बताइये कैसे इसको देखकर हमारी आशायें प्रफुल्लित हो सकती हैं। विधेयक के पृष्ठ ६५ पर खंड १५९ में यह लिखा हुआ है—

"प्रत्येक जिला परिषद्, निश्चित दिन से, जिले के भीतर स्थित प्रत्येक जोत पर ३१ नये पैसे प्रति एकड़ की दर से एक कर, जिसे स्थानिक कर कहा जायगा, आरोपित करेगी और उसके विषय में यह समझा जायगा कि उसने ऐसा कर आरोपित कर दिया है।

प्रतिबंध यह है कि ऊपर बतायी गयी दर से किसी जोत पर स्थानिक कर निर्धारित करने में, अबवाब तथा स्थानिक कर की वह धनराशि, यदि कोई हो, निकाल दी जायगी, जो १९५० ई० के जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा २४९ के अधीन या अन्यत्र ऐसे किसी अन्य उपबन्ध के अधीन अबवाब या स्थानिक कर के रूप में मालगुजारी में सम्मिलित की गयी समझी जाय।"

हमारा कहना यह है कि अब यह टैक्स बढ़ाने की बात है या टैक्स घटाने की। अगर गरीबों पर टैक्स बढ़ाने की बात है तो मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं जो देहातों में जाकर लंबी चौड़ी बातें कहते हैं कि हम तुम्हारी गरीबी को दूर करने आये हैं। गरीब जनता के ऊपर टैक्स बढ़ाने की व्यवस्था करके आप उनकी गरीबी दूर करने की व्यवस्था करेंगे या उनकी गरीबी बढ़ाने की व्यवस्था करेंगे? मेरा निश्चित मत है कि इस विधेयक के जरिये जिस प्रकार कर लगाने की व्यवस्था की गयी है उससे गरीबों की हड्डी चूर हो जायगी, उनकी झुकती हुई कमर और तेजी के साथ झुक कर बिलकुल जमीन में सट जायगी। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी सरकार जिसे गरीबों के नाम पर कुछ भी बोलने का हक हासिल है तो उसे फौरन इस प्रकार कर लगाने की व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिये। इसमें दो रायें नहीं होनी चाहिये। एक बार मैं फिर माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जो २०० रु० आमदनी की

[श्री राजनारायण]

सीमा रखी गयी है वह बहुत ही कम है। इससे गरीब, खुरपी से घास खोदने वाले आदमी, खेतिहर मजदूर, हरिजन, असहाय, अकिंचन, दरिद्रावस्था में जीवन निर्वाह करने वाले इन्सान जिनकी कमाई पर हम और आप पलते हैं, उसकी जिन्दगी दूभर हो जायगी, उसकी जिन्दगी मुश्किल हो जायगी, वे अपनी जिन्दगी को नहीं चला पायेंगे। इसलिये मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि सरकार द्वारा इस प्रकार के टैक्स लगाने की व्यवस्था को हटा दिया जाय। हमने देखा है और सब पार्टी के नेताओं ने सब जगह इस बात को माना है कि कर लगाने की प्रणाली एक होनी चाहिये। माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने एक बार कहा था कि हम तो बादल हैं, सब जगह से पानी लाकर बरसा देते हैं। लकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप कौन से बादल हैं, ऐसे बादल तो नहीं हैं कि बिड़ला के घर में लाकर सोना बरसा दें और साहू के घर में आग बरसा दें? अगर आप ऐसे ही बादल हुए तो जनता लग्गा लगाकर के ऊपर चढ़ कर आपको नीचे गिरा देगी? मैं जानना चाहता हूं कि यह सरकार किस बादल के रूप में काम कर रही है। वह पूंजीपतियों के लिये बादल बन कर बरसती है या गरीब किसान मजदूरों के लिये बादल बन कर बरसती है? मैं निहायत अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि जिनका अपना जीवन निर्वाह करना ही मुश्किल हो रहा है ऐसे गरीबों पर जिला परिषद् द्वारा टैक्स न लगाया जाय। उसको जो रुपये की कमी पड़े वह सरकारी बजट से मिलना चाहिये।

श्रीमन्, कोई भी नियम जनतांत्रिक ढंग का होने चाहिये। इससे गरीब आदमियों की गरीबी और बढ़ेगी ही जब उन पर कर लगाने की बात होती है, संविधान की धारा २७७ में वर्णित चीजें इस विधेयक में लाकर रखी गयी हैं। धारा २७७ में यह है :—"जो कर, शुल्क, उपकर या फीस, इस संविधान से ठीक पहले किसी राज्य की सरकार द्वारा, अथवा किसी नगरपालिका या अन्य स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा उस राज्य, नगर, जिला अथवा अन्य स्थानीय क्षेत्र के प्रयोजनों के लिये विधिवत् उद्गृहीत किये जा रहे थे, वे कर शुल्क, उपकर या फीस संघ सूची में वर्णित होने पर भी उद्गृहीत किये जाते रहेंगे तथा उन्हीं प्रयोजनों के हेतु उपयोग में लाये जा सकेंगे जब तक कि संसद विधि द्वारा इसके प्रतिकूल उपबन्ध न करे।" इसमें लिखा है कि संविधान की इस धारा के अन्तर्गत टैक्स व्यवस्था चालू रहेगी। जब सरकार के हाथ में ऐसा कानून बनाने की शक्ति निहित है तो सरकार क्यों न नये ढंग से कानून को बनावे जिससे गरीब जनता कर से मुक्त हो सके। क्यों न पुराना ऐक्ट जिसके अनुसार गरीबों पर टैक्स लगा हुआ है जिससे उनकी जिन्दगी दूभर हो गयी है, उसे हटा दिया जाय और नये रूप में कोई ऐसी व्यवस्था हो जिससे पुराने ऐक्ट के अनुसार जिला परिषद् के टैक्स द्वारा जो जनता के ऊपर बोझ पड़ा हुआ है उससे उसको छुटकारा मिल सके? श्रीमन्, बार-बार आप सोचते होंगे कि शायद मैं ज्यादा समय ले रहा हूं।

मगर मैं आप का ध्यान धारा २७५ की तरफ भी दिलाना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—लेकिन कुछ माननीय त्रिलोकीसिंह के लिये भी छोड़ दीजिये।

श्री राजनारायण—वह तो दूसरे ढंग से बोलेंगे, वह तो विदेशी ढंग की जिला परिषदों को लेकर चलेंगे। इस धारा में इस सरकार ने जिला परिषदों को भंग करने का अधिकार अपने हाथ में लिया है कि किस स्थिति में जिला परिषद् भंग होना चाहिये। धारा २७४ में परिषद् के चूक करने की दशा में राज्य सरकार को अधिकार दिये गये हैं। फिर धारा २७५ में राज्य सरकार को परिषद् को विघटित अथवा अवक्रान्त करने का अधिकार दिया गया है और परिषद् के विघटन के क्या परिणाम होंगे वह धारा २७६ में दिये हुये हैं। इन धाराओं का अवलोकन किया जाय, धारा २७५ माननीय सदस्यगण पढ़ें . . . . .

श्री अधिष्ठाता---आप कृपया पढ़ें नहीं, आप कह दें जो कुछ आप को कहना है ।

श्री राजनारायण---इसमें सरकार ने अवक्रान्त करने के अधिकार ले रखे हैं । मेरी समझ से यह अधिकार सरकार के हाथ में नहीं होने चाहिये । माननीय मंत्री जी कभी-कभी सदन में कहते हैं कि माननीय सदस्य लोग स्वयं हमारे पास पहुंचते हैं कि इस को हटा दो और इस को रख लो, तो जब तक यह अधिकार उनके पास रहेगा लोग पहुंच कर गलत सही काम करायेंगे । वह यह अधिकार रखें ही क्यों । न रहे बांस न बजे बांसुरी . . . ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---हम तो स्वागत करते हैं कि लोग इस बहाने से हमारे पास आयें ।

श्री राजनारायण---मुझे एक तार मिला अहरौरा नोटिफाइड एरिया, जिला मिर्जापुर से, वहां पर सत्याग्रह चल रहा है और शायद मंत्री जी को मालूम होगा कि वहां क्या स्थिति है, वहां के तमाम बालिग जनता के प्रतिनिधि जमा हुये, एक आम सभा हुई, वहां मैं भी बुलाया गया और कांग्रेस के सदस्य श्री राजनारायण सिंह एम० एल० ए० भी बुलाये गये जो वहां के सदस्य हैं । वह मिर्जापुर के राजनारायण सिंह हैं, हम तो केवल राज नारायण हैं । वहां सभा हुई, प्रस्ताव पास हुआ, एक कमेटी बनी और तय हुआ कि जो निर्णय कमेटी का होगा उसको सब मानेंगे । श्री राजनारायण सिंह जी बतायें कि कौन वहां के चेयरमैन और नोटिफाइड एरिया कमेटी के भ्रष्टाचार से अवगत नहीं हैं । बार-बार कलेक्टर, कमिश्नर और सरकार को लिखा गया कि नोटिफाइड एरिया के धन का दुरुपयोग हुआ है और उस धन से प्राइवेट रोजगार किया गया है, क्या वह अयोग्यता में आते हैं ?

एक सदस्य---यह विषय नहीं है ।

श्री राजनारायण---क्योंकि वह सत्ताधारी ग्रुप के हैं इसलिये उनको नहीं हटाया जाता । श्री राजनारायणसिंह जी भी क्या करें, उन का कहना है कि लोग हमारी बात नहीं मानते, वहां पर लगातार तीन चार साल से धन का दुरुपयोग हो रहा है, सामान का व्यक्तिगत प्रयोग हो रहा है, लगातार सत्ताधारी ग्रुप के लोगों द्वारा यह कार्य हो रहे हैं इसलिये कोई जांच भी नहीं होती । इसलिये अगर यह अधिकार सरकार के पास रहता है तो जो जिला परिषदें सरकार के दल की होंगी वह तो कभी भंग न होंगी और जो उन के पक्ष के न होंगी वे रोज भंग हुआ करेंगी । जैसे एक देहाती कहावत है कि . . . .

"सात पांच लड़के एक सन्तोष ।
गधा मारे नाहीं दोष ।।"

कुछ लड़कों से एक गधा मर गया, वह लड़के इस पर पंडित जी के पास गये और उन से पूछा कि महाराज क्या करें ऐसा पाप हो गया है । पंडित जी ने उन्हें अनेक उपाय बताये कि गंगाजल पीयो, या दान करो, पंचकोश करो लेकिन जब पंडित जी को मालूम हुआ कि उनका लड़का सन्तोष भी उन लड़कों में था कि जिन्होंने गधे को मारा है तो उन्होंने गधा मारने के पाप की परिभाषा को बदल दिया । इस पर पंडित जी कहने लगे कि गधा मारने में कोई दोष नहीं है "सात पांच लड़के एक सन्तोष—गधा मारे नाहीं दोष ।"

वही व्यवस्था आज चल रही है । यह पंडितवादी सरकार वही ब्राह्मण व्यवस्था चला रही है । अगर कांग्रेस पार्टी पाप करने वाली पापी है तो भी पुण्यी है और दूसरा अगर पुण्य करता है तो भी पापी है । कोई देखने वाला है ? देखकर उसके मुताबिक कोई कार्य करने वाला है ? अकेले माननीय विचित्र नारायण जी क्या-क्या करेंगे ? मान लीजिये हम उनसे जाकर कहें तो आखिर वह रिपोर्ट तो सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी या जिलाधीश से ही लेंगे । मेरे कहने का मतलब यह है कि हर दृष्टिकोण से इस विधेयक के जरिये सरकार असीमित अधिकार ले रही है । मैं कहता हूं कि इस विधेयक पर जनमत लें और तब सही माने में जनतांत्रिक ढंग से इसको निर्मित करें । जितनी ताकत सरकार ने

[श्री राजनारायण]

अपने हाथ में ली है यह सारी ताकत जन-प्रतिनिधियों के हाथ में जाय। चुनाव की व्यवस्था बालिग मताधिकार के आधार पर डाइरेक्ट हो। गुप्त मतदान के द्वारा हो। जिलाधीश का पद हटाया जाय। जो जनता टैक्स नहीं दे सकती उस पर टैक्स न लगाया जाय। सारी विकास योजनाएं जिला परिषद् के जरिये से हों। सारे पदाधिकारियों का स्थानान्तरण उसके जरिये से हो। तब सही माने में जनतंत्र होगा। वरना होगा सरकारतंत्र, मंत्रीतंत्र, सेक्रेटरीतंत्र और नौकरतंत्र। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि सरकार से एक बार फिर निवेदन करूं कि सरकार इन तमाम बातों का समावेश करे इस बिधेयक में और आगे चलकर एक सुन्दर विधेयक पेश करे जिसमें स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र जनतांत्रिक आत्मा बोलती हो और उसकी शक्ल उसमें असली जामा पहिने।

श्री गोविन्दसहाय (जिला बिजनौर)---अधिष्ठाता महोदय, जो बिल आज सदन के सामने पेश है कितनी ही बातों में यह काफी अच्छा बिल है। परन्तु फिर भी मेरा खयाल है कि जितना समय, विवेक और श्रम इसके ऊपर लगाया गया है उसकी नजर में जब मैं देखता हूं तो इसमें काफी सुधार की आवश्यकता है और इसे और भी अधिक अच्छा बनाया जा सकता है। सारे बिल के बारे में मैं बहस में नहीं जाना चाहूंगा, मैं अपनी सीमा को भी जानता हूं। जो दो-तीन बातें मौलिक मालूम देती हैं उन्हें कहना मैं अपना फर्ज समझता हूं। वह बातें भी ऐसी हैं जिनके ऊपर काफी दलीलें दोनों तरफ से दी जा सकती हैं। जब कोई ऐसा मसला हो जिस पर पचास-पचास फीसदी दोनों तरफ से पुरजोर दलीलें दी जा सकती हों तो उसमें यह कहना कि मेरी ही बात सही है, जरा असंगत मालूम होता है। फिर भी जो मेरी राय है वह व्यक्त करना मैं अपना फर्ज समझता हूं। मैं इसमें तीन बातों के ऊपर अपनी राय व्यक्त करूंगा।

एक तो इसका स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में। दूसरे एम० एल० एज०, एम० एल० सीज० और एम० पीज० उसमें रहने चाहिए या नहीं, तीसरे डिसेन्ट्रेलाइजेशन। यह तीनों ही बातें मौलिक हैं। जहां तक इसके स्ट्रक्चर का ताल्लुक है, मैंने उसे गौर से पढ़ा और पढ़ने से मालूम हुआ कि कोशिश इस बात की की गई है कि जिले के अन्दर जो जिले का स्ट्रक्चर बने उस स्ट्रक्चर का आधार फंक्शनल हो, यानी जो जिले में और भी जमातें हैं वह भी उसमें आ सकें उस ओर एक धीमी सी कोशिश है। जनता के प्रतिनिधि भी हों और पंचायतों के अलावा और संस्थायें हैं, विकास की संस्थायें हैं, बैंक हैं उनको भी प्रतिनिधित्व दिया जाय। मैं समझता हूं इसे कुछ थोड़ा-सा फैलाने की जरूरत है। यह आधार अच्छा है। लेकिन इस आधार में महज बैंक को ही रखें और बैंक के अलावा जिले के अन्दर और संस्थायें हैं जिनका ग्राम जीवन से बड़ा सम्बन्ध है उनको भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये। मिसाल के तौर पर गन्ने की सोसाइटीज हैं जिनका बहुत काफी प्रभाव गांव की आर्थिक व्यवस्था पर पड़ता है। तो आप अगर बैंक का उसमें प्रतिनिधि लेना चाहते हैं तो किसी न किसी रूप में कुछ रिप्रेजेन्टेशन गन्ने की संस्थाओं को दे सकते हैं। ये लाखों रुपये से डील करती हैं और ग्राम जीवन में एक स्थान भी उनका बन गया है और उनके कारण विकास में भी उनका हाथ रहता है। लोगों की मनोभावनाएं अच्छी बुरी बनाने में भी इनका कुछ हाथ रहता है, उनका चुनाव होता है और उसमें लोग काफी दिलचस्पी लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में जो भी विकास सम्बन्धी संस्थायें हैं उनका इसके अन्दर प्रतिनिधि होना चाहिये।

पंचायतों के बारे में मेरा खयाल है अगर आप डायरेक्ट चुनाव करा दें और डायरेक्ट चुनाव के साथ-साथ छोटी-छोटी पंचायतें, जो रिपब्लिक्स हैं, उनका भी एक डिस्ट्रिक्ट आर्गेनाइजेशन बनाने में मदद करें और उस आगनाइजेशन को भी प्रतिनिधित्व दें तो काफी बल मिलेगा। जो इंस्टीटयूशनल बेस है, जो जिले के अन्दर नये इंस्टीटयूशन्स बन रहे हैं, जिनकी हम ग्रामीण जीवन में जड़ें कायम रखना चाहते हैं उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये।

इसी तरीके से ब्लाक कमेटीज हैं। उनका भी एक स्थान बन गया है और गांवों के अन्दर उन्होंने एक आस्था पैदा की है। मैं अपने जाती अनुभव से कह सकता हूं जो हमको ब्लाक कमेटीज में जाने का अनुभव हुआ और अन्तरिम जिला परिषद् में जाने का अनुभव हुआ तो ब्लाक कमेटी के सदस्यों में मैंने, और मैंने ही नहीं कमेटी के सभी सदस्यों ने भी, ज्यादा जानकारी पायी, लगाव पाया। गांव की हालत से उनको ज्यादा परिचित पाया बनिस्बत अन्तरिम जिला परिषद् के जहां के नेता हवा की बात ज्यादा करते थे, उनकी जड़ें कम थीं। तो फंक्शनल रिप्रेजेन्टेशन कुछ आप थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूं सेलेक्ट कमेटी में इसकी गुंजायश रहेगी कि किन-किन को फंक्शनल रिप्रेजेन्टेशन दिया जा सकता है।

अब एम० एल० एज० और एम० एल० सीज० का प्रश्न है। यह प्रश्न गम्भीर बनता जा रहा है और मुझे खुशी है, सदन में जो इस बारे में विचार व्यक्त हुए हैं उनसे भी पता चलता है कि दोनों तरह की रायें हैं। इधर के सदस्यों का खयाल और विश्वास है कि अगर इसको प्रतिनिधित्व मिला तो जनतन्त्र विकसित होने से पहले मुरझा जायगा और बड़ी दलीलें दी गईं। ऐसी ही उधर से भी दी गईं। मैंने इस मसले पर सोचने की कोशिश की और मेरा यह यकीन है जिस किस्म का गठन आपने इसका किया है उसके अन्दर अगर एम० एल० एज० और एम० एल० सीज० नहीं होंगे तो जनतन्त्र की ताकतों के विकसित होने के पहले वह मुरझा जायगी, जैसा इस वक्त का गठन है। यह मैं उतना ही महसूस करता हूं जितना आनरेबिल मिनिस्टर इस विषय पर यह महसूस करते हैं कि उनके होने से नुकसान होगा, उतनी ही प्रेरणा के साथ मेरा यह खयाल है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—डायरेक्ट चुनाव करा दीजिये।

श्री गोविन्दसहाय—आपने एक प्रश्न उठाया। जैसा मैंने खुद कहा, कोई यह नहीं कह सकता यही रास्ता ठीक है। अगर आप डायरेक्ट चुनाव के जरिये लायें और आफिशियल ब्लाक को वहां न बैठायें तो एम० एल० एज० को भी न बैठाइये मुझे कोई एतराज नहीं है। यह कहना कि आफ़िशियल मशीनरी क्या करेगी हम जब बैठे होंगे? हम हों या न हों वह हमारे सेवक हैं। तो मैं कहूंगा आज इस देश के अन्दर जो संघर्ष हो रहा है उससे आप आंखें बन्द किये बैठे हैं। आप मानें या न मानें आज पोलिटिकल पार्टीज में और एक्जिक्यूटिव मशीनरी में एक भयंकर संघर्ष चल रहा है। पोलीटिशियंस से एक्जिक्यूटिव ताकत खींच रही है और अगर यही क्रम रहा तो अन्त में फौज सारी ताकत खींच लेगी। मैं उससे आंख मूंद नहीं सकता। मुझे भी उसका अनुभव है। वैसे नौकरशाही से निजी तरीके से मुझे कोई शिकायत नहीं है। यह एक स्वाभाविक झगड़ा है। १०–१२ साल काम करने के बाद नौकरशाही इस नतीजे पर पहुंची है कि उनको तो निरन्तर रहना है और ये पोलीटिशियन्स ५–५ वर्ष के अन्दर आने और जाने वाले हैं। उनकी भी यह ख्वाहिश है—जैसी कि हमारी ख्वाहिश रहती है कि हमारी पार्टी पावर में रहे— हम पावर में रहें। तो इस हकीकत से इन्कार नहीं किया जा सकता और इन्कार करना हकीकत से आँख मूंदना होगा।

यह भी कहा गया कि फिर पार्लियामेंट का मेम्बर क्यों न हो। आप पार्लियामेंट के मेम्बरों की दलील यहां नहीं दे सकते। आपकी जिला परिषदें उस ढंग से नहीं बनेंगी। उनमें कोआप्शन है। आफिशियल ब्लाक भी बैठेगा जो कि असेम्बली में नहीं हुआ करता। मैं मजबूती से इस प्रश्न पर महसूस करता हूं कि इस राय का दमन करना मैं अपने साथ ज्यादती समझता हूं। मैं यहां भी कह सकता हूं और पार्टी में भी यह बात कह सकता हूं। निजी तरीके से मैं शायद एक आध बार जिला परिषद् की मीटिंग में गया हूंगा।

श्री अधिष्ठाता—तो आपको जिला परिषद् का ज्यादा तजुर्बा नहीं है।

श्री गोविन्द सहाय—लेकिन २८ परिषद् के मेम्बरों से बातचीत करने का तजुर्बा हुआ है। हो सकता है कि वहां बैठने वालों को अनुभव न होता हो, अनुभव करने से अनुभव होता है। बहरहाल कोशिश मैंने जानने की की थी। जिस ढंग से आपने जिला परिषद् को बनाया है उसमें इनडायरेक्ट तरीके से इलेक्शन होगा तो उसमें कौन जीतेंगे? पोलिटिकल

[श्री गोविन्दसहाय]

लोग नहीं जीतेंगे---डंडे वाली ताकत और जातपात वाली ताकत जीतेगी। डंडे वाली, जात-पात वाली और प्रतिक्रियावादी ताकतें जो होती हैं उनका रवैया यह होता है कि वे पोलिटिकल लोगों को गाली देती हैं और दूसरी ओर लेखपाल तक को हुजूर कहती हैं। यह खयाल गलत है कि वे खुले तरीके से बहस करेंगे। मैं कह सकता हूं कि वहां बहस होगी ही नहीं। अधिकांश मेम्बर अन्तरिम जिला परिषद् में इस बात में दिलचस्पी रखते हैं कि हमारा जो बजट आया है, हमारी जो सड़क आई है, वह मंजूर हुई या नहीं। वहां कोई पालिसी की बहस नहीं होती। जब पोलिटिकल लोग पहुंच जाते हैं तब बहस होती है। मैं यह नहीं कहता कि एम० एल० एज० रखे जायं---मेरे लिये यह कोई धर्म की बात नहीं है कि रखे जायं या न रखे जायं लेकिन जैसा कि मौजूदा गठन है उसमें उनके हटाने से विकास नहीं होगा। कल से मैं स्पीचेज सुन रहा हूं। बड़ा पेट्रोनाइज किया गया कि हमको नये आदमियों को मौका देना चाहिये। बड़ी अच्छी बात है जो इतनी शुभ भावना हमारे अन्दर आ जाय। लेकिन दलील यही दी जाती है और मेरी आन्तरिक भावना यही है कि जनतंत्र के विकास के लिये कोई प्रयत्न नहीं हो रहा है। मेरी राय है कि चुनावबाजी केवल जनतंत्र नहीं है। जनतंत्र के विकास के लिये दो बुनियादी चीजें होती हैं---एक ऐप्रेन्टिसशिप की भावना और दूसरे दूसरों की राय की इज्जत करना। जनतंत्र में लोग सीखें इसका हमको मौका देना चाहिये। लोग ऐप्रेन्टिस बनें लेकिन आज किसी पार्टी में कोई आदमी ऐप्रेन्टिस बन कर काम करने को तैयार नहीं है। इसके लिये कुछ भी नहीं किया जाता सिवा इसके कि यहां फराखदिली स्पीचेज में दिखाई जाती है कि हम दूसरों को मौका देना चाहते हैं। तो बहरहाल यह दलील मेरे गले से नहीं उतरती। वह रोजाना के व्यवहार में हम कर सकते हैं। तो उससे पता चलता है कि सही मानों में हम जनतन्त्र का विकास चाहते हैं नहीं। महज एम० एल० एज० के न रहने से विकास नहीं होगा। एम० एल० एज० के हटने से नौकरशाही की ताकतें ज्यादा पनपेंगी और जिन्हें आप नुमायन्दे कहते हैं वे कुछ दिनों तक सही तरीके से काम नहीं कर पायेंगे। डायरेक्ट चुनाव आप कर दें और एम० एल० एज० को न बिठायें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह एक आल्टरनेटिव बात मैंने आपके सामने रखी। यह कहना कि खाली बैठने से असर क्या होगा, तो बैठने से सबका असर होता है। मैं अपने को काफी हिम्मत वाला आदमी समझता हूं लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर साहब सामने बैठें हों और मुझे मालूम हो कि फलां बात उनको पसन्द नहीं है तो मैं उसको कहने से हिचकूंगा। तो यह कहना कि असर नहीं पड़ता है, सही नहीं है।

हम इन्सान हैं, हम पर बड़ी ताकतों का असर पड़ता है, राजनीतिक ताकतों का असर पड़ता है, सरकारी ताकतों का असर पड़ता है। अभी हम इतनी खुली हवा में सांस लेने के आदी नहीं हैं। उसूली तरीके से यह दलील ठीक हो सकती है लेकिन व्यावहारिक तरीके से मेरी राय में यह मुनासिब दलील नहीं है। बहरहाल, मेरी यह राय है और यह समझ कर है कि हमारे सूबे के बेहतरीन दिमाग, जिनके ऊपर सरकार को चलाने की जिम्मेदारी है, उन सब का यह बहुत समझा-बूझा फैसला है। तो उससे एख्तलाफ करने में मुझ पर बहुत बोझा पड़ा है क्योंकि ऐसे मसले पर कौन कह सकता है कि मेरी ही बात ठीक है। बहुत-सी जगह पर आदमी को अपनी राय कुरबान करनी पड़ती है मगर फिर भी मैं इस नतीजे पर आया कि यह एक बहुत घातक चीज होगी जिसका एक लम्बे अर्से तक बुरा असर पड़ सकता है। इस-लिये आप एम० एल० एज० को हटायें नहीं। उससे लाभ होने के बजाय नुकसान होने की आशंका है। हर नजर से, जनतंत्र का विकास होने की नजर से, पोलिटिकल पार्टीज के ठीक तरीके से विकसित होने की नजर से भी, विकेन्द्रीकरण की नजर से भी यह ठीक नहीं होगा।

मुझे हैरत हुई कि इसमें कुछ दोस्तों ने विकेन्द्रीकरण का सवाल घुसेड़ दिया। मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता लेकिन थोड़ा बहुत सोचने समझने की कोशिश जरूर करता हूं। विकेन्द्री-करण है क्या ? मैं बड़ी जुर्रत के साथ कहता हूं कि इसका मतलब समझे बगैर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। एक फैशन हो गया है। केन्द्रीकरण और विकेन्द्रीकरण क्या होता है इसको मैं जानना चाहूंगा, कोई बुजुर्ग मुझे बतायें। आज हमारे देश में जो सारा प्रयत्न हो रहा

है उसका नाम तो डिसेन्ट्रलाइजेशन है मगर हर दिशा में वह केन्द्रीकरण की तरफ जा रहा है। तो यह विकेन्द्रीकरण का उसूल अच्छा है मगर महज एम० एल० एज० के हटाने से विकेन्द्रीकरण हो जायगा यह मेरी समझ में नहीं आया।

मुझे खुशी है कि आपने लोकल बोर्ड्स को कोशिश की है, जितना सोच सकते थे पाबन्दियों के साथ कि उनको ताकत दी जाय, कुछ विकेन्द्रीकरण किया जाय। तो उस विकेन्द्रीकरण के लिये विश्वास चाहिये, क्योंकि या तो आप उनको ट्रस्ट करिये या डिस्ट्रस्ट करिये, यह ट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट दोनों का इन्जेक्शन न ट्रस्ट पैदा करता है, न डिस्ट्रस्ट पैदा करता है। उनको गलती करने दो, गलती करके वे सीखेंगे, एक तरीका यह है। एक तरीका यह है कि एक तरफ से आपने उनको ट्रस्ट किया दूसरी तरफ से डिस्ट्रस्ट करके चेक्स और बेलेन्सेज लगा दिये। मैंने जो इसमें देखा उसमें एक तरफ से ताकत दी गयी है और दूसरी तरफ से एक तलवार भी ऊपर से लटका दी गयी है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट चाहे सारा मुआयना कर सकता है, सारे एकाउन्ट्स देख सकता है, नामिनेशन कर सकता है। तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का जो इंस्टीटयूशन सौ, सवा सौ साल में बना है उस इंस्टीटयूशन की तरफ से आकर्षण हटा कर जिला परिषद् में केन्द्रित करना चाहिये, मैं इसके माने यह समझता हूं। और जो केन्द्रित करना चाहते हैं उसको आप रखते हैं कि आम लोगों में से चुनकर आयेगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इसकी बहस में मैं नहीं पड़ता हूं, बल्कि इतना समझता हूं कि लोगों में से चुनकर आयेगा। मेरा जाती तजुर्बा है कि कभी भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को इतनी ताकत नहीं मिली थी जितनी आज मिली हुई है और कभी भी वह इतना निस्सहाय भी नहीं था जितना कि आज है। ताकत तो हमने उसको बहुत दे रखी है लेकिन वह उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है क्योंकि एक आशंका का वातावरण फैला हुआ है। वह कुछ नहीं कर पाता है और एक ऐसे वातावरण में नये इंस्टीटयूशन काम नहीं कर पायेंगे। जिला परिषद् के कामों में दखल दिया जायगा कि यह काम किस तरह कर लिये गये, इनमें गवर्नमेंट की प्रायर सेंक्शन की जरूरत थी तो इसके माने यह हैं कि सही माने में इनका विकास नहीं हो पायेगा।

(इस समय ४ बज कर ५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

बहरहाल आपने एक अच्छा और सही कदम उठाया है। आपने कोशिश की है कि शक्ति का जो एक केन्द्र बना हुआ है उससे आप दूसरी शक्ति का केन्द्र जिला परिषद् के रूप में बनायें। यह खुशी की बात है लेकिन इसको करने के लिये हमारा मस्तिष्क स्पष्ट होना चाहिये। अगर आप ट्रस्ट करते हैं तो एक दो टर्म्स में उनका विश्वास करें और अगर वह गलती करते हैं तो उनको गलती करने दें और उनको मौका दिया जाय। यह जो पाबन्दियां लगी हुई हैं उनके बारे में मेरी नाकिस राय यह है कि जितना लाभ आप उनको पहुंचाना चाहते हैं वह नहीं पहुंच सकता है। यदि उनके सिर के ऊपर तलवार लटकी रहेगी उस दशा में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट दखल दे सकता है और यह जिला परिषद् विकसित नहीं हो सकेंगी क्योंकि यह नई व्यवस्था है। इसलिये इनको विकसित करने के लिये बड़ी सख्त आबहवा की जरूरत है।

दूसरा प्वाइंट यह है कि यह बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। हमें एक मौका मिला है जिसमें हमने सोशल इंजीनियर की हैसियत से काम किया है। रिहन्द डैम बनता है तो उसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। ऐसे काम तो कैपिटलिस्टस स्टेट्स में भी बन जाते हैं, हम तो खाली रुपया देते हैं। जिस तरह से इंजीनियर्स डैम्स बनाते हैं, बड़े-बड़े काम करते हैं उसी तरह से पोलिटिशियन्स समाज के स्ट्रक्चर को बनाते हैं और उसमें इंजीनियर का काम करते हैं। जो स्ट्रक्चर आने वाली सन्तान को हम देंगे उसके अलावा भी बहुत से काम हुये हैं लेकिन उनके बखान करने का यह मौका नहीं है।

मैं कह सकता हूं कि ८–९ साल के सोच-विचार के बाद जो कार्य हुआ है और चुनावों को भी नहीं किया जा सका है यानी जिस काम के सोचने में हमारे यहां के लोगों के दिमाग ९ साल से जुटे रहे हों तो जो स्ट्रक्चर हमारे सामने आये उसके लिये हम सबका यह फर्ज हो जाता है कि उसको एक ऐसी चीज बनायें जो हमारी आने वाली औलाद वर्षों तक याद करे। असल

[श्री गोविन्दसहाय]

जो इमारत हम बना रहे हैं वह यही है। डैम वगैरह तो इंजीनियर लोग बनाते रहते हैं। हमारा कंट्रीब्यूशन इसी से देखा जायगा। इस बिल पर जितना खुले दिमाग से बहस हुई है, मेरा खयाल यह है कि किसी और बिल के ऊपर, पार्टी की सीमाओं को तोड़ कर इतनी सफाई से विचार नहीं रखे गये होंगे। हर पार्टी के लोगों ने दो रायें दी हैं। किसी ने मैनडेट नहीं दिया है। जो आनरेबिल मिनिस्टर साहब के जमाने में जिनका नाम ही विचित्र है, हो जाय, एक ऐसा काम हो जाय कि जनता को एक ठोस स्ट्रक्चर मिले और वह वर्षों तक चले तो अच्छा है। मुझे खुशी है कि उन्होंने इसके सम्बन्ध में जो परिचय दिया है उसमें उन्होंने कोई बात नहीं कही है कि यही चीज सही है। एक खुले दिल दिमाग का परिचय दिया, उन्होंने कुछ हिम्मत दिलायी है कि हमें इस बिल पर खुले तौर से बात करनी चाहिए।

इस बिल पर मेरे अन्दर भी काफी संघर्ष रहा। कुछ दोस्तों ने कहा कि आखिर तुम किसी भी बिल में इतनी दिलचस्पी नहीं लेते हो इस पर क्यों बार-बार खड़े होते हो। मेरी आदत भी बार-बार खड़े होने की नहीं है लेकिन मैंने जरूरी समझा कि ऐसा उधर से कुछ लोगों का यह विश्वास है कि इसमें कुछ बड़ी मौलिक बातें हैं मैंने भी कुछ बातों को मौलिक समझ कर अपने विचार इस पर व्यक्त किये हैं। मैं आशा करता हूं कि सेलेक्ट कमेटी के अन्दर इस बिल में काफी सुधार होगा। कई तरीके के नक्शे पेश किये जा सकते हैं। परिषदों का चुनाव डाइरेक्ट हो या न हो। पंचायतों का चुनाव सीक्रेट बैलेट से कराया जाय या न कराया जाय। मान लीजिये कि अगर आप पंचायतों के जरिये ही चुनाव कराना चाहते हैं तो पंचायतों का चुनाव सीक्रेट बैलेट से कराइये। अगर इनडाइरेक्ट एलेक्शन कराना है तो उसमें एम० एल० एज० और सर्विसेज को भी रखना चाहिए। अगर डाइरेक्ट इलेक्शन कराएं तो यह समझें कि एम० एल० एज० के होने से सच्चा जनतंत्र नहीं विकसित होगा, जिन लोगों को हम ट्रेन्ड करना चाहते हैं उन लोगों को बोलने का मौका नहीं मिलेगा, तो यह एक बड़ी वजनी राय हो सकती है। डाइरेक्ट एलेक्शन में न आफिशल ब्लाक बैठे न कोई बैठे। वह स्वयं अपने अफेयर्स को कंडक्ट करें। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की जिला परिषद् में जो ताकतें हैं उनको भी विदड्रा कर लें। एक तस्वीर यह हो सकती है। यही आखिरी नक्शा है, मेरी यह हिम्मत है नहीं। इसीलिए मैंने तीन चार तरफ की बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाया है।

विकेन्द्रीकरण के बारे में एक मेरा और निश्चित मत है कि ब्लाक कमेटीज को मुकर्रर करने की ताकत आज जिला परिषद् को दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसका नतीजा बहुत कुछ अच्छाई के बजाय खराब भी निकल सकता है। दलील यह है कि ब्लाक के अन्दर जो लीडरशिप है वह अभी नयी है। जिले का बना हुआ काम है। लीडर थोड़े हैं। मेरी राय इसके विपरीत है। जिले की लीडरशिप ज्यादा कैरियरिस्ट है। डिटेल्स उनको मालूम नहीं।

मैं अपनी जाती जानकारी की बुनियाद पर कहता हूं कि मुझे २८ जिला परिषदों की मीटिंग्ज में जाने का मौका हुआ। जब मैंने लोगों से मालूम किया कि क्या आपको मालूम है कि ब्लाक के अन्दर कितना रुपया खर्च होता है, तो एक आवाज से लोगों ने कहा कि बड़ा भ्रष्टाचार है लेकिन ५ फीसदी मेम्बरों को यह नहीं मालूम कि डेवलपमेंट के कामों का ब्रेकअप कितना है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ब्लाक कमेटियों के अन्दर नेतृत्व की जड़ें ज्यादा गहरी हैं। वह अपनी प्राबलम्स के बारे में ज्यादा जानते हैं, उनमें निर्माण की प्रवृत्ति ज्यादा है बनिस्बत डिस्ट्रिक्ट लीडर शिप के। इसलिए उन ब्लाक कमेटियों ने लोगों के दिलों में एक गुंजायश पैदा की है। एक आदमी जब कचहरी में आता है तो उसकी यह मनोवृत्ति होती है कि कोई सजा या जुर्माना देना पड़ेगा। जब यह ब्लाक में जाता है तो कहता है कि कुछ सीख कर आऊंगा। ब्लाक्स ने लोगों के दिलों में आस्था पैदा की है। ब्लाक के अन्दर एक नये नेतृत्व का विकास हुआ है जिसकी जड़ें लोगों में हैं। ब्लाक आर्गेनाइजेशन को एक कैरियरिस्ट लीडरशिप के जरिये मुकर्रर कराना, यानी जिले की परिषद् तय करेगी कि ब्लाक के मेम्बर कौन हों, तो इसका घातक नतीजा हो सकता है।

बरअक्स इसके मेरी राय यह है कि ब्लाक कमेटीज जहां हैं उनको आप मानकर के उनके रिप्रेजेंटेशन को आप जिला परिषद् में दीजिए। यानी ब्लाक की जो स्थिति है, जो संगठन है, जिसकी जड़ें कायम हो चुकी हैं, जिसने लोगों में विश्वास पैदा किया है, जिसने पांच छः सालों से लोगों में विकास का काम किया है, उस संस्था को आप रिप्रेजेंटेशन जिला परिषद् में दीजिए न कि जिला परिषद् तय करे कि ब्लाक कमेटी कैसे बने। मैं समझता हूं कि डिसेंट्रलाइजेशन की दृष्टि से भी यह ज्यादा अच्छा कदम है। डिसेंट्रलाइजेशन के माने हैं कि विलेज और ब्लाक को पावर दीजिए और जिला कोआर्डिनेटिंग यूनिट होगा। लेकिन जो आपका बिल है उस बिल में ब्लाक और विलेज पीछे निकल गये हैं और यह कहा गया है कि पंचायतों के मामलों में, ब्लाक के मामलों में, जिला परिषद् को दखल देने का हक होगा। मैं समझता हूं कि यह जो चेक्स और बैलेंसेज हैं यह असल में किसी का कसूर नहीं है, हम सब लोग ब्रिटिश तालीम के अन्तर्गत पढ़े हैं, ब्रिटिश शिक्षा का, ब्रिटिश परम्परा का, ब्रिटिश संस्कृति का हम पर गहरा असर है और ब्रिटिश संस्कृति की एक ही देन है To rule by checks and balances। अगर रूल करना है तो रूल बाई चेक्स ऐंड बैलेंसेज। यह चीज अंग्रेजी साम्राज्यशाही ने सौ सालों में हमको दी है। उसको तोड़ने में, उससे निकलने में, हर कदम पर सोचना पड़ता है कि अगर यह कर दें तो इसका नतीजा क्या होगा। तो यह चेक्स ऐंड बैलेंसेज किसी विचार को सही मानों में खुशगवार आबोहवा में पनपने नहीं देते। इसको बहुत ज्यादा गौर से तो मैंने पढ़ा नहीं है। एक दोस्त को पढ़ने के लिए दिया था। उन्होंने इसमें कुछ मार्क कर दिया था। लेकिन मेरा खयाल है कि जो इसका सार है उसे जो मैंने मोटे तौर से पढ़ा तो उसमें मुझे दिखाई देता है कि इसमें चेक्स ऐंड बैलेंसेज हैं। उसमें होता क्या है? जो होशियार लोग हैं, वह फौरन अर्जी दिला देते हैं। इसमें कानून बनाने वालों की नीयत खराब नहीं होती। लेकिन जब उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है तो उसमें उसकी रूह बिलकुल मर जाती है और तेज लोग उसका इस्तेमाल करने लग जाते हैं।

बहरहाल, अगर मैं इस बात को मान कर चलूं कि नीयत खराब होती है तब तो समाज चल नहीं सकता। मुझे तो यह मानकर चलना पड़ेगा कि आप भी बहुत ईमानदार हैं जब आप अपनी बात कहते हैं, और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे भी आप ईमानदार समझें। यह हमारी बदनसीबी है कि मुझे तो आपकी नीयत पर शक नहीं है लेकिन आपको मेरी नीयत पर शक है। बिल को उसके सेक्शन्स से नहीं देखना चाहिए। उसे देखना चाहिए कि समाज की मनोवृत्ति बाहर क्या है, उससे उसको देखना चाहिए। आज बाहर मनोवृत्ति यह है कि हर होशियार आदमी कानून से अपने को बचाना चाहता है। उसके कारण हैं। आर्थिक कारण हैं, सामाजिक कारण हैं, हमारी कुछ व्यवस्थायें भी उसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन उसके ऊपर बहस का समय यह नहीं है। मैं तो सिर्फ बाहर का जो ऐटमास्फीयर है वह बता रहा हूं। बहरहाल, आप इस बात से तो सहमत हैं कि मेरी एनेलिसिस ठीक है। इस वक्त उस पर बहस नहीं हो सकती। लेकिन वाकया यह है कि आज समाज में हर एक की नीयत है कि कानून से कैसे बचा जाय और फायदा उठाया जाय। और इसमें जो वकीलों की जमात है वह बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। उससे फिर समाज के अन्दर एक मारल ब्रेक डाउन हो गया है। जो व्यक्ति मारेली दोनों वक्त पूजा करते हैं वह भी अदालत में जाकर झूठ बोलते हैं। उनसे पूछो कि तुम झूठ क्यों बोले तो वह कहेंगे कि, कहां, हम झूठ तो नहीं बोले। जब उनसे कहा जायगा कि वहां अदालत में तुम झूठ बोले तो वह कहेंगे कि अरे वह तो अदालत है। आज हालत यह हो गई है कि अदालत में झूठ बोलना झूठ नहीं समझा जाता। तो यह जो कानून बना हुआ है उसको बहुत लचीले ढंग से देखना पड़ेगा कि उसका दुरुपयोग न हो सके। आपकी नीयत डिसेंट्रलाइज करने की है आप चाहते हैं कि जो पुराना डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट है उससे यह ऐक्ट ज्यादा अच्छा हो लेकिन अगर आपने कोई ऐसी गुंजायश छोड़ दी तो शातिर लोग उसका बुरा इस्तेमाल करेंगे और आप कुछ

[श्री गोविन्दसहाय]

नहीं कर सकते । आप बेबस हो जायेंगे कि हम क्या करें । जो तीर कमान से निकल जाता है वह फिर वापस नहीं आता । उसका फैसला विचित्रनारायण जी नहीं करेंगे । उसका फैसला मुंसिफ करेंगे और हाई कोर्ट के जज करेंगे जिनका नजरिया कानून का नजरिया है । वह यह नहीं देखेंगे कि सच क्या है, वह तो कानून के नजरिये से सच देखेंगे । मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट का फर्ज हो जाता है कि इसमें गुंजायश कम छोड़े जिससे दुरुपयोग की कम गुंजायश रहे । मुझे इसमें कुछ ऐसा लगा कि नीयत न होते हुये भी, एक अच्छी नीयत होते हुए भी यह आपकी जो राय है कि "विद दि परमिशन आफ दि प्राविन्शियल गवर्नमेंट दि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट" कुछ मुनासिब सा नहीं मालूम होता है । मैंने इसको कई जगह पढ़ा है । उससे आपका जो मौलिक ध्येय है और जो आप सच्चे जनतन्त्र का विकास करना चाहते हैं उसमें कुछ विशेष सफलता नहीं होगी ।

श्री राजनारायण जी की दलील को तो मैं नहीं समझ सका । उनका जो व्याख्यान हुआ उसमें दो घंटे जनतन्त्र क्या है इस पर वह बोले । यह सही बात है कि जनतन्त्र क्या है यह बड़ी भारी पहेली आज के जमाने की है । कुछ मुल्क गोली चलाते हैं और फौज द्वारा कब्जा करते हैं दूसरे मुल्कों पर, फिर भी अपने को जनतन्त्री मुल्क कहते हैं । फौज भेजते हैं और फौज से कब्जा कर लेते हैं लेकिन यह सब डेमोक्रेसी के नाम पर ही करते हैं । इसलिये जनतंत्र क्या है, यह एक बड़ा भारी विषय है जिस पर वह इतने समय तक बोले । लेकिन मेरा खयाल यह है कि इस प्रकार से कहना कि इधर के लोग जनतन्त्रीय नहीं हैं और उधर के लोग जनतन्त्रीय हैं कुछ मुनासिब नहीं मालूम होता । मेरा खयाल है कि हम सभी जनतन्त्रीय हैं क्योंकि हमारी नस्ल एक है जो कि बहुत पुराने जमाने से इन सब बातों को मानती आई है । जो हमारी आल इंडिया कांग्रेस कमेटी है उसकी बुनियाद जरूर प्रजातन्त्रीय है । अब उसमें फोलिंग हो, गलतियां हों, एडवर्सेज हों यह वाकया है लेकिन होना यह चाहिये कि जो कानून हम बनाये उसमें लोगों का ट्रस्ट हो । उसमें लोगों को ट्रस्ट करना चाहिये और आपका सारा मुल्क उसमें ट्रस्ट करता हो । उसके प्रति किसी के दिल दिमाग में किसी तरह का शक शुबहा नहीं होना चाहिये । अगर किसी का शक होता है तो हमारी जो पहुंच होती है उसमें शक पड़ जाता है ।

इसलिये मैं डिटेल में न जाता हुआ सच्चा जनतन्त्रवाद क्या है, इधर के जनतंत्रीय हैं या उधर के हैं, इस पर न जाता हुआ सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपकी जो कोशिश है सरकार से हटाकर जिला मजिस्ट्रेट को ताकत देने की और उसको जो आपने बांटा है और उसके लिये जो आपने चुनाव प्रणाली बरती है उसकी तरफ मेरा इतना इशारा और है कि आपने जो कदम उठाया है उसमें जो ब्लाक कमेटी बनी हुई है उसको जिला परिषद् के हाथ में न दीजिये । ब्लाक कमेटी ने अच्छा काम किया है और उनमें जनता की आस्था है । उनका मुकद्दर इन जिला परिषदों के हाथ में न छोड़ दीजिये । इतना कर दीजिये कि आपकी पालिसी के बारे में अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है तो जिला परिषद् को हक हो कि वह कराये किसी कमेटी के द्वारा या किसी मेम्बर के द्वारा लेकिन ब्लाक कमेटी ने जो इधर ६-७ साल में काम किया है अगर जिला परिषद् के हाथ में आई तो उनका सारा नक्शा पलट जायगा । यह मांग चाहे ठीक हो लेकिन इससे लाभ नहीं होगा । इसलिये मैं आशा करता हूं कि जब यह बिल सेलेक्ट कमेटी में जायगा तो उस वक्त आपको मौका होगा कि जो मैंने अपने विचार व्यक्त किये हैं उन पर आप विचार करें । मैंने समझा कि न मालूम आपसे बात करने का मौका मिले या नहीं । पार्टी में मौका नहीं हुआ था तो मैं चाहता था कि जिस बात को सही समझता हूं उसको जरूर जाहिर करूं । मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि जिस यकीन के साथ मैं यकीन करता हूं और आप जिस प्रेरणा से प्रेरित होकर इस बिल को बना रहे हैं उसी से इस मसले पर जरूर सोचेंगे । यह हो सकता है कि मेरी समझ कम हो लेकिन थोड़े बहुत अनुभव के आधार पर मैं यह समझता

हूं कि जैसा यह बिल है उसमें काफी अच्छी बातें रखी गई हैं लेकिन यह और भी अच्छा बनाया जा सकता है क्योंकि इसका असर नस्ल दर नस्ल पड़ने वाला है। न जाने ३० साल या ४० साल बाद जब दूसरे लोग बनायेंगे तो वह इसको ही पकड़कर आगे बढ़ेंगे। इसमें काफी सोचने को जरूरत है; सब के विचार सुनने की जरूरत है। इसमें जिस कदर तरक्की हो सके करें। चाहे इधर के हों, या उधर के हों, सभी मानते हैं कि इस देश में सच्चा विकेन्द्रीयकरण हो और जनतंत्र की ताकतें फलें और पनपें ताकि दुनिया के इतिहास में हम गर्व से कह सकें कि जब दुनिया में चारों तरफ जनतंत्र का हनन हो रहा था, उसकी ताकतें क्षीण हो रही थीं, तानाशाही पनप रही थी तब हिन्दुस्तान एक ऐसा देश था कि जिसने एक अजीबों गरीब तरीके से अपना स्वराज्य हासिल किया और उन्हीं तरीकों से सच्चे समाजवाद की तरफ कदम बढ़ाया। एक चैप्टर की तरफ हम कदम उठा चुके, उसमें सफलता पायी और अब हम दूसरे चैप्टर की तरफ जा रहे हैं यानी शक्ति के विकेन्द्रीकरण की तरफ हम जा रहे हैं। हमारी ग्राम सभायें मौलिक रूप से रिपब्लिक हों उनका सरपंच यह अनुभव करे कि जैसे हमारा चीफ मिनिस्टर सूबे का चीफ मिनिस्टर है वैसे ही यहां पर वह है। गांव के विकास की जिम्मेदारी उसका उत्तरदायित्व उस पर है। सच्चे जनतंत्र का मतलब यह है कि उस पर किसी खतरे का साया न हो और उसमें फलने-फूलने की मनोवृत्ति पैदा हो। मैं आशा करता हूं कि यह बिल चन्द बुनियादें रखता है और उनकी तरफ कदम बढ़ाता है और उनके बनाने में हम सब को सहयोग देना चाहिये।

*कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल को प्रस्तुत करते हुए माननीय मंत्री जी ने अपनी जो वक्तृता दी थी उसको मैंने बड़े ध्यान से सुना था और उसके द्वारा मैंने उनकी मनोवृत्ति को समझने का प्रयत्न किया था। उन्होंने अपनी वक्तृता प्रारम्भ करते हुये अगस्त के महीने पर अधिक जोर दिया। उसकी महत्ता बतलायी और यह बतलाया कि देश में जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं वे सभी अगस्त के महीने में हुए हैं। इसके अतिरिक्त, श्रीमन्, उन्होंने कहा अपने भाषण में, मैं उन्हीं के शब्दों में दोहराना चाहता हूं, कि "स्वतंत्रता किसी राजनैतिक दृष्टि से ही नहीं समझी जाती है। स्वाधीनता का एक विचार है कि हर व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिये स्वतंत्र हो, केवल राजनैतिक बंधनों से वह मुक्त न हो बल्कि सारे सामाजिक और आर्थिक बंधनों, जिनकी वजह से अपनी इच्छा के विरुद्ध उसे काम करना पड़ता हो, उन सब से वह मुक्त हो।" यानी व्यक्तिवादी सिद्धांन्त का पूरा-पूरा समर्थन किया है मंत्री जी ने। बहुत ही सुन्दर बात कही, सत्य बात कही। मगर बड़े दुख के साथ निवेदन करना पड़ता है कि मंत्री जी जिस वक्त इस बात को कह रहे थे उस वक्त माननीय विचित्र नारायण शर्मा, स्वशासन मंत्री के हृदय से नहीं बोल रहे थे। इन वाक्यों को कहते समय विचित्र भाई, महात्मा गांधी के पट्ट शिष्य, गांधी आश्रम के संचालक और गांधीवाद के सिद्धांतों को मानने वाले विचित्र भाई का हृदय बोल रहा था। मैं मानता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति के उत्थान के लिये प्रत्येक व्यक्ति को ऊपर उठाने की बात जो उन्होंने कही वह उनके हृदय की बात है। मगर क्या आज वह कांग्रेस जो गांधीवाद के सिद्धांतों से नीचे गिर चुकी है, जो आध्यात्मवाद की सीढ़ियों से लुढ़क कर भौतिकवाद के गड्ढे से होती हुई समाजवाद के गडढे में चली गयी है, जो कांग्रेस पाश्चात्य देशों के सिद्धान्तों के ऊपर अपना पूरा ढांचा बनाना चाहती है, उसके प्रतिनिधि होते हुए माननीय मंत्री जी ने व्यक्ति स्वातंत्र्य की जो बात कही वह मेरी समझ से उनके हृदय की बात थी मगर उनकी सरकार की बात वह नहीं थी। उन्होंने जो बात कही वह अपनी जगह पर बिलकुल सत्य है, हर व्यक्ति को उत्थान करने का पूरा मौका होना चाहिये।

श्रीमन्, समाज व्यक्तियों से बनता है। एक-एक व्यक्ति का उत्थान होगा, वह तरक्की करेगा, एक एक व्यक्ति बढ़िया होगा तो समाज बढ़िया होगा। अगर व्यक्तियों की तरक्की नहीं होगी तो समाज की तरक्की भी नहीं हो सकती। मगर आजकल दुर्भाग्य से भारतवर्ष

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[कुंवर श्रीपालसिंह]

में ही नहीं समस्त विश्व में समाजवाद का एक फैशन चल खड़ा हुआ है। जिस किसी को देखा जाय वह समाजवाद की बात करता है। मैं नाम नहीं लेना चाहता श्रीमन्, लाखों रुपये की कोठियां खड़ी हैं और हैं वह समाजवादी। करोड़ों रुपया बैंक में जमा है लेकिन हैं वह साम्यवादी। इस प्रकार का जो यह समाजवाद और साम्यवाद का प्रचार है वह मेरी समझ में तो केवल फैशन हो गया है। जैसे पहले भारतवर्ष में लोग दाढ़ी मूछें रखा करते थे; कर्जन साहब आये, सफाचट उनका मुंह देख कर लोगों ने अपनी मूंछें और दाढ़ी साफ़ कर डालीं और एक नया फैशन चल खड़ा हुआ। तो उन दिनों बात दूसरी थी। अंग्रेज विदेशी थे और उनकी बातें हम दूसरे नजरिये से देखते थे लेकिन आज वही बातें जब मौजूदा सरकार करती है तो उसको हम अपनी चीज समझ लेते हैं। उस वक्त किसी ने कहा था :—

'गईं मूछें जैसे उस कर्जन के पीछे,
कहीं नाक जाये न फैशन के पीछे।'

तो आज समाजवाद का एक फैशन हो गया है। जिस किसी को देखिये वह समाजवाद की बात करता है। और हमारी यह भावना है कि उत्थान जब कभी हो सकता है तो केवल समाजवाद से हो सकता है, उसके लिये और कोई दूसरा रास्ता नहीं है जब कि इतिहास ठीक इसके विपरीत है।

मैं उत्थान को आर्थिक तराजू से नहीं तौलना चाहता। मैं उत्थान को चरित्र के तराजू से तौलना चाहता हूं। श्रीमन्, अगर आप आज से दो, ढाई हजार साल पहले के युग में चले जांय अधिक पीछे जाने की जरूरत नहीं, तो अपने ही देश में हम देखते हैं कि जो हमारा चरित्र का गठन था, हमारे चरित्र का जो आधार था, वह आर्थिक नहीं, आध्यात्मिक था और जिस की वजह से हम में न तो भ्रष्टाचार था, न हम में चोरी थी और न हम में झूठ बोलने की आदत थी। यानी दुनिया की जितनी बुराइयां हैं वह हम में नहीं थीं। उस समय का हमारा प्रधान मंत्री संसार का सब से प्रसिद्ध आदमी चाणक्य रहता था एक मामूली झोपड़ी में, पहनता था एक मामूली लंगोटी और राज्य के कार्यों से जब उसको फुरसत मिलती थी तो वह आध्यात्म चिंतन में रहा करता था। आज के समाजवादी देशों के जितने भी प्रधान मंत्री हैं मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह पांच मिनट भी आध्यात्म चिंतन करते हैं। क्या वह ५ मिनट भी इस बात को सोचने में लगाते हैं या सोचने की कोशिश करते हैं कि मनुष्य एक मात्र धन कमाने के लिये या एक मात्र पेट भरने के लिये ही नहीं पैदा हुआ है बल्कि उसका कुछ और भी कर्त्तव्य है? इसका नतीजा यह हुआ है कि इस समाजवादी व्यवस्था के अन्दर चरित्र का उत्थान हो इसकी जो भावना थी वह समाप्त हो गयी है, त्याग की जो भावना थी वह समाप्त हो गयी है और संग्रह की भावना आ गयी।

श्रीमन्, आज से दो ढाई साल पहले अगर एक राजा के यहां कोई ऋषि जाता था...

श्री अध्यक्ष—भाषण का जिला परिषद् से सम्बन्ध जोड़ दीजियेगा।

कुंवर श्रीपालसिंह—जी, जोड़ता हूं। मंत्री जी ने अपने भाषण में व्यक्तिवाद का प्रतिपादन किया था, उसी पर प्रकाश डालना चाहता हूं। क्योंकि हाउस में देखता हूं कि समाजवाद के पक्ष में तो सभी होंगे, विपक्ष में बोलने वाले कम ही होंगे, इसलिये आपकी आज्ञा से थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं।

तो मैं निवेदन यह कर रहा था कि उस पुराने जमाने में एक बड़े भारी चक्रवर्ती राजा के यहां एक मामूली ऋषि जाता था तो फटी हुई लंगोटी उसके बदन पर होती थी और शरीर पर राख होती थी, पैर में टूटी हुई खड़ांव होती थी। राजा अपना सिंहासन छोड़ कर उस फटे हुए आदमी का स्वागत करता था, ले आकर अपने सिंहासन पर बैठाता था, उसके चरण धोकर पीता था। वहां इज्जत चरित्र की थी, त्याग की थी। जब उस समाज में ऐसी इज्जत

थी तब हर एक व्यक्ति प्रयत्न करता था कि उसी रास्ते पर जाय और ऊपर उठे ताकि समाज में इज्जत पाये। समाजवादी समाज में किस चीज की इज्जत है? श्रीमन्, एक महान त्यागी और तपस्वी पुरुष हो लेकिन उसके मुकाबले में एक बड़ा भारी मिल ओनर जिसकी थैली रुपयों की झनकार से झनझनाती हो उसके सामने कतई उसकी इज्जत नहीं होगी, क्योंकि समाजवाद वही सिखलाता है। समाजवाद हमें पेट दिखलाता है। पेट तभी तक रह सकता है जब तक हम जिन्दा हैं और जिन्दा तभी तक हैं जब तक हमें भोजन मिलता है। तो भोजन तक ही अन्त में आकर समाजवाद का अन्त होता है। उसके आगे अगर हमें कुछ चीज और देखने को मिले तब तो उत्थान हो सकता है। तो माननीय मंत्री जी ने जो व्यक्तिवाद का प्रतिपादन किया था, मैं मानता हूं कि उनके ऊपर इस महात्मा की छाप थी जिसकी वजह से उन्होंने यह कहा वरना अगर आज कांग्रेस के समाजवाद की छाप उन पर रही होती तो व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात न कहते।

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण इसके द्वारा किया जा रहा है। जिला परिषद् बनाकर सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने का मंतव्य माननीय मंत्री जी का है, परन्तु वह किस प्रकार हो रहा है वह इस बिल को पढ़ने से ही मालूम पड़ता है। जितनी देर तक मैंने माननीय मंत्री जी की वक्तृता सुनी मैंने यह सोचा कि संशोधन मैंने दिया है उनके प्रस्ताव पर, मैं उस पर बोलूंगा क्या, क्योंकि उससे मालूम होता था कि माननीय मंत्री जी ने इस बिल को इतना सुन्दर बनाया है, इतना सांगोपांग, इसे उम्दा किया है कि इसमें बोलने की कहीं गुंजायश नहीं। तो मैं इस फेर में पड़ा हुआ था कि मुझे क्या कहना होगा। मगर जब मैंने इसको पढ़ा तो देखा कि इस बिल में और माननीय मंत्री जी की वक्तृता में वही अन्तर है जो माननीय मंत्री जी के अपने विचारों में और समाजवादी विचारों में अन्तर है। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि सत्ता के विकेन्द्रीयकरणके लिये हम इस बिल को ले आये हैं, परन्तु, श्रीमन्, इसके एक एक पद से सत्ता का विकेन्द्रीयकरण नहीं बल्कि केन्द्रीयकरण किया गया है।

श्रीमन्, इसमें अध्याय १० वाह्य नियन्त्रण है। उसमें अगर देखा जाय तो मालूम होगा कि जिला परिषद् के ऊपर किन-किन महानुभावों का नियन्त्रण रहेगा, यह देखने वाली बात हैं। पहला नियन्त्रण है "परिषद् पर नियत प्राधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट का नियन्त्रण", दूसरा "जिला मैजिस्ट्रेट के कुछ अन्य अधिकार और कर्त्तव्य", इसके आगे "नियत प्राधिकारी का अधिनियम के अधीन कार्यवाही को निलम्बित करने का अधिकार"। यानी अगर इन सब को देखा जाय तो जिला परिषद् केवल एक तमाशा बन कर रह जाती है। जिलाधीश, मंडलाधीश, कमिश्नर, यह जो हैं उन्हीं के हाथों में सब कुछ रहेगा, यह उसके बनाये हुये कानूनों को रद्द कर सकते हैं या सारे अख्तियारात जितने भी हैं, बिल के द्वारा उनका दिये गये हैं उनको छीन सकते हैं। श्रीमन्, कहने के लिये सत्ता का विकेन्द्रीयकरण है सत्ता का विकेन्द्रीयकरण नहीं नौकरशाही के हाथ में सत्ता समर्पित कर दी गई है, सौलहो आने उन्हीं के हाथों में सब दे दिया गया है।

इसके अलावा, श्रीमन्, राज्य सरकार उसकी खोपड़ी पर हर जगह सवार है, किसी भी जगह राज्य सरकार जिला परिषद् के पीछे नहीं छूटी है। इसके लिये जरा देर होगी, मैंने गिनती करके देखा है कि जहां कहीं भी राज्य सरकार का नियन्त्रण आया है अगर उसको गिना जाय तो वह कम से कम १०० जगह जरूर मिलेगा, ऐसी जगह जहां कि यह शब्द लिखे हैं कि राज्य सरकार का यह अधिकार है, वह यह कर सकती है, वह कर सकती है, अध्यक्ष को निकाल सकती है, राज्य सरकार जो चाहे सो कर सकती है। श्रीमन्, इसमें जो सेक्रेटरी का स्थान रखा गया है वह ठीक उसी प्रकार से रखा गया है जैसे रूलिंग चीफ, खुद मुख्तियार रियासतों में, पोलीटिकल एजेन्ट की हुआ करती थी। उस पोलीटिकल एजेन्ट की तनख्वाह तो रियासतों वाले दिया करते थे लेकिन वह २४ घंटे रियासतों के मालिकों पर सवार रहते थे और काम करते थे अंग्रेजों का। वह यह देखते थे कि कौन राजा अंग्रजों क खिलाफ जा रहा है। तो

[कुंवर श्रीपालसिंह]

यह जो एक अधिकारी, सेक्रेटरी के नाम से सरकार की तरफ से नियुक्त किया गया है उसमें स्पष्ट है कि सरकार ही नियुक्त करेगी और उसी के द्वारा जिला परिषद् पर सरकार का पूरा का पूरा नियन्त्रण रहेगा। ऐसा क्यों किया गया, इसके बारे में मंत्री जी ने तो कुछ नहीं कहा, मगर एक सदस्य महानुभाव ने कहा कि चूंकि गांव के लोग जरा जाहिल किस्म के होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, और वही लोग इसमें आवेंगे, तो उनको भड़क से बचाने के लिये एक समझदार आदमी की वहां जरूरत है, इसलिये ये चेक दिये गये हैं। बड़ा उम्दा है, मैं इसको मानता हूं। मगर क्या यह सिद्धान्त केवल जिला परिषद् पर ही लागू किया जाने वाला है? क्यों नहीं यह सिद्धान्त आप असेम्बली में लागू करते हैं? जब दर्जा २ पास आदमी मिनिस्टर हो सकता है, जब अंगूठा लगाने वाला आदमी एम० एल० ए० हो सकता है, और इतना ही नहीं, एकाध दूसरे सूबों में तो ऐसे महानुभाव मंत्री तक हो चुके हैं जो एक दर्जा भी पास नहीं थे, तो क्या जो देहात का आदमी जिला परिषद् में चुन कर आवेगा वही ऐसा बेवकूफ होगा कि वह बगैर सरकार के अंकुश के नहीं चल पावेगा और वह भड़क कर भाग जावेगा? कहने की बात है। केवल एक निकलने का रास्ता बनाने का जरिया है। अगर यही विचार है तो यह भी तो रखा जा सकता है कि इतने से कम पढ़ा आदमी खड़ा नहीं हो सकेगा। मगर इसे न रख कर यह रखना कि कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब, और न जाने कौन-कौन साहब, वहां २४ घंटे खोपड़ी पर सवार रहेंगे, उचित नहीं है। यह हमारी समझ से सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं है।

एक चीज और इसमें देखने वाली है। जहां यह कहा गया है कि कौन से लोग चुनाव के लिये नाक़ाबिल समझे जावेंगे, उसमें एक बड़ी विचित्र बात कही गई है। इस शब्द से तो यह स्पष्ट ही नहीं हो पाता है कि नाकाबलियत के दायरे से कोई आदमी बच सकेगा। सदस्य निर्वाचित होने के लिये अनर्हता यें, यह शीर्षक पेज ९ पर है, धारा ९ के (ख) में है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पहले या बाद यह भारत में किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिये सिद्धदोष ठहराया गया हो तथा उसे दो वर्ष या अधिक का कारावास-दंड दिया गया हो। "किसी भी दोष" शब्द इतने व्यापक हो गये हैं कि उनके बाहर कोई जा ही नहीं सकता है। अगर कोई आदमी शहर में जा रहा है, उसे लघुशंका हुई और उसने बेजगह बैठ कर लघुशंका कर दी और पकड़ा गया और सजा हो गई, तो वह भी किसी 'दोष' में आवेगा। मान लीजिये जैसे राजनारायण जी हैं, उनकी सरकार से रोज चलती रहती है, २४ घंटे का झगड़ा है। मान लीजिये किसी वक्त उनको पकड़ लिया जाय और दो साल की सजा हो जाय। अब वह और उनकी पार्टी वाले तो समाप्त ही हो गये। वह सब इस "किसी भी" में आ गये। यह इसमें नहीं है अगर उसने किसी चोरी, डकैती अथवा अनैतिक किसी कार्य के करने में सजा हुई हो, तब तो ठीक था लेकिन इसमें जो "किसी भी" शब्द है वह खटकने वाला है।

एक चीज और है। अगर सरकार की किसी किस्म की देनदारी है तो आप चुनाव में खड़े नहीं हो सकते। यह भी एक काबलियत हो गयी कि आपके पास सरकार का एक पैसा भी न रहे। वसूली का तरीका भी उसमें निकाल लिया गया। सरकार का एक पैसा भी बाकी न रहे उसकी पाई-पाई दे दी जाय चाहे वह टैक्स सही हो या गलत हो।

अदालत की बात भी कही गयी। मगर इस बिल के अन्दर स्पष्ट शब्दों में कहा गया है--- धारा १६६ इस प्रकार है:

> "इस अधिनियम के अधीन आरोपित किसी कर के निर्धारण को रद्द या परिष्कृत करने के लिये किसी भी दीवानी न्यायालय में कोई वाद प्रस्तुत न किया जा सकेगा।"

कहते हैं कि फैसला तो अदालत करेगी लेकिन इधर आप कहते हैं कि कोई भी दीवानी अदालत इसको नहीं देख सकती है। अगर माननीय मंत्री जी किसी के ऊपर गलत टैक्स लगा दें तो वह बेचारा दीवानी अदालत में भी नहीं जा सकता। वह वहीं जा सकेगा जहां

हमारी सरकार चाहेगी और जिसको सरकार ने पहले से ही बना रखा है और उस अधिकारी का जो फैसला होगा उसको वह मानने के लिये मजबूर होगा। यह आपकी अदालत की बात है।

एक चीज इसमें और विचित्र है। एक तरफ तो गांव वालों को जाहिल समझा जाता है कि वह ठीक तरीके से काम नहीं कर पायेंगे, साहिबों का उन पर नियंत्रण होना चाहिये। दूसरी तरफ एम० एल० ए ज० से भी अधिक ऊंचा उनका चरित्र समझा जाता है क्योंकि जिला परिषद् के सदस्य को कोई भत्ता या मार्ग भत्ता नहीं मिलेगा, वह सच्चा अवैतनिक जनसेवी होगा। जिस आदमी का घर वहां से २०, ३०, ५० मील की दूरी पर है, वह वहां कैसे जायगा क्योंकि सरकार समझती है कि गांव वाले इतने धनी हैं जितना कोई नहीं है। सरकार सोचती है कि वे अपने पास से किराये का पैसा खर्च करके वहां जायेंगे और जनता की सेवा करेंगे। उनसे डबल नम्बर के जनसेवी तो हम लोग हैं जो बगैर १० रु० लिये हुए यहां नहीं बैठ सकते, हम लोगों की गुजर २०० रु० महीने में नहीं हो सकती, जब तक हमारे लिये बस के पासेज नहीं बनते तब तक हमारा काम नहीं चल सकता, और हर साल गर्मी के दिनों में नैनीताल जाने के लिये सरकार जबरदस्ती ख्वामख्वाह कोई समय निकाले और जबरदस्ती वहां कोई न कोई कमेटी की मीटिंग रखी जांय, जिसमें कि हम वहां पहुंचे और वे बेचारे गांव के रहने वाले आदमी जिनको पहले ही जाहिल समझ लिया गया है, वे अपना खर्च करके वहां जायं और जाकर जनसेवा करें। यह बात समाजवादी सिद्धान्त के बिलकुल विरुद्ध है। उस किस्म के जो समाजवादी हैं वे तो वही व्यक्तिवादी, रूढ़िवादी और अध्यात्मवादी हो जायेंगे और यह चीज आज के भौतिकवाद में नहीं चल सकती। तो यह जो पैसे वाली चीज इसमें रखी गयी है वह मेरी समझ से बिल्कुल अस्वाभाविक है और इसका नतीजा यह होगा कि भ्रष्टाचार में एक सीढ़ी और जुड़ जायगी। वे अपने पास से पैसे तो खर्च नहीं कर सकेंगे। जब वे मीटिंग अटेंड करने जायेंगे तो किसी न किसी ठेकेदार, लाइसेंस होल्डर या किसी न किसी परेशान आदमी को पकड़ कर कहेंगे कि चलो हम तुम्हारा काम करा देंगे और काम कराने के लिये उससे पैसे लेंगे, चाहे वहां जाकर वे उसका काम करें या न करें। लेकिन भ्रष्टाचार की एक सीढ़ी वे और बन जायेंगे। तो माननीय मंत्री जी जिस समय इस बिल को बनवा रहे थे या बना रहे थे उस समय जैसा कि उनकी वक्तृता से सिद्ध हुआ, पूज्य बापू का सिद्धान्त उनके मस्तिष्क में आच्छादित था, इसलिये उन्होंने सोचा कि जनसेवी आदमी वही होगा जो और बगैर पैसे के काम करेगा। मगर यहां देखना तो यह है कि समाजवादी ढांचे में वह चीज फिट होगी या नहीं होगी। अगर समाजवादी ढांचे में फिट नहीं होगी तो भ्रष्टाचार का एक-एक स्क्रू उसमें और लग जायगा।

श्रीमन्, अभी मैंने निवेदन किया कि माननीय मंत्री जी और समाजवादी ढांचे वाली सरकार का यह विचार है कि गांव वाले आदमी बेहद धनी हो गये हैं, उसके छप्पर की एक-एक सींक सोने की बन गयी है। गांव के वही किसान जो अभी कल तक, जब तक कि यह सरकार पूंजीवादी क्रान्ति से लिपटी हुई थी तब तक किसानों के पास न तो भोजन, था, न वस्त्र थे, न उसके अन्दर रक्त का संचार था, वह एक मुर्दे सा बना हुआ था परन्तु जब यह समाजवादी ढांचे की सरकार जिसको हम कम्युनिस्टिक सरकार भी कह सकते हैं, समाजवादी क्रान्ति पर आयी है बकौल कम्युनिस्टों के तो अब हमारे किसान जो दुबले पतले थे, नरकंकाल किसान जिनके पेट पीठ में सट गये थे, वे अब काफी मोटे तगड़े हो गये हैं और उनकी झोपड़ी की तमाम सींकें सोने की हो गयी हैं। हमारी यह कम्युनिस्टिक सरकार या समाजवादी ढांचे वाली सरकार यह समझती है कि लक्ष्मी ने सीधा-सीधा गांवों में पदार्पण कर दिया है। आपकी यह मनोवृत्ति इस बात से सिद्ध होती है कि इस बिल में तमाम करों की बाढ़-सी आ गयी है, नये-नये कर जिनका कभी अस्तित्व तक नहीं था ऐसे-ऐसे कर गांव वालों पर लगाये जा रहे हैं। विभव और सम्पत्ति कर—श्रीमन्, विभव शब्द ही यह सिद्ध करता है कि विभव के माने हैं आरामतलबी, बड़ा भारी जश्न जहां मनाया जा रहा है, और कोई बड़ा आराम कर रहा है, वह बड़े चैन से पड़ा हुआ है। बड़े चैन में है, विभव में है उस पर कर और लगेगा। किस पर? उस किसान की तड़पती हुई आत्मा पर, उसकी टूटी हुई झोपड़ी पर, विभव कर और सम्पत्ति कर लगाया जायगा।

[कुंवर श्रीपालसिंह]

२०० रुपया साल से जिसकी अधिक आय है, २०० रुपया, माहवार नहीं, साल जिसकी आय है उस पर यह कर लगेगा यानी वह आदमी जिसकी आय २०० रु० साल है वह इस कम्यूनिस्ट सरकार की नजर में बहुत बड़ा आदमी है और वह २४ घंटे विभव में पड़ा रहता है, उस पर कर लगना चाहिये।

इतना ही नहीं। आगे चल कर कहते हैं कि गांवों में जो बाजार लगते हैं उसमें गधे, घोड़े टट्टू, ऊंट जो आते हैं उन पर भी टैक्स लगेगा। गांव में कोई भी चीज ऐसी न छूटने पाये कि जिसके ऊपर सरकार का टैक्स न पड़े। मेरी समझ में नहीं आता कि यह कैसा सत्ता का विकेन्द्रीकरण है, कहा जाता है कि हां एक व्यक्ति को न्याय पाने का मौका होगा लेकिन टैक्सेज से इस कदर दबाया जाता है कि गरीबों का कचूमर निकल जाय। आज ही टैक्स इतने हैं कि साढ़े ४६ प्रतिशत तक तो गवर्नमेंट वैसे ही ले रही है, कोई चीज ऐसी नहीं है कि जिस पर दो-तीन प्रकार का टैक्स न हो फिर तुर्रा यह है कि गांव वालों पर टैक्स बहुत कम है और अब उन पर भी टैक्स लगेगा तभी काम चलेगा। अगर आप को सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना था तो अपने फंड से देते, नये कर लगाने की आवश्यकता नहीं थी, आज तो वैसे ही जनता करों की करकराहट से कराह रही है, उसको क्या लाभ इस तरह से होगा कि वह समाजवादी मंत्री जी चाहे न समझते हों लेकिन गांधीवादी विचित्र भाई तो उसको अवश्य समझते होंगे।

श्रीमन्, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि बहुत से अधिकार हम जिला परिषदों को दे रहे हैं, यहां तक कि उसके समर्थन में उनका कहना है कि अगर थोड़ी-सी काबलियत इन गांव की जिला परिषदों में आ जायगी तो हम उन्हें पुलिस के अधिकार भी दे सकते हैं और उनके कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। यानी हमारी सरकार कम्युनिस्ट सरकार का बच्चा है यानी अभी तो धीरे-धीरे बच्चे की तरह अभी घुटने चलेगी, गिरेगी, उठेगी, फिर गिरेगी और फिर सम्भल जायगी और तब सरकार उसके हाथ में शक्ति देगी. . . . . .

श्री अध्यक्ष—अब आप अपना भाषण कल जारी रखेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
११ अगस्त, १९५९।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०७ पर)

जिला अलीगढ़ की हाथरस और सिकन्दराराऊ तहसीलों में प्रस्तावित या निर्माण होने वाले नालों की सूची

तहसील का नाम	नाले का नाम
हाथरस ..	१—जलालपुर ड्रेन।
	२—लहरा अबरनपुर ड्रेन।
	३—राजपुर मिथुनपुर ड्रेन।
	४—कोटा ड्रेन।
	५—कथिया दरसना ड्रेन।
	६—तुकसान कट।
	७—केवलगढ़ सान्ती खेड़ा ड्रेन।
	८—गढ़ी जैन कट।
	९—मिथाई ड्रेन।
	१०—राजनगर माहू कट।
	११—लाखन जफराबाद ड्रेन।
	१२—नगला गोपाल ड्रेन।
	१३—हाथरस ब्रान्च के साथ सीपेज ड्रेन।
	१४—रतन गढ़ी ग्राम के सम्मुख हाथरस ब्रांच में ड्रेन और इनलेट।
	१५—नगला इमालिया कट।
	१६—अनरघपुर ड्रेन।
	१७—जैमन ड्रेन डाइवरशन (मुरसान किला ड्रेन)।
सिकन्दराराऊ	१—धनौली चनौली ड्रेन।
	२—सुहावली कट।

उत्तर प्रदेश संसद

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११५ पर)

जनपद आजमगढ़ में जिन ग्रामों का स्तर ऊंचा करने का कार्य समाप्त नहीं हुआ उनकी सूची

१—मुहम्मदपुर
२—अन्डिका
३—रैदा
४—पाकरपुर
५—शम्भूपुर
६—अमुवारी नारायनपुर
७—चंगईपुर
८—टेकनगाढ़ा
९—भुवना बुजुर्ग
१०—विशुनपुर
११—अलियाबाद कटाई
१२—जमीन शेखपुर
१३—मन्डनपुर
१४—गन्धोपुर
१५—धरमसापुर
१६—घनरवा
१७—नइली
१८—सरइयां
१९—फतेहपुर
२०—मानिकपुर
२१—शंकरपुर
२२—कुदाबो
२३—बसन्तपुर
२४—शिवपुर
२५—बद्दलपुर
२६—देवारा इस्माइल
२७—आराजी अजगरा मशरकी
२८—दहिया देवारा
२९—मुलनापुर देवारा
३०—अजगरा मगरबी
३१—देवारा कत्तीराम
३२—मसौधी
३३—जमीन सारंगपुर
३४—पिपरहदा।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११५ पर)

तालिका संख्या १

जिले का नाम	कितनी भूमि में पानी भरा	फसल की हानि	सम्पत्ति की हानि	जन-हानि	पशु-हानि	
					पशुओं की संख्या	अनुमानित लागत
१	२	३	४	५	६	७
	एकड़	रु०	रु०			रु०
अलीगढ़ ..	.. १,४४,६२६	४२,००,०००	१७,७४,६५०	१९	८९	८,२८०
मथुरा ..	.. २,३०,९५९.१४	१,४५,८९,५३०	१४,८२,७०८	१४	३६८	१२,३००
बुलन्दशहर ..	.. २,६०,०२५	खरीफ की फसल ७९२ ग्रामों में चार आना से सोलह आना तक क्षति-ग्रस्त रही।	७,००,०००.७६	९	६	अज्ञात

उत्तर प्रदेश विधान सभा

तालिका संख्या २

जिला अलीगढ़, मथुरा तथा बुलन्दशहर में प्रदत्त सहायता की तालिका

अलीगढ़

१—तीन नावें जमुना नदी के खादर में टप्पल तहसील खैर के क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों के सहायतार्थ लगाई गईं। ५६१ मनुष्यों तथा ८० पशुओं को बाढ़ पीड़ित गांवों से बचाया गया।

२—६५,००० रु० बाढ़-पीड़ितों की सहायता में दिए गए।

३—१,३५,००० रु० अधिक जल-वृष्टि के कारण क्षय हो जाने वाले मकानों की मरम्मत हेतु दान में बांटे गये।

४—८,०५,००० रु० आकस्मिक दुर्घटना व बीज सहायतार्थ तकावी के रूप में बांटे गये।

५—ग्राम तथा नगरों में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें खोली गईं।

६—संक्रामक रोगों की रोक थाम के लिये औषधियों का मुफ्त वितरण किया गया।

७—सिंचाई विभाग की ओर से जल मग्न स्थलों से पानी को निकालने के लिये अस्थाई पानी निकास योजनाऐं कार्यान्वित की गई और फलस्वरूप लगभग १५,००० एकड़ भूमि पानी निकालकर रबी की फसल बोने योग्य की गई।

मथुरा

	रु०
१—तकावी	१८,८०,५९०
२—दान	५५,५००
३—मकानों की निर्माणार्थ सहायता	७२,५००
४—मोटा अनाज बांटा गया	२०,०००
५—जिले के ४४४ गांवों को लगान माफी हेतु जल मग्न क्षेत्रों में प्रतिवेदन भेजा गया	६,५१,३११
६—अस्थाई नाले बनाये गये	२,२५,०००

बुलन्दशहर

१—दान	२७,१९५.३८
२—मकानों की सहायतार्थ	४७,१५०.००
३—चारा के सहायतार्थ	१०,०००
४—आपत्ति तकावी	२,५०,०००
५—ऐक्ट १२ के अन्तर्गत सामान्य तकावी	९४,०००
६—माफी लगान	३,६६,७७०
७—रेड क्रास सोसाइटी से प्राप्त वस्त्र तथा औषधियां वितरित की गईं	
८—पानी से डूबे क्षेत्र की पानी निकालने के लिये	३०,०००
९—रबी के हेतु बीज और खाद्य का प्रबन्ध किया गया	
१०—जिला अलीगढ़ मथुरा और बुलन्दशहर में सिंचाई कर की माफी १९५८ ई० (१३६६) खरीफ में	६,४६३.००

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ १२७ पर)

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, १९५९

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, १९५२ को कतिपय प्रयोजनों के लिये संशोधित करने के लिये

उ० प्र० अधिनियम संख्या ३३, १९५२

विधेयक

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, १९५२ को कतिपय प्रयोजनों के लिये संशोधित करने के निमित्त उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अध्यादेश, १९५९, गवर्नर द्वारा ७ जुलाई, १९५९ को प्रख्यापित किया गया था ;

उ० प्र० अधिनियम संख्या ३३, १९५२

और "भारत का संविधान" के अनुच्छेद २१३ (२) (क) के अनुसार उक्त अध्यादेश विधान-मंडल के पुनः समवेत होने से छः सप्ताह व्यतीत होने पर प्रवर्तन में न रहेगा, और यह इष्टकर तथा आवश्यक है कि वह विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाय;

उ० प्र० अध्यादेश संख्या ३, १९५९

अतएव भारतीय गणतंत्र के दसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अधिनियम, १९५९ कहलायेगा।

(२) यह अधिनियम तुरन्त प्रचलित होगा सिवाय धारा २ के, जो १ अप्रैल, १९५९ से प्रचलित हुई समझी जायगी।

उ० प्र० अधिनियम संख्या ३३, १९५२, की धारा ३ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, १९५२ (जिसे आगे 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की धारा ३ के प्रथम प्रतिबंधात्मक खण्ड में—

(क) खण्ड (ग) के अन्तर्गत में आये हुये "कामा" के स्थान पर "सेमीकोलन" रख दिया जाय;

(ख) खण्ड (घ) के अन्त में आये हुये "पूर्ण-विराम" के स्थान पर "सेमीकोलन" रख दिया जाय और उसके पश्चात् शब्द "तथा" बढ़ा दिया जाय; और

(ग) खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित नये खण्ड (ङ) के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"(ङ) किसी उपभोक्ता द्वारा किसी ऐसे उद्योग में जो वस्तुओं के निर्माण, उत्पादन, विधायन (processing) या मरम्मत में संलग्न किसी उद्योग में कोई उपभोक्ता हो।"

उ० प्र० अधिनियम संख्या ३३, १९५२, में एक नई धारा ३-क का बढ़ाया जाना

"उपभोक्ताओं द्वारा एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का दिया जाना"

३—मूल अधिनियम की धारा ३ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा ३-क के रूप में बढ़ा दी जाय तथा सदैव से ही बढ़ायी गयी समझी जाय:

"३—क—उपभोक्ता द्वारा उपभुक्त एनर्जी (विद्युत् शक्ति) पर धारा ३ के अधीन लगाई गई एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (विद्युत् शुल्क) की धनराशि आगे व्यवस्थित रीति से उपभोक्ता द्वारा देय होगी, तथा उससे उगाही तथा वसूल की जायगी।"

उ० प्र० अधिनियम संख्या ३३, १९५२, की धारा ४ का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा ४ में—

(१) उपधारा (१) में—

(क) शब्द "एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (विद्युत् शुल्क)" तथा शब्द "उगाह करके" के बीच में शब्द "उपभोक्ता से" बढ़ा दिये जायं और सदैव से ही बढ़ाये गये समझे जायं;

(ख) प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अन्त में आये हुये "पूर्ण-विराम" के स्थान पर "कोलन" रख दिया जाय; तथा

(ग) प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात् निम्नलिखित द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि लाइसेन्सी द्वारा उपभोक्ता (कन्ज्यूमर) से उगाही गयी एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (विद्युत् शुल्क) की धनराशि राज्य सरकार को नियत अवधि के भीतर अदा न की जाय तो लाइसेंसी इस प्रकार अदा न की गयी एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की धनराशि पर १२ १/२ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से तब तक के ब्याज का देनदार होगा, जब तक कि वह अदा न कर दी जाय।"

(२) उपधारा (२) में शब्द "देय ड्यूटी (शुल्क)" तथा "लाइसेंसी" के बीच में शब्द "तथा ब्याज, यदि कोई हो," बढ़ा दिये जायं तथा शब्द "होगी" के स्थान पर शब्द "होंगे" रख दिया जाय।

उ० प्र० अधिनियम संख्या ३३, १९५२, की धारा ५ का संशोधन

५—मूल अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (१) में—

(१) खण्ड (ग) के अन्त में आया हुआ शब्द "और" निकाल दिया जाय; तथा

(२) खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित नये खण्ड (ग-१) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(ग-१) धारा ४ के अधीन लाइसेंसी द्वारा दिये गये ब्याज की धनराशि, यदि कोई हो, और"

उ० प्र० अधिनियम संख्या ३३, १९५२, की धारा ७ का संशोधन

६—मूल अधिनियम की धारा ७ में—

(१) शब्द "एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (विद्युत् शुल्क)" तथा "के हिसाब में" के बीच में शब्द तथा कामा "तथा ब्याज, यदि कोई हो," बढ़ा दिये जाय;

(२) खण्ड (क) में शब्द "उपधारा (१) के" तथा शब्द "प्रतिबन्धात्मक" के बीच में शब्द "प्रथम" बढ़ा दिया जाय; तथा

(३) खण्ड (ख) में शब्द तथा अंक "धारा ३" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम" रख दिये जायं और सदैव से ही रखे गये समझे जायं।

निरसन उ० प्र० अध्यादेश संख्या ३, १९५९

यू० पी० एक्ट, सं० १, १९०४

७—उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अध्यादेश, १९५९ निरस्त किया जाता है और यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ तथा २४ के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे मानों वह (अध्यादेश) उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा निरस्त और पुनः अधिनियमित अधिनियमिति (enactment) हो।

उद्देश्य तथा कारण

हमारे राज्य में बिजली की सप्लाई (supply) की मूल दरें देश में अन्यत्र प्रचलित दरों की अपेक्षा कम हैं, परन्तु इन दरों के अतिरिक्त जो एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (विद्युत् शुल्क) ली जा रही थी उसके कारण विद्युत् शक्ति के लिये देय सम्पूर्ण राशि कतिपय अन्य राज्यों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में अधिक थी। यह इष्टकर समझा गया कि राज्य के उद्योगों को विद्युत्-शल्क के भार से मुक्त करके प्रोत्साहित किया जाय। इसलिए यह निर्णय किया गया कि १ अप्रैल, १९५९ से बिजली के औद्योगिक उपभोक्ताओं को एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के भार से मुक्त कर दिया जाय। इस निर्णय के कार्यान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, १९५२ में संशोधन आवश्यक है।

२—बिजली की सप्लाई करने वाले लाइसेंसधारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे बिजली के उपभोक्ताओं से ऐलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वसूल करें और जिस महीने में उक्त ड्यूटी (शुल्क) वसूल की गई हो, उसके व्यतीत होने के तीस दिन के भीतर उसे सरकारी कोष में जमा कर दें। यह देखा गया है कि लाइसेंसधारी उपभोक्ताओं से वसूल की गयी एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की धनराशि सरकारी कोष में नियत समय के भीतर जमा नहीं करते। इसको रोकने के लिये लाइसेंसधारियों से, विद्युत् शुल्क की उस धनराशि पर, जिसे वे उपभोक्ताओं से वसूल करें और सरकारी कोष में समय पर जमा न करें १२ १/२ प्रतिशत की दर से ब्याज लेने का प्रस्ताव है।

३—उपर्युक्त उद्देश्यों को दृष्टि में रख कर प्रस्तावित विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

गिरधारीलाल,
सार्वजनिक निर्माण मंत्री।

उन परिस्थितियों का विवरण, जिनके कारण उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अध्यादेश, १९५९ का परिष्कार आवश्यक हुआ

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अध्यादेश, १९५९ में उन उद्योगों की सूची दी गई है जो एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (विद्युत् शुल्क) के भार से मुक्त होने के हकदार हैं। इस अध्यादेश के जारी होने के पश्चात् यह अनुभव किया गया कि उसमें कई उद्योग छूट गये हैं। इस मामले पर सभी पहलुओं से विचार करने के पश्चात् यह निश्चय किया गया कि उद्योगों की सूची को निकाल दिया जाय और किसी भी ऐसे उद्योग को विद्युत् शुल्क से मुक्त कर दिया जाय जो वस्तुओं के निर्माण, उत्पादन, विधायन (processing) या मरम्मत में संलग्न हो।

२—यह देखा गया है कि बिजली के सप्लाई करने वाले लाइसेंसधारी उपभोक्ताओं से वसूल किये गये विद्युत् शुल्क की धनराशि नियत सरकारी कोष में नियत समय के भीतर जमा नहीं करते। उक्त ड्यूटी जमा न करने वाले लाइसेंसधारियों से ब्याज लेने के प्रश्न पर सरकार कुछ समय से विचार कर रही थी और अब यह निश्चय किया गया है कि उनसे ब्याज लिया जाय। उक्त निश्चयों को कार्यान्वित करने के लिए उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, १९५२ में संशोधन करना आवश्यक है और इसलिए तत्संबंधी संशोधन भी इस विधेयक में सम्मिलित कर लिये गये हैं।

गिरधारीलाल,
सार्वजनिक निर्माण मंत्री।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ११६ एल० ए०—१९५९—८४५।